



उत्तराखण्ड सरकार

00674



# विनियोग लेखे

2009-2010

उत्तराखण्ड सरकार

00674  
2009-2010

©  
भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक  
2010




उत्तराखण्ड सरकार

# विनियोग लेखे

2009—2010

उत्तराखण्ड सरकार



## विषय सूची

पृष्ठ सं०

प्रस्तावना	(1)
विनियोग लेखे का सारांश	2
विनियोग लेखे -	
01. विधान सभा	15
02. राज्यपाल	18
03. मंत्रिपरिषद्	21
04. न्याय प्रशासन	24
05. निर्वाचन	29
06. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	31
07. वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्ये	40
08. आबकारी	64
09. लोक सेवा आयोग	66
10. पुलिस एवं जेल	68
11. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	76
12. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	101
13. जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	118
14. सूचना	123
15. कल्याण योजनायें	128
16. श्रम और रोजगार	141
17. कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	146
18. सहकारिता	152
19. ग्राम्य विकास	156
20. सिंचाई एवं बाढ़	162
21. ऊर्जा	171
22. लोक निर्माण कार्य	175
23. उद्योग	183
24. परिवहन	188
25. खाद्य	193
26. पर्यटन	196
27. वन	200
28. पशुपालन सम्बन्धी कार्य	205
29. औद्योगिक विकास	212
30. अनुसूचित जातियों का कल्याण	216
31. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	233

## परिशिष्ट

(1) परिशिष्ट I	आकस्मिकता निधि से वर्ष 2009-2010 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किये गये व्यय, जिनकी वर्ष के अन्त तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गयी।	247
(2) परिशिष्ट II	वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हें व्यय में कटौती करके लेखों में समायोजित किया गया है, अनुदानवार विवरण।	248
(3) परिशिष्ट III	उच्चत लेनदेन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग।	250
(4) परिशिष्ट IV	उच्चत लेनदेन - सिंचाई विभाग - पूंजीगत प्रभाग।	251
(5) परिशिष्ट V	उच्चत लेनदेन - लोक निर्माण विभाग।	252

## प्रस्तावना

उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2009-2010 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित किये विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में संलग्न निर्दिष्ट राशियों की तुलना करते हुये 31 मार्च 2010 को समाप्त हुये वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे सन्निहित हैं।

इस लेखे में :-

'मूल' से तात्पर्य अनुदान या विनियोग से है।

'पूरक' से तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है।

'पुनर्वि०' से तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों अथवा अभ्यर्पण से है।

प्रभारित विनियोग एवं व्यय तिरछांकित किये गये हैं।

## विनियोग लेखे

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3	4	5
				(हजार ₹ में)
01. विधान सभा				
दत्तमत	13,97,21	50,00	12,33,16	47,00
भारित	79,81	--	59,89	--
02. राज्यपाल				
दत्तमत	--	--	--	--
भारित	4,37,45	--	3,47,61	--
03. मंत्रिपरिषद्				
दत्तमत	34,79,40	--	32,89,61	--
भारित	--	--	--	--
04. न्याय प्रशासन				
दत्तमत	77,40,21	5,00,00	48,83,69	5,00,00
भारित	23,78,51	--	11,49,50	--
05. निर्वाचन				
दत्तमत	27,86,57	--	24,21,12	--
भारित	--	--	--	--
06. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन				
दत्तमत	3,86,30,45	36,22,38	3,29,56,14	10,06,93
भारित	1,24,91	--	1,24,17	--
07. वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्ये				
दत्तमत	19,67,13,73	1,50,50,21	15,48,16,85	99,26,68
भारित	15,34,90,90	13,11,58,08	13,89,85,44	13,72,68,43
08. आबकारी				
दत्तमत	7,76,07	10,00	7,50,64	--
भारित	--	--	--	--





## विनियोग लेखे

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
1	2	3	4	5
				(हजार ₹ में)
09. लोक सेवा आयोग				
दत्तमत	--	--	--	--
भारित	5,64,21	35,00	5,08,05	34,74
10. पुलिस एवं जेल				
दत्तमत	5,78,22,78	31,00,02	5,54,07,02	11,54,54
भारित	--	--	--	--
11. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति				
दत्तमत	30,98,81,61	57,48,35	29,03,98,22	49,68,53
भारित	--	--	--	--
12. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण				
दत्तमत	5,61,42,32	57,93,78	4,69,54,21	39,03,69
भारित	--	--	--	--
13. जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास				
दत्तमत	8,81,86,35	1,00,00	8,34,11,61	--
भारित	--	--	--	--
14. सूचना				
दत्तमत	22,12,94	50,00	20,90,07	10,00
भारित	--	--	--	--
15. कल्याण योजनायें				
दत्तमत	3,41,61,79	7,60,03	2,61,18,71	2,51,37
भारित	--	--	--	--
16. श्रम और रोजगार				
दत्तमत	51,61,34	2,65,00	45,99,93	2,19,18
भारित	--	--	--	--



अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
1	2	3	4	5 (हजार ₹ में)
17. कृषि कर्म एवं अनुसन्धान				
दत्तमत	2,80,56,67	1,37,02	2,66,25,09	13,09,91
भारित	--	--	--	--
18. सहकारिता				
दत्तमत	27,72,05	8,24,13	25,89,12	8,49,64
भारित	--	--	--	--
19. ग्राम्य विकास				
दत्तमत	3,69,68,39	47,70,01	2,99,47,07	38,36,79
भारित	--	--	--	--
20. सिंचाई एवं बाढ़				
दत्तमत	2,68,89,84	5,21,13,37	2,67,93,78	3,49,61,32
भारित	--	--	--	--
21. ऊर्जा				
दत्तमत	9,03,12	10,56,61,76	13,00,71	6,78,73,37
भारित	--	--	--	--
22. लोक निर्माण कार्य				
दत्तमत	3,85,23,94	7,69,50,03	3,56,60,19	7,80,61,87
भारित	4,02,49	--	1,86,70	--
23. उद्योग				
दत्तमत	44,18,83	16,89,93	42,84,95	7,34,75
भारित	--	--	--	--
24. परिवहन				
दत्तमत	21,49,99	35,51,06	15,88,14	25,21,23
भारित	--	--	--	--



## विनियोग लेखे

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3	4	5 (हजार ₹ में)
25. खाद्य दत्तमत	26,89,66	50,05	22,28,29	9,16,80,66
भारित	--	--	--	--
26. पर्यटन दत्तमत	19,70,75	63,19,67	16,85,35	27,73,95
भारित	--	--	--	--
27. वन दत्तमत	3,14,82,93	13,60,05	2,72,30,47	13,39,50
भारित	--	--	--	--
28. पशुपालन सम्बन्धी कार्य दत्तमत	90,36,17	5,07,50	81,86,77	4,59,69
भारित	--	--	--	--
29. औद्योगिक विकास दत्तमत	88,10,81	--	85,37,51	2,99,99
भारित	34,00	--	33,91	--
30. अनुसूचित जातियों का कल्याण दत्तमत	4,11,46,11	2,25,75,14	3,30,35,40	1,02,61,22
भारित	--	--	--	--
31. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण दत्तमत	81,51,40	59,77,03	66,06,17	36,64,31
भारित	--	--	--	--
<b>कुल योग</b>				
दत्तमत	1,04,90,63,43	31,75,36,52	92,56,29,99	32,26,16,12
भारित	15,75,12,28	13,11,93,08	14,13,95,27	13,73,03,17
<b>कुल योग</b>	<b>1,20,65,75,71</b>	<b>44,87,29,60</b>	<b>1,06,70,25,26</b>	<b>45,99,19,29</b>

का सारांश

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय  
आधिक्य

बचत/आधिक्य का प्रतिशत

बचत		आधिक्य		बचत/आधिक्य का प्रतिशत			
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	2009-10		2008-09	
6	7	8	9	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
			(हजार ₹ में)	10		11	
4,61,37	--	--	9,16,30,61	-17.15	+183078.14	-46.81	+28214.57
--	--	--	(9,16,30,60,609)	--	--	--	--
2,85,40	35,45,72	--	--	-14.48	-56.10	-7.59	-8.09
--	--	--	--	--	--	--	--
42,52,46	20,55	--	--	-13.50	-1.51	19.21	-12.18
--	--	--	--	--	--	--	--
8,49,40	47,81	--	--	-9.40	-9.42	-8.74	-30.38
--	--	--	--	--	--	--	--
2,73,30	--	--	2,99,99	-3.10	+1,00.00	-13.79	+1440666.66
9	--	--	(2,99,99,348)	-0.26	--	-4.55	--
81,10,71	1,23,13,92	--	--	-19.71	-54.54	-27.38	-44.97
--	--	--	--	--	--	--	--
15,45,23	23,12,72	--	--	-18.95	-38.69	-36.30	-39.15
--	--	--	--	--	--	--	--
12,38,31,03	8,91,61,24	3,97,59	9,42,40,84	-11.77	+1.60	-17.06	-7.59
1,61,17,01	26	--	61,10,35	-10.23	+4.66	-8.32	+80.85
13,99,48,04	8,91,61,50	3,97,59	10,03,51,19	-11.57	+2.49	-15.85	+5.32

## विनियोग लेखे का सारांश (कमशः)

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में आधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

### राजस्व प्रभाग

1. 21-ऊर्जा

### पूँजीगत प्रभाग

1. 17 -कृषि कर्म एवं अनुसंधान
2. 18 -सहकारिता
3. 22 -लोक निर्माण कार्य
4. 25 -खाद्य
5. 29 -औद्योगिक विकास

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत भी व्ययाधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है-

### पूँजीगत प्रभाग

- 07 -वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं

इसके अतिरिक्त, कुल व्यय में पूर्व वर्षों का आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन का ₹ 83,95,10 हजार सम्मिलित है जिसमें से ₹ 81,80,68 हजार राजस्व दत्तमत, ₹ 90,34 हजार पूँजीगत दत्तमत तथा ₹ 1,24,08 हजार ऋण तथा अग्रिम अनुभाग से सम्बन्धित है। आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन को अनुदानों के उपशीर्षों जिससे यह सम्बन्धित है के अन्तर्गत भी दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 71,42,33 हजार सम्मिलित नहीं हैं जो कि आकरिमकता निधि के अग्रिम से वर्ष 2009-10 में व्यय किये गये थे तथा जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हो पायी थी। इस व्यय के ब्यारे परिशिष्ट-I में दिये गये हैं।

चूँकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु सकल राशियों के प्रति होता है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियाँ (व्यौरेवार परिशिष्ट -II में दिये गये हैं) सम्मिलित नहीं हैं जिनका समायोजन लेखों में व्यय से कटौती करके किया गया है। शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं।




### विनियोग लेखे का सारांश (समाप्त)

विनियोग लेखे के अनुसार 2009-2010 के कुल व्यय इस अवधि के वित्त लेखे में प्रदर्शित कुल व्यय समाधान निम्नवत् हैं।

	भारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत (हजार ₹ में)
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	14,13,95,27	13,73,03,17	92,56,29,99	32,26,16,12
घटाइये-परिशिष्ट-II में प्रदर्शित कुल वसूलियाँ	--	--	12,78,51	15,49,71,85
वित्त लेखे के विवरण संख्या 10 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	14,13,95,27	13,73,03,17	92,43,51,48	16,76,44,27

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट -II में दर्शाया गया है।




## भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विनियोग लेख वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे इस वर्ष की प्राप्तियों और व्ययों के लेखे प्रस्तुत करते हैं, साथ ही ये राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणाम, लोक ऋण के लेखाओं और लेखाओं में दर्ज शेषों के आधार पर निकाली गई देयताओं और परिसम्पत्तियों को भी प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा उत्तराखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

उत्तराखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं संकलन, लेखाओं के अनुरक्षण, वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के संकलन, उनकी तैयारी तथा उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वाह महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतन्त्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतन्त्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबन्धन ढांचा है।



यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानदण्डों के अनुसार की गई थी। इन मानदण्डों में यह अपेक्षित है कि हम समुचित आश्वासन प्राप्त करने, कि लेखे सामग्री मिथ्याकथन से मुक्त है, के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें। एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा किए गए प्रकटनों से संगत साक्ष्य की नमूना आधार पर जाँच शामिल है।


मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर, तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले उत्तराखण्ड सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

दिनांक: 11 OCT 2010  
स्थान:

(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



**अनुदान सं० ०१**                      **विधान सभा**

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व:  
2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

दत्तमत-

मूल	13,97,21		
		13,97,21	12,33,16
पूरक	00		-1,64,05
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2010)			1,65,21

प्रभारित-

मूल	79,81		
		79,81	59,89
पूरक	00		-19,92
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2010)			26,40

पूँजीगत:

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	50,00		
		50,00	47,00
पूरक	00		-3,00
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2010)			00

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,64.05 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध ₹ 1,65.21 लाख के अभ्यर्पण न्यायसंगत सिद्ध नहीं हुए।
- (ii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	--------------------------------------

- |     |                                               |         |         |         |
|-----|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| (1) | 2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल |         |         |         |
|     | 02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल        |         |         |         |
|     | 101 विधान सभा                                 |         |         |         |
|     | 03 विधान सभा                                  |         |         |         |
|     | मूल                                           | 6,69.39 |         |         |
|     | पुनर्वि०                                      | -90.33  | 5,79.06 | 5,73.51 |
|     |                                               |         |         | -5.55   |

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 10-03-2010 को ₹ 6.20 लाख तथा दिनांक 31-03-2010 को अभ्यर्पण द्वारा ₹ 84.13 लाख की कमी मुख्यतः वेतन, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, विद्युत व्यय, टेलीफोन, कार्यालय प्रयोगार्थ स्टॉफ कार, पेट्रोल का क्रय, गाड़ियों का रख-रखाव, कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर का क्रय, कम्प्यूटर का रख-रखाव तथा लेखन सामाग्री में बचत के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(2)	103 विधान मण्डल सचिवालय 03 विधान सभा सचिवालय			
	मूल	7,27.82	6,52.94	+6.72
	पुनर्वि०	-74.88		

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 10-03-2010 को ₹ 6.20 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 81.08 लाख के अभ्यर्पण मुख्यतः वेतन, मजदूरी, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते, लेखन सामाग्री तथा प्रपत्रों की छपाई, फर्नीचर एवं उपकरण, रख-रखाव एवं अवकाश यात्रा रियायत में बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त क्रम सं० (1) के लेखाशीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत तथा क्रम सं० (2) के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

#### प्रभारित-

(iii) ₹ 19.92 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध ₹ 26.40 लाख के अभ्यर्पण न्यायसंगत सिद्ध नहीं हुए।

(iv) बचत के कारण अभ्यर्पण निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
	2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान अण्डल			
	02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल			
	101 विधान सभा			
	03 विधान सभा			
	मूल	79.81	53.41	+6.48
	पुनर्वि०	-26.40		

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 26.40 लाख की कमी वेतन, यात्रा व्यय, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, विद्युत व्यय, टेलीफोन व्यय, गाड़ियों का रख-रखाव तथा पेट्रोल का क्रय, चिकित्सा व्यय, अन्य व्यय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के क्रय में बचत के कारण की गई। उक्त बचत माननीय उपाध्यक्ष का पद वित्त वर्ष के मध्य से रिक्त हो जाने के कारण परिलक्षित हुई। उपरोक्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।



पूँजीगत:  
दत्तमत—

- (v) ₹ 3.00 लाख की अन्तिम बचत में से कोई राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।  
(vi) बचत निम्नतः परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹में)
4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय			
80	सामान्य			
800	अन्य व्यय			
03	विधान सभा में सभामण्डल, 20 कक्षीय अतिथि गृहों का निर्माण			
	मूल	50.00	50.00	47.00
				-3.00

उपरोक्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

## अनुदान सं० 02 राज्यपाल

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	-------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2012 राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

प्रभारित-

मूल	4,37,45		
		4,37,45	3,47,61
पूरक	00		-89,84
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2010)			89,32

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

प्रभारित-

- (i) ₹ 89.84 लाख की अन्तिम बचत में ₹ 89.32 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।  
(ii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	-------------	---------------	--------------------------------------

- (1) 2012 राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक  
03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक  
090 सचिवालय  
03 अधिष्ठान व्यय  
मूल 2,05.05  
पुनर्वि० -39.10

1,65.95      1,65.95      0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 24-12-2009 को ₹ 1.25 लाख तथा दिनांक 19-03-2010 को ₹ 3.50 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, गाड़ियों का रख-रखाव एवं पेट्रोल का क्रय तथा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 29-03-2010 को प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.50 लाख की कमी टेलीफोन व्यय में बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 42.35 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, मजदूरी, यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते, लेखन सामग्री एवं प्रपत्रों की छपाई, टेलीफोन तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफवेयर के क्रय में बचत के कारण की गई।

- (2) 101 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों की परिलब्धियां एवं भत्ते  
03 राज्यपाल  
मूल 14.70

12.65      12.65      0.00

पुनर्वि० -2.05

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 2.05 लाख की कमी वेतन एवं मशीन तथा औजार में बचत के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)	
(3)	103 पारिवारिक स्थापना 03 कर्मचारीवर्ग मूल	1,16.33	75.59	75.10	-0.49
	पुनर्वि०	-40.74			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 24-12-2009, 11-03-2010 एवं 19-03-2010 को ₹ 11.70 लाख की कमी महंगाई भत्ता एवं कार्यालय व्यय में बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 29.04 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते तथा महंगाई वेतन में बचत के कारण किए गए।

(4)	105 चिकित्सा सुविधायें 03 चिकित्सा सम्बन्धी व्यय मूल	30.52	26.85	26.84	-0.01
	पुनर्वि०	-3.67			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 24-12-2009 को ₹ 1.25 लाख तथा दिनांक 19-03-2010 को ₹ 3.25 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय तथा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 8.17 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, चिकित्सा व्यय तथा अन्य व्यय में बचत के कारण किए गए।

(5)	800 अन्य व्यय 04 राज्य भवन की स्वच्छता मूल	11.70	7.11	7.10	-0.01
	पुनर्वि०	-4.59			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 24-02-2010 को ₹ 0.25 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय में निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 4.84 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते तथा अन्य व्यय में बचत के कारण किए गए। उपरोक्त क्रम सं० (3) के शीर्ष के अन्तर्गत बचत का कारण पुनर्विनियोजन आदेश का अंकन न होना सूचित किया गया (अगस्त 2010)।

(iii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2012 राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक 03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक 800 अन्य व्यय 05 सजावट के सामान के अनुरक्षण और नवीनीकरण के लिए अनुदान मूल	2.90	0.80	0.00	-0.80
	पुनर्वि०	-2.10			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14-12-2009 को ₹ 1.70 लाख तथा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 0.40 लाख के अभ्यर्पण द्वारा कमी सजावट के सामानों के अनुरक्षण तथा नवीनीकरण में हुई बचत के कारण की गई।

वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे। उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत का कारण पुनर्विनियोजन आदेश में त्रुटि होना सूचित किया गया।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)	
(2)	06 पदों के नवीनीकरण के लिए विशेष अनुदान मूल	1.00	0.00	0.00	
	पुनर्वि०	-1.00			
	उपरोक्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण एवं अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				
	(iv) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:				
(1)	2012 राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक 03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक 106 मनोरंजन खर्च 03 मनोरंजन/सम्मान सत्कार तथा आतिथ्य व्यय मूल	1.70	3.89	4.69	+0.80
	पुनर्वि०	2.19			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14-12-2009 को ₹ 1.70 लाख तथा दिनांक 30-03-2010 को ₹ 0.50 लाख की वृद्धि सम्मान, सत्कार तथा आतिथ्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। यद्यपि, दिनांक 31-03-2010 को ₹ 0.01 लाख के अभ्यर्पण बचत के कारण किए गए। उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य पुनर्विनियोजन आदेश के कारण होना सूचित किया गया।				
(2)	108 दौरा खर्च 03 दौरा खर्च मूल	6.20	7.38	7.38	0.00
	पुनर्वि०	1.18			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 11-03-2010 को ₹ 2.20 लाख की वृद्धि मोटर गाड़ियों के रख-रखाव एवं पेट्रोल के क्रय तथा अन्य व्यय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई। यद्यपि, दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1.02 लाख के अभ्यर्पण उपरोक्त मदों में बचत के कारण किए गए।				
(3)	800 अन्य व्यय 03 राज्यपाल के लिए कार का क्रय मूल	10.00	11.50	11.50	0.00
	पुनर्वि०	1.50			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29-03-2010 को ₹ 1.50 लाख की वृद्धि स्टॉफ कार/मोटर गाड़ी के क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				

## अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद्

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
राजस्व :			
2013 मंत्रिपरिषद्			
दत्तमत-			
मूल	30,16,95		
पूरक	4,62,45	34,79,40	32,89,61
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2010)			-1,89,79
			2,05,35

### टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,89.79 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध ₹ 2,05.35 लाख के अभ्यर्पण न्यायसंगत सिद्ध नहीं हुए।
- (ii) ₹ 1,89.79 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 को प्राप्त ₹ 4,62.45 लाख के अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख में)
(1)	2013 मंत्रि परिषद्			
	00			
	101 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का वेतन			
	03 मंत्रिगण, उपमंत्रिगण तथा सभा सचिव के वेतन एवं अन्य अनुमन्य भत्ते			
	मूल	66.64		
			65.32	67.34
	पुनर्वि०	-1.32		+2.02
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उच्चतम समायोजन के ₹ 2,01,500 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1.32 लाख की कमी वेतन एवं अन्य भत्ते में बचत के कारण की गई।			
(2)	04 भारत सरकार को देय आय कर की धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी			
	मूल	8.00		
			3.00	3.00
	पुनर्वि०	-5.00		0.00
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 5.00 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्ययों में बचत के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(3)	105 मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान			
	03 मुख्य मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान			
	मूल	25,00.00		
	पूरक	4,62.45	28,78.75	28,80.05
	पुनर्वि०	-83.70		+1.30

माह दिसम्बर 2009 में प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 4,62.45 लाख द्वारा प्रावधान में वृद्धि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से ली गई धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 83.70 लाख के अभ्यर्पण मुख्यमंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान के अन्तर्गत अन्य व्यय में बचत के कारण किए गए।

(4)	108 दौरा खर्च			
	03 मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का यात्रा व्यय			
	मूल	85.01		
	पुनर्वि०	-35.77	49.24	61.89

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23-02-2010 को ₹ 15.00 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 20.77 लाख की कमी यात्रा व्यय में बचत के कारण की गई।

(5)	800 अन्य व्यय			
	03 मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय			
	मूल	2,71.00		
	पुनर्वि०	-44.28	2,26.72	2,26.31

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 44.28 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय में मुख्यतः कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री, टेलीफोन, स्टॉफ कार/मोटर गाड़ियों का क्रय, गाड़ियों का रख-रखाव एवं पेट्रोल का क्रय तथा अन्य व्यय में बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त क्रम सं० (3) एवं (4) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2013	मंत्रि परिषद्			
	00			
	105 मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान			
	04 मन्त्री द्वारा मुख्यमन्त्री की सहमति से अनुदान			
	मूल	50.00		
	पुनर्वि०	-50.00	0.00	0.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2010 को सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण अन्य व्यय में निधि के अप्रयुक्त रहने के कारण किये गये।

(v) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

कम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
	2013 मंत्रि परिषद्			
	00			
	104 मनोरंजन तथा सत्कार भत्ते			
	03 मनोरंजन तथा सत्कार खर्च मूल	36.30		
			51.02	
	पुनर्वि०	14.72	51.02	0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23-02-2010 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि आतिथ्य व्यय के अन्तर्गत निधि के कम आवंटन के कारण किए गए। यद्यपि, दिनांक 31-03-2010 को ₹ 0.28 लाख के अभ्यर्पण इसी मद में बचत के कारण किए गए।

**अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन**

मुख्य लेखाशीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
राजस्व :				
2014 न्याय प्रशासन				
दत्तमत-				
मूल	77,40,18			
पूरक	3	77,40,21	48,83,69	-28,56,52
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2010)				29,18,61
प्रभारित-				
मूल	23,78,51			
पूरक	00	23,78,51	11,49,50	-12,29,01
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2010)				11,63,11
पूंजीगत :				
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय				
दत्तमत-				
मूल	5,00,00			
पूरक	00	5,00,00	5,00,00	00
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2010)				00

**टिप्पणियाँ एवं टीकार्यें**

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 28,56.52 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध ₹ 29,18.61 लाख के अभ्यर्पण न्यायसंगत सिद्ध नहीं हुए।
- (ii) ₹ 28,56.52 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए अनुपूरक अनुदान के द्वारा टोकन प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2014 न्याय प्रशासन 00 105 सिविल और सेशन न्यायालय			



क्रम सं०	लेखाशीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	03 जिला तथा सेशन न्यायाधीश				
	मूल	49,36.71			
	पूरक	0.03	30,84.49	31,15.21	+30.72
	पुनर्वि०	-18,52.25			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06 तथा 2007-08 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 4,57,496, ₹ 10,689, ₹ 2,50,071, ₹ 3,10,444 तथा ₹ 8,56,680 भी सम्मिलित है।				
(2)	04 पारिवारिक न्यायालय				
	मूल	2,50.26			
			1,27.46	1,29.73	+2.27
	पुनर्वि०	-1,22.80			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,36,167 भी सम्मिलित है।				
(3)	06 रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय				
	मूल	26.78			
			11.64	11.64	0.00
	पुनर्वि०	-15.14			
(4)	108 दण्ड न्यायालय				
	03 नियमित अधिष्ठान				
	मूल	8,04.72			
			4,89.03	4,91.80	+2.77
	पुनर्वि०	-3,15.69			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 तथा 2007-08 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 1,13,513, ₹ 30,971, ₹ 18,519 तथा ₹ 1,08,049 भी सम्मिलित है।				
(5)	114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)				
	03 महाधिवक्ता				
	मूल	3,51.35			
			2,89.63	2,93.15	+3.52
	पुनर्वि०	-61.72			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 2,97,924 तथा ₹ 12,386 भी सम्मिलित है।				
(6)	04 विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता				
	मूल	4,17.21			
			2,89.67	3,10.35	+20.68
	पुनर्वि०	-1,27.54			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2006-07 तथा 2007-08 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 84,808, ₹ 6,830, ₹ 50,560 तथा ₹ 20,963 भी सम्मिलित है।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(7)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	3,43.02		
	पुनर्वि०	-1,51.43		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 7,456 भी सम्मिलित है।	1,91.59	1,91.67	+0.08
(8)	04 लोक सेवा अधिकरण			
	मूल	1,81.47		
	पुनर्वि०	-50.20		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,68,987 भी सम्मिलित है।	1,31.27	1,33.01	+1.74
(9)	05 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण			
	मूल	62.86		
	पुनर्वि०	-24.11		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 14,120 भी सम्मिलित है।	38.75	38.89	+0.14
(10)	06 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण			
	मूल	62.65		
	पुनर्वि०	-13.07		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2007-08 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 4,300, ₹ 9,976 तथा ₹ 15,007 भी सम्मिलित है।	49.58	49.71	+0.13
(11)	07 महाप्रशासक कार्यालय, नैनीताल			
	मूल	19.80		
	पुनर्वि०	-10.78		
		9.02	9.02	0.00
(12)	08 अधिवक्ता कल्याण कोष में कोषागार की प्राप्तियों के समतुल्य अन्तरण			
	मूल	25.00		
	पुनर्वि०	-8.72		
		16.28	16.28	0.00
(13)	09 उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी			
	मूल	1,22.23		
	पुनर्वि०	-29.04		
		93.19	93.18	-0.01

उपरोक्त क्रम सं० (1) से (13) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान का अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त क्रम सं० (1), (2), (4) से (6) एवं (8) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत हुए अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2014 न्याय प्रशासन 00 105 सिविल और सेशनस न्यायालय 05 न्यायिक भवनों का प्रतिकर मूल	1,00.00		
	पुनर्वि०	-1,00.00	0.00	0.00
	वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।		0.00	0.00
(2)	800 अन्य व्यय 10 लोक अदालत मूल	35.12		
	पुनर्वि०	-35.12	0.00	0.00
	वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।		0.00	0.00
(3)	12 राज्य विधिक सहायता निधि मूल	1.00		
	पुनर्वि०	-1.00	0.00	0.00
	वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।		0.00	0.00

(v) दृष्टांत जहां आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के कारण व्यय परिलक्षित हुआ:

2014 न्याय प्रशासन 00 102 उच्च न्यायालय 03 उच्च न्यायालय मूल	0.00			
पूरक	0.00	0.00	0.04	+0.04
पुनर्वि०	0.00			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 3,640 भी सम्मिलित है।

प्रभारित-

(vi) ₹ 12,29.01 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 11,63.11 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

(vii) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
2014	न्याय प्रशासन			
	00			
	102 उच्च न्यायालय			
	03 उच्च न्यायालय			
	मूल	23,78.51		
			12,15.40	11,49.50
	पुनर्वि०	-11,63.11		-65.90

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 11,63.11 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, मजदूरी, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत, जल कर, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, स्टॉफ कार/मोटर गाड़ियों का क्रय, गाड़ियों का रख-रखाव एवं पेट्रोल का क्रय, मशीन एवं उपकरण एवं अवकाश यात्रा व्यय रियायत में हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(viii) पूँजीगत बजट का प्रावधान ₹ 5,00.00 लाख वर्ष के दौरान निम्न शीर्ष के अन्तर्गत उपयोग किया गया:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
	60 अन्य भवन			
	051 निर्माण			
	03 न्यायिक कार्य हेतु भवनों का निर्माण			
	मूल	5,00.00	5,00.00	5,00.00
				0.00

## अनुदान सं० 05 निर्वाचन

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
<b>राजस्व :</b>			
2015 निर्वाचन			
<b>दत्तमत-</b>			
मूल	27,86,57		
		27,86,57	24,21,12
पूरक	00		-3,65,45
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2010)			00

### टिप्पणियाँ एवं टीकायें

#### राजस्व:

#### दत्तमत-

- (i) ₹ 3,65.45 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2015 निर्वाचन			
	00			
	103 निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	4,00.00	4,00.00	3,35.21
				-64.79
(2)	03 विधान सभा एवं संसद			
	मूल	38.10	38.10	18.64
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 43,437 भी सम्मिलित है।			-19.46
(3)	05 निर्वाचन अधिष्ठान व्यय (50% के०पो०)			
	मूल	3,99.66	3,99.66	2,42.69
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 तथा 2005-06 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 60,060, ₹ 10,297, ₹ 11,525 तथा ₹ 3,275 भी सम्मिलित है।			-1,56.97
(4)	105 संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार			
	03 सामान्य निर्वाचन			
	मूल	18,60.00	18,60.00	17,79.43
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 680 भी सम्मिलित है।			-80.57

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(5)	106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार			
	05 उप निर्वाचन-राज्य विधान सभा			
	मूल	88.52	88.52	45.15
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त बचत को अभ्यर्पित नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			-43.37

## अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
<b>राजस्व :</b>			
2029 भू-राजस्व			
2053 जिला प्रशासन			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075 विविध सामान्य सेवाएं			
2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत			

### दत्तमत-

मूल	3,49,25,81			
		3,86,30,45	3,29,56,14	-56,74,31
पूरक	37,04,64			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				6,32,52

### प्रभारित-

मूल	1,24,91			
		1,24,91	1,24,17	-74
पूरक	00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				00

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 4,67,385 नहीं लिये गये जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

### पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

### दत्तमत-

मूल	36,22,38			
		36,22,38	10,06,93	-26,15,45
पूरक	00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				22,55,29

### टिप्पणियाँ एवं टीकायें

#### राजस्व:

#### दत्तमत-

- (i) ₹ 56,74.31 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 6,32.52 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 56,74.31 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 में प्राप्त ₹ 37,04.64 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(iii) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2029 भू-राजस्व 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 भूमि अध्याप्ति-सामान्य राजस्व व्यय मूल 2,45.81 पूरक 30.40 पूरक 21.00	2,97.21	2,65.35	-31.86

वास्तविक व्यय में वर्ष 2007-08 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,22,217 भी सम्मिलित है।

माह दिसम्बर 2009 में ₹ 30.40 लाख के अनुपूरक अनुदान द्वारा अतिरिक्त प्रावधान भू-राजस्व विभाग के कर्मचारियों को वेतन एवं महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु किया गया।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22-03-2010 को ₹ 21.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2)	04 राजस्व आयुक्त अधिष्ठान मूल 1,31.38 पूरक 5.00	1,36.38	1,30.90	-5.48
-----	-------------------------------------------------------	---------	---------	-------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 34,414 भी सम्मिलित है।

माह दिसम्बर 2009 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की वृद्धि राजस्व आयुक्त अधिष्ठान हेतु वेतन, महंगाई भत्ता, विद्युत व्यय, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण तथा महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3)	05 राजस्व पुलिस का सुदृढीकरण मूल 7.00	7.00	4.49	-2.51
-----	------------------------------------------	------	------	-------

(4)	101 संग्रहण प्रभार 03 भू-राजस्व (माल गुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार मूल 18,56.02 पूरक 2,00.70 पुर्नि० 1,20.00	21,76.72	19,91.26	-1,85.46
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा 2007-08 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 11,16,522, ₹ 13,859, ₹ 1,861, ₹ 27,548, ₹ 5,553 तथा ₹ 2,87,148 भी सम्मिलित है।

माह दिसम्बर 2009 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.70 लाख की वृद्धि कर्मचारियों को वेतन एवं महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18-02-2010 को ₹ 1,20.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्यय की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(5)	103 भू-अभिलेख 03 जिला अधिष्ठान			
	मूल	64,49.21		
	पूरक	5,00.40	69,28.61	64,49.75
	पुनर्वि०	-21.00		-4,78.86
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा 2007-08 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 8,89,783, ₹ 6,59,828, ₹ 10,423, ₹ 10,40,554, ₹ 29,335 तथा ₹ 16,34,804 भी सम्मिलित है।			
	माह दिसम्बर 2009 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्रावधान में वृद्धि भू-अभिलेख विभाग के कर्मचारियों के वेतन एवं महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21.00 लाख की कमी अन्य व्यय में बचत के कारण की गई।			
(6)	04 कृषि गणना (100% कै०स०)			
	मूल	50.88		
			52.00	4.76
	पूरक	1.12		-47.24
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 6,009 भी सम्मिलित है।			
	माह दिसम्बर 2009 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्रावधान में वृद्धि कृषि गणना मुख्यालय के अन्य भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(7)	800 अन्य व्यय 03 खेतों की चकबन्दी			
	मूल	3,66.12		
			4,10.12	4,00.49
	पूरक	44.00		-9.63
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 5,59,910 भी सम्मिलित है।			
	माह दिसम्बर 2009 को अनुपूरक अनुदान द्वारा प्रावधान में वृद्धि खेतों की चकबन्दी (जिला अधिष्ठान) के कर्मचारियों के वेतन एवं महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(8)	2053 जिला प्रशासन 00 093 जिला स्थापनायें 03 कलक्टरी स्थापना			
	मूल	50,14.02		
	पूरक	15,61.50	64,52.51	55,58.34
	पुनर्वि०	-1,23.01		-8,94.17
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा 2007-08 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 7,44,568, ₹ 1,16,756, ₹ 6,163, ₹ 42,880, ₹ 50,439 तथा ₹ 16,59,290 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 में वृद्धि जिला प्रशासन के कलक्टरी स्थापना के कर्मचारियों को वेतन, महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन तथा अन्य भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18-03-2010 को ₹ 1,20.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 3.01 लाख की कमी वेतन एवं आतिथ्य व्यय में बचत के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(9)	094 अन्य स्थापनायें			
	03 राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केन्द्र			
	मूल	38.52		
	पूरक	1.00		
	अनुपूरक अनुदान द्वारा अतिरिक्त प्रावधान किराया, शुल्क तथा कर के भुगतान हेतु प्राप्त किया गया।	39.52	31.40	-8.12
(10)	101 आयुक्त			
	03 मुख्य कार्यालय			
	मूल	2,01.01		
	पूरक	10.60		
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 में अतिरिक्त प्रावधान आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु प्राप्त किया गया।	2,11.61	1,79.17	-32.44
(11)	2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें			
	00			
	003 प्रशिक्षण			
	03 राज्य प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल			
	मूल	3,23.10		
	पूरक	25.09		
	पुनर्वि०	-23.08		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 68,716 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 25.09 लाख की वृद्धि राज्य प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल हेतु वेतन, महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन एवं अन्य व्यय के भुगतान के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 23.08 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय में मुख्यतः महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, मशीन एवं औजार तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में बचत के कारण किए गए।	3,25.11	3,25.80	+0.69
(12)	104 सतर्कता			
	04 सतर्कता अधिष्ठान			
	मूल	3,09.71		
	पूरक			
	पुनर्वि०			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 68,716 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 25.09 लाख की वृद्धि राज्य प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल हेतु वेतन, महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन एवं अन्य व्यय के भुगतान के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 23.08 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय में मुख्यतः महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, मशीन एवं औजार तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में बचत के कारण किए गए।	3,09.71	2,61.37	-48.34
(13)	105 विशेष जांच आयोग			
	03 राज्य आयोग और समितियां			
	मूल	53.42		
	पूरक	1.00		
	पुनर्वि०	-31.87		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 में वृद्धि राज्य आयोग और समितियों के किराया, शुल्क एवं कर के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 31.87 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।	22.55	22.55	0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)	
(14)	106 सिविल रक्षा 03 स्थापना (25% केन्द्र पोषित) मूल	33.76	41.96	34.98	-6.98
	पूरक	8.20			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 8.20 लाख की वृद्धि सिविल रक्षा के कर्मचारियों के वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(15)	107 होमगार्ड्स 03 सामान्य अधिष्ठान मूल	13,32.21	13,32.21	13,18.39	-13.82
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2005-06 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 3,27,920 तथा ₹ 1,59,500 भी सम्मिलित है।				
(16)	04 भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किए जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत) मूल	4,35.87	4,35.87	2,81.53	-1,54.34
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 81,589, ₹ 87,561, ₹ 53,191, ₹ 3,639 तथा ₹ 1,52,202 भी सम्मिलित है।				
(17)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्र आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	3.05	34.00	23.98	-10.02
	पूरक	30.95			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 43,820 तथा ₹ 23,54,333 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 30.95 लाख की वृद्धि स्टॉफ कार/मोटर गाड़ियों के कय के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(18)	13 सूचना आयोग की स्थापना मूल	1,14.63	1,01.12	1,01.11	-0.01
	पुनर्वि०	-13.51			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 13.51 लाख के अभ्यर्पण सूचना आयोग की स्थापना में बचत के कारण किए गए।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(19)	2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत 05 आपदा राहत निधि 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 1,73,05.00	1,69,18.36	1,47,77.80	-21,40.56
	पुनर्वि० -3,86.64			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 3,70,000 भी सम्मिलित है।			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 3,86.64 लाख के अभ्यर्पण राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि, जिला आपदा प्रतिक्रिया निधि तथा जिला आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत अन्य व्यय में बचत के कारण किए गए।			
(20)	10 आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र मूल 1,00.00	95.67	95.67	0.00
	पुनर्वि० -4.33			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 4.33 लाख के अभ्यर्पण आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के अन्तर्गत अन्य व्ययों में बचत के कारण किए गए।			
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत जहां अन्तिम बचत परिलक्षित हुई है, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			
	(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
(1)	2029 भू-राजस्व 00 103 भू-अभिलेख 05 राष्ट्रीय भूमि संसाधन प्रबन्धन कार्य पूरक 12,07.02	12,07.02	0.00	-12,07.02
(2)	2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 00 104 सतर्कता 05 लोक आयुक्त संगठन पूरक 11.19	11.19	0.00	-11.19
(3)	800 अन्य व्यय 15 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत पैनल का गठन मूल 10.00	10.00	0.00	-10.00
(4)	2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत 05 आपदा राहत निधि 800 अन्य व्यय 04 आपदा राहत हेतु अनुदान मूल 1,00.00	1,00.00	0.00	-1,00.00
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(5)	05 आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण मूल	18.02	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-18.02	0.00	0.00
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।			
(6)	06 दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास मूल	1,00.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-1,00.00	0.00	0.00
	वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।			
(7)	09 जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का संचालन मूल	50.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-50.00	0.00	0.00
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			
	(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:			
(1)	2075 विविध सामान्य सेवाएं 00 800 अन्य व्यय 09 अन्य प्रकीर्ण प्रतिकर (पिथौरागढ़ में लेप्स पी.एल.ए.) मूल	82.55	82.55	2,09.70
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उच्चतम समायोजन के ₹ 36 भी सम्मिलित है।			
(2)	10 अशोक चक्र/वीर चक्र/जीवन रक्षा से विभूषित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त पुरस्कार मूल	1,93.45	2,50.86	4,32.23
	पूरक	59.47		+1,81.37
	पुनर्वि०	-2.06		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 के आपत्तिगत बही उच्चतम समायोजन के ₹ 3,500 भी सम्मिलित है। अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को अतिरिक्त प्रावधान अशोक चक्र, वीर चक्र, जीवन रक्षा मेडल के पुरस्कार के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए किए गए। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 2.06 लाख के अभ्यर्पण उक्त शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण किए गए।			
(3)	14 अन्य प्रकीर्ण प्रतिकर लैप्स चैक पुनर्वि०	5.00	5.00	46.65
	उपरोक्त क्रम सं० (1) से (3) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			

(vi) दृष्टांत जहां व्यय आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 00			
	107 होमगार्ड्स			
	06 विधान सभा निर्वाचन			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	2.00
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 2,00,000 भी सम्मिलित है।

(2)	2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत 05 आपदा राहत निधि			
	800 अन्य व्यय			
	03 आपदा राहत समिति			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	3.34
	पुनर्वि०	0.00		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 3,33,700 भी सम्मिलित है।

प्रभारित-

- (vii) ₹ 0.74 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।  
(viii) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
	2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 00			
	104 सर्तकता			
	05 लोक आयुक्त संगठन			
	मूल	1,24.91	1,24.91	1,24.17

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (ix) ₹ 26,15.45 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 22,55.29 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।  
(x) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80	सामान्य			
800	अन्य व्यय			
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	30,00.00		
		7,44.71	4,44.71	-3,00.00
	पुनर्वि०	-22,55.29		

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय				
	60 अन्य भवन				
	051 निर्माण				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।				
(2)	04 आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण				
	मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
<b>राजस्व :</b>			
2030	स्टाम्प पंजीकरण		
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क		
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं		
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन		
2049	ब्याज अदायगियां		
2052	सचिवालय-सामान्य सेवायें		
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन		
2059	लोक निर्माण कार्य		
2071	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ		
3451	सचिवालय - आर्थिक सेवाएं		
3454	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन		

**दत्तमत-**

मूल	19,64,97,76			
		19,67,13,73	15,48,16,85	-4,18,96,88
पूरक	2,15,97			
				32,03,74
				वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)

**प्रभारित-**

मूल	15,34,90,90			
		15,34,90,90	13,89,85,44	-1,45,05,46
पूरक	00			
				00
				वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)

**पूंजीगत:**

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
6003	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण
6004	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम
6075	विविध सामान्य सेवायें हेतु कर्ज
7610	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज
7615	विविध उधार

**दत्तमत-**

मूल	1,49,35,17			
		1,50,50,21	99,26,68	-51,23,53
पूरक	1,15,04			
				6,15,61
				वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)



मुख्य लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
प्रभारित—			
मूल	13,11,58,08		
पूरक	00	13,11,58,08	13,72,68,43
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)			+61,10,35
			00

## टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 4,18,96.88 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 32,03.74 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- ₹ 4,18,96.88 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 में प्राप्त पूरक अनुदान ₹ 2,15.97 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2030 स्टाम्प पंजीकरण 01 स्टाम्प न्यायिक 101 स्टाम्पों की लागत 03 न्यायिक स्टाम्प मूल	50.00	50.00	29.12
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 एवं 2005-06 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 3,714 तथा ₹ 6,258 भी सम्मिलित है।			-20.88
(2)	102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय 03 न्यायिक स्टाम्प मूल	1,00.00	1,00.00	7.14
	उपरोक्त शीर्ष में वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,404 एवं ₹ 7,539 भी सम्मिलित है।			-92.86
(3)	02 स्टाम्प न्यायिकेतर 101 स्टाम्पों की लागत 03 गैर अदालती स्टाम्प मूल	1,00.00	1,00.00	40.86
	उपरोक्त शीर्ष में वर्ष 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 130 भी सम्मिलित है।			-59.14
(4)	03 पंजीकरण 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 मुख्यालय मूल	44.61	44.61	34.36
	उपरोक्त शीर्ष में वर्ष 2001-02, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 5,792, ₹ 3,876 एवं ₹ 20,477 भी सम्मिलित है।			-10.25

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(5)	05 स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्टाम्प पंजीकरण क्षतिपूर्ति मूल	25,00.00	24,68.78	7,20.44	-17,48.34
	पुनर्वि०	-31.22			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 07-12-2009 को ₹ 11.07 लाख एवं 29-01-2010 को ₹ 20.15 लाख की कमी अन्य व्यय में बचत के कारण की गई।				
(6)	2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर 00 001 निदेशन एवं प्रशासन 03 अधिष्ठान मूल	3,84.11	2,78.02	2,78.44	+0.42
	पुनर्वि०	-1,06.09			
	उपरोक्त शीर्ष में वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 3,496 एवं ₹ 38,108 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1,06.09 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए। बचत रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण परिलक्षित हुई।				
(7)	05 वाणिज्य कर सलाहकार समिति का अधिष्ठान पूरक	2.25	0.88	0.88	0.00
	पुनर्वि०	-1.37			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1.37 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।				
(8)	06 पंजीकृत व्यापारियों के लिए बीमा योजना मूल	20.00	18.99	18.99	0.00
	पुनर्वि०	-1.01			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1.01 लाख के अभ्यर्पण विभिन्न कारणों से हुई बचत को सूचित किया गया।				
(9)	101 संग्रहण प्रभार 03 व्यापार कर अधिष्ठान मूल	33,59.78	24,94.79	25,06.13	-11.34
	पुनर्वि०	-8,64.99			
	उपरोक्त शीर्ष में वर्ष 2001-02, 2003-04, 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 4,44,592, ₹ 1,52,726, ₹ 5,48,396 एवं ₹ 61,839 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 8,64.99 लाख के अभ्यर्पण का कारण रिक्त पदों का न भरा जाना सूचित किया गया।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(10)	800 अन्य व्यय			
	05 वेट के अन्तर्गत वापसी			
	मूल	10,00.00		
	पुनर्वि०	-7,45.99		
			2,54.01	2,54.01
				0.00
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 7,45.99 लाख के अभ्यर्पण का कारण विभिन्न कारणों से हुई बचत को सूचित किया गया।			
(11)	2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
	00			
	101 संग्रहण प्रभार—मनोरंजन कर			
	03 मनोरंजन कर से सम्बन्धित अधिष्ठान			
	मूल	1,85.82	1,85.82	1,08.40
				-77.42
	उपरोक्त शीर्ष में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 26,007 एवं ₹ 957 भी सम्मिलित है।			
(12)	103 संग्रहण प्रभार—विद्युत शुल्क			
	03 विद्युत सुरक्षा निदेशालय			
	मूल	67.55		
	पूरक	8.60		
			76.15	70.12
				-6.03
	उपरोक्त शीर्ष में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,360 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 8.60 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता, कार्यालय व्यय, विद्युत व्यय एवं टेलीफोन व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(13)	2047 अन्य राजकोषीय सेवायें			
	00			
	103 अल्प बचतों की अभिवृद्धि			
	03 राज्य अल्प बचत संगठन			
	मूल	3,56.43	3,56.43	2,44.94
				-1,11.49
	उपरोक्त शीर्ष में वर्ष 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,994 एवं ₹ 7,780 भी सम्मिलित है।			
(14)	800 अन्य व्यय			
	03 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज, चिट फण्डस अधिनियम का क्रियान्वयन अधिष्ठान			
	मूल	62.68	62.68	53.88
				-8.80
(15)	2052 सचिवालय—सामान्य सेवायें			
	00			
	090 सचिवालय			
	03 सचिवालय अधिष्ठान			
	मूल	50,03.31		
	पूरक	12.03	39,97.89	39,91.97
	पुनर्वि०	-10,17.45		
				-5.92

उपरोक्त शीर्ष में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 10,93,633 भी सम्मिलित है।

अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 0.03 लाख का टोकन प्रावधान सचिवालय कर्मियों के वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु किया गया। वस्तुगत शीर्ष 12 एवं 26 हेतु ₹ 12.00 लाख का प्रावधान फर्नीचर एवं उपकरण/मशीन एवं औजार के क्रय हेतु प्राप्त किया गया।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-02-2010 को ₹ 99.78 लाख, दिनांक 17-03-2010 को ₹ 6.00 लाख, दिनांक 18-03-2010 को ₹ 17.00 लाख एवं दिनांक 28-03-2010 को ₹ 16.30 लाख तथा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 8,78.37 लाख के अभ्यर्पण द्वारा कमी अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई। बचत रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण परिलक्षित हुई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)	
(16)	04 सचिवालय प्रलेखीकरण केन्द्र एवं पुस्तकालय का विकास एवं विस्तार मूल	5.00	1.14	1.14	0.00
	पुनर्वि०	-3.86			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 3.86 लाख के अभ्यर्पण कार्यालय व्ययों में बचत के कारण किए गए।				
(17)	05 रेसिडेन्ट कमिश्नर नई दिल्ली अधिष्ठान मूल	79.14	70.55	70.72	+0.17
	पुनर्वि०	-8.59			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 34,762 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 8.59 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।				
(18)	06 पुनर्गठन आयुक्त-लखनऊ मूल	22.11	13.99	13.99	0.00
	पुनर्वि०	-8.12			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,170 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 8.12 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।				
(19)	11 सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान का अधिष्ठान मूल	47.21	25.46	25.90	+0.44
	पुनर्वि०	-21.75			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 21.75 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।				
(20)	12 विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान मूल	31.94	35.44	13.80	-21.64
	पूरक	3.50			
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को प्रावधान में वृद्धि विधायी प्रकोष्ठ के अधिष्ठान के कर्मियों के वेतन, महंगाई भत्ता, कार्यालय व्यय के भुगतान तथा कम्प्यूटर के अनुरक्षण एवं लेखन सामग्री हेतु की गई।				

कम सं०	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)	
(21)	13 सभी सचिवों के निजी स्टाफ हेतु मानदेय पूरक	7.00	3.41	3.41	0.00
	पुनर्वि०	-3.59			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 3.59 लाख के अभ्यर्पण माननीय अध्यक्ष के निजी स्टाफ को भुगतान किए जाने वाले मानदेय में बचत के कारण किए गए।				
(22)	091 संलग्न कार्यालय				
	04 बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय मूल	42.21	24.17	22.65	-1.52
	पुनर्वि०	-18.04			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 18.04 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।				
(23)	05 जनपदों में विभिन्न विभागों के आवश्यकता से अधिक स्टाफ (सरप्लस स्टाफ) हेतु एक मुश्त व्यवस्था मूल	87.70	1,38.95	91.45	-47.50
	पूरक	51.25			
	उपरोक्त शीर्ष में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 6,50,064 भी सम्मिलित है।				
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 में प्रावधान में वृद्धि वेतन, यात्रा व्यय के भुगतान तथा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किया गया।				
(24)	09 संस्थागत वित्त प्रकोष्ठ की स्थापना मूल	11.28	11.28	1.89	-9.39
(25)	10 वित्त आयोग निदेशालय मूल	40.60	40.60	24.63	-15.97
(26)	97 यूएस0ए0आई0डी0 द्वारा पोषित परियोजना मूल	1,05.00	1,05.00	7.26	-97.74
(27)	800 अन्य व्यय				
	04 सरकारी कर्मचारियों को भविष्य निधि जमा बीमा योजना के सापेक्ष भुगतान मूल	2,00.00	2,00.00	80.79	-1,19.21
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 4,04,560 एवं ₹ 30,000 भी सम्मिलित है।				
(28)	2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन 00				
	095 लेखा तथा खजाना निदेशालय				
	03 कोषागार एवं वित्त सेवायें अधिष्ठान मूल	1,41.89	1,41.89	1,12.63	-29.26

अन्तिम बचत के संबन्ध में विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 771/3/(5)आंकड़ों का मिलान/2010 दिनांक 30-07-2010 द्वारा ₹ 29.26 लाख का एक अभ्यर्पण आदेश प्रस्तुत किया।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(29)	05 लेखा एवं हकदारी अधिष्ठान मूल	1,41.40		
	पूरक	0.03		
		1,41.43	1,35.22	-6.21
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को टोकन प्रावधान लेखा एवं हकदारी अधिष्ठान के कर्मियों को वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य व्यय के भुगतान हेतु किया गया।			
(30)	097 खजाना स्थापना 03 कोषागार अधिष्ठान मूल	27,35.09	27,35.09	23,57.71
				-3,77.38
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 29,09,474, ₹ 6,21,493, ₹ 9,672, ₹ 6,364 एवं ₹ 19,664 भी सम्मिलित है।			
	अन्तिम बचत के संबन्ध में विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 771/3/(5)आंकड़ों का मिलान/2010 दिनांक 30-07-2010 द्वारा ₹ 4,13.03 लाख का एक अभ्यर्पण आदेश प्रस्तुत किया।			
(31)	04 उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में वेतन एवं भुगतान कार्यालय मूल	23.01	23.01	15.64
				-7.37
	अन्तिम बचत के संबन्ध में विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 771/3/(5)आंकड़ों का मिलान/2010 दिनांक 30-07-2010 द्वारा ₹ 7.37 लाख का एक अभ्यर्पण आदेश प्रस्तुत किया।			
(32)	098 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा 03 स्थानीय निधि सम्प्रेक्षा मूल	2,45.86	2,45.86	2,31.98
				-13.88
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,01,497 एवं ₹ 1,29,363 भी सम्मिलित है।			
	अन्तिम बचत के संबन्ध में विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 771/3/(5)आंकड़ों का मिलान/2010 दिनांक 30-07-2010 द्वारा ₹ 16.19 लाख का एक अभ्यर्पण आदेश प्रस्तुत किया।			
(33)	04 सहकारी एवं पंचायतें लेखा परीक्षा मूल	5,10.91	5,10.91	4,61.08
				-49.83
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,47,653, ₹ 1,42,727, ₹ 32,499 एवं ₹ 1,046 भी सम्मिलित है।			
	अन्तिम बचत के संबन्ध में विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 771/3/(5)आंकड़ों का मिलान/2010 दिनांक 30-07-2010 द्वारा ₹ 54.05 लाख का एक अभ्यर्पण आदेश प्रस्तुत किया।			
(34)	05 जिला पंचायतों और क्षेत्र समितियों का लेखा संगठन मूल	1,82.85	1,82.85	1,01.69
				-81.16
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,304 एवं ₹ 2,146 भी सम्मिलित है।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(35)	2059 लोक निर्माण कार्य 80 सामान्य 053 रख-रखाव तथा मरम्मत 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ मूल	26,00.00	26,00.00	24,00.91	-1,99.09
(36)	2071 पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ 01 सिविल 102 पेंशन का सांराशीकृत मूल्य 03 पेंशनों की राशिमूल्य (कम्युटेड वैल्यु ऑफ पेंशन) मूल	1,70,50.00	1,70,50.00	1,07,13.53	-63,36.47
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 53,15,470 भी सम्मिलित है। उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के संबन्ध में विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 130(1)/XXVII(6)/2010 दिनांक 31-03-2010 द्वारा ₹ 7,82.20 लाख का प्रावधान घटाने हेतु एक पुनर्विनियोजन आदेश प्रस्तुत किया।					
(37)	104 उपादान 03 उपादान मूल	2,00,50.00	2,00,50.00	1,29,59.32	-70,90.68
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 99,64,500 भी सम्मिलित है। उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के संबन्ध में विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 130-A/XXVII(6)/2010 दिनांक 31-03-2010 द्वारा ₹ 65,64.04 लाख का प्रावधान घटाने हेतु एक पुनर्विनियोजन आदेश प्रस्तुत किया।					
(38)	105 परिवार पेंशन 03 परिवार पेंशन मूल	2,00,00.00	2,00,00.00	1,30,34.17	-69,65.83
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,55,464 भी सम्मिलित है।					
(39)	109 राज्य में सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन 03 सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सुविधाएं मूल	50,00.00	50,00.00	39,02.63	-10,97.37
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 16,307 भी सम्मिलित है।					
(40)	04 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवा निवृत्तिक सुविधाएं मूल	40,00.00	40,00.00	3,29.27	-36,70.73
(41)	05 राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन मूल	30,00.00	30,00.00	7,13.68	-22,86.32

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(42)	06 बेसिक शिक्षा के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्त लाभ मूल	70,00.00	70,00.00	22,08.02	-47,91.98
(43)	115 सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ 03 सेवा निवृत्ति/सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ मूल	54,95.00	54,95.00	51,45.18	-3,49.82
(44)	800 अन्य व्यय 05 पूर्ववर्ती यू०पी० स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड मूल	1,20.00	1,20.00	21.73	-98.27
(45)	3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं 00 092 अन्य कार्यालय 03 नियोजन अधिष्ठान मूल	1,58.23			
	पूरक	14.00	1,51.02	1,54.30	+3.28
	पुनर्वि०	-21.21			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 539 भी सम्मिलित है। प्रावधान में माह दिसम्बर 2009 में अनुपूरक अनुदान द्वारा वृद्धि वेतन एवं महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु की गई।				
(46)	04 आयोजनागत विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन मूल	2,50.00			
			16.66	15.30	-1.36
	पुनर्वि०	-2,33.34			
	उपरोक्त क्रम सं० (45) एवं (46) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अभ्यर्पण का कारण निधि का उपभोग न हो पाना सूचित किया गया।				
(47)	3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान मूल	9,17.83			
	पूरक	19.31	7,66.86	7,65.40	-1.46
	पुनर्वि०	-1,70.28			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 3,360, ₹ 16,414, ₹ 54,568, ₹ 22,363 एवं ₹ 32,071 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 में वृद्धि मजदूरी, यात्रा व्यय, गाड़ियों का रख-रखाव एवं पेट्रोल का क्रय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं को भुगतान, प्रकाशन तथा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(48)	04 बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान मूल	61.38	25.11	25.34	+0.23
	पुनर्वि०	-36.27			
	उपरोक्त क्रम सं० (47) एवं (48) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अभ्यर्पण का कारण निधि का उपभोग न हो पाना सूचित किया गया।				
(49)	3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 01 नगरीय स्थानीय निकाय 191 नगर निगम 03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल	31,76.56	31,76.56	26,66.33	-5,10.23
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 5,20,00,000 भी सम्मिलित है।				
(50)	192 नगर पालिका/नगर निकाय 03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल	90,20.04	90,20.04	79,65.52	-10,54.52
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 4,24,45,000 भी सम्मिलित है।				
(51)	193 नगर पंचायतें/नोटीफाइड एरिया/कमेटी आदि 03 राज्यवित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल	21,53.40	21,53.40	15,65.63	-5,87.77
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 55,80,000 भी सम्मिलित है।				
(52)	02 पंचायती राज संस्थाएं 196 जिला पंचायतें/परिषदें 03 राज्यवित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल	44,24.20	44,24.20	33,71.26	-10,52.94
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,78,90,000 भी सम्मिलित है।				
(53)	197 विकास खण्ड स्तरीय पंचायत 03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल	65,23.20	65,23.20	47,88.54	-17,34.66
(54)	04 राज्यवित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान मूल	47.50	47.50	45.60	-1.90
(55)	198 ग्राम पंचायतें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	16,80.00	16,80.00	16,32.06	-47.94

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(56)	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल	91,79.00	91,79.00	79,80.90	-11,98.10
(57)	05 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान मूल	9,95.42	9,95.42	7,69.18	-2,26.24
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य जहां परिलक्षित हुए हैं, (मुख्य लेखाशीर्ष '2054' तथा '2071' को छोड़कर) के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				
	(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:				
(1)	2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर 00 800 अन्य व्यय				
	04 गन्ना के क्रय कर के सापेक्ष शक्कर निधि को अन्तरण मूल	2,73.21	2,73.21	0.00	-2,73.21
(2)	06 प्रवेश कर के सापेक्ष विकास निधि को अन्तरण मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	-10,00.00
(3)	2052 सचिवालय-सामान्य सेवायें 00 091 संलग्न कार्यालय 11 तकनीकी सहायता प्रकोष्ठ मूल	6.00	6.00	0.00	-6.00
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(4)	800 अन्य व्यय 03 वेतन पुनरीक्षण एवं महंगाई भत्ते आदि की वृद्धियों के लिए एक मुश्त प्रावधान मूल	15,00.00	14,90.55	0.00	-14,90.55
	पुनर्वि०	-9.45			
	वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(5)	2071 पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ 01 सिविल 106 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबन्ध में पेंशन सम्बन्धी प्रभार 03 पेंशन तथा उपादान के अंशदान मूल	90.00	90.00	0.00	-90.00
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(6)	200 अन्य पेंशन 06 नई पेंशन योजना हेतु सीआरए को भुगतान मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	-1,00.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(7)	800 अन्य व्यय 06 राज्य सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष उपचार हेतु सहायता मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	-2,00.00
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(8)	09 राज्य न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को घरेलू सेवक भत्ता मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
(9)	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 00 092 अन्य कार्यालय 06 भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण की स्थापना मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
(10)	3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	5.00	5.00	0.00	-5.00
(11)	800 अन्य व्यय 03 एनआईसी स्टेट यूनिट को अनुदान मूल	2.00	2.00	0.00	-2.00
(12)	3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 01 नगरीय स्थानीय निकाय 191 नगर निगम 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	1,60.00	1,60.00	0.00	-1,60.00
	वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(13)	192 नगर पालिका/नगर निकाय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	4,51.00	4,51.00	0.00	-4,51.00
(14)	04 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
	वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(15)	193 नगर पंचायतें/नोटीफाइड एरिया/कमेटी आदि 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	92.00	92.00	0.00	-92.00
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2030 स्टाम्प पंजीकरण			
	02 स्टाम्प न्यायिकेतर			
	102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय			
	03 गैर अदालती स्टाम्प			
	मूल	2,00.00	2,00.00	3,41.14
	पुनर्वि०			+1,41.14
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 26,613, ₹ 84,358 एवं ₹ 1,770 भी सम्मिलित है।			
(2)	03 पंजीकरण			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	04 जिला व्यय			
	मूल	3,06.94		
	पुनर्वि०	31.22		
			3,38.16	3,10.92
				-27.24
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 95,575, ₹ 1,747 एवं ₹ 77,414 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 07-12-2009 को ₹ 11.07 लाख एवं दिनांक 29-01-2010 को ₹ 20.15 लाख की वृद्धि कम्प्यूटराइज्ड कार्यालय, उधम सिंह नगर में तैनात असिस्टेंट प्रोग्रामर एवं डाटा इन्ट्री आपरेटर के वेतन भुगतान हेतु की गई।			
(3)	2040 बिक्री व्यापार आदि पर कर			
	00			
	001 निदेशन एवं प्रशासन			
	04 वाणिज्य कर प्राधिकरण का अधिष्ठान			
	मूल	1,22.66		
	पुनर्वि०	-54.10		
			68.56	1,74.96
				+1,06.40
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,45,365 एवं ₹ 43,008 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 54.10 लाख के अभ्यर्पण का कारण रिक्त पदों का न भरा जाना सूचित किया गया।			
(4)	2052 सचिवालय-सामान्य सेवायें			
	00			
	090 सचिवालय			
	08 राष्ट्रीय उत्सव एवं राजकीय भोज पर व्यय			
	मूल	15.00		
	पूरक	1.00	21.31	21.31
	पुनर्वि०	5.31		0.00

अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को टोकन प्रावधान अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किया गया।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 17-03-2010 को ₹ 6.00 लाख की वृद्धि अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। यद्यपि दिनांक 31-03-2010 को ₹ 0.69 लाख के अभ्यर्पण वित्त वर्ष के अन्त में बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(5)	091 संलग्न कार्यालय			
	03 राज्य सम्पत्ति विभाग			
	मूल	9,86.01		
	पूरक	70.00	11,68.37	11,79.04
	पुनर्वि०	1,12.36		+10.67

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,19,696 भी सम्मिलित है।

अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 में प्रावधान में वृद्धि वेतन एवं महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28-03-2010 को ₹ 1,33.08 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता एवं मजदूरी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 20.72 लाख के अभ्यर्पण निधि की आवश्यकता न होने के कारण किए गए।

(6)	07 कार्यालय निरीक्षणालय			
	मूल	20.60		
			24.69	24.59
	पुनर्वि०	4.09		-0.10

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,080 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 26-10-2009 को ₹ 9.45 लाख की वृद्धि वेतन एवं महंगाई भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 5.36 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में बचत के कारण किए गए।

(7)	2071 पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ			
	01 सिविल			
	101 अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते			
	03 अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते			
	मूल	4,80,00.00	4,80,00.00	5,45,60.50

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 31,54,017 भी सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के संबन्ध में विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 130A/XXVII(6)/2010 दिनांक 31-03-2010 द्वारा ₹ 65,64.37 लाख का प्रावधान बढ़ाने हेतु एक पुनर्विनियोजन आदेश प्रस्तुत किया।

(8)	111 विधायकों को पेंशन-राज्य विधान मण्डल के सदस्य			
	03 विधायकों को पेंशन-राज्य विधान मण्डल के सदस्य			
	मूल	1,00.01	1,00.01	1,09.68

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 50,356 भी सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के संबन्ध में विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 130-A/XXVII(6)/2010 दिनांक 31-03-2010 द्वारा ₹ 9.67 लाख का प्रावधान बढ़ाने हेतु एक पुनर्विनियोजन आदेश प्रस्तुत किया।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(9)	800 अन्य व्यय 04 राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता			
	मूल	2,50.00	2,50.00	10,32.20 +7,82.20
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,50,014 भी सम्मिलित है।			
	उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के संबन्ध में विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 130(1)/XXVII(6)/2010 दिनांक 31-03-2010 द्वारा ₹ 7,82.20 लाख का प्रावधान बढ़ाने हेतु एक पुनर्विनियोजन आदेश प्रस्तुत किया।			
(10)	3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 02 पंचायती राज संस्थाएं 196 जिला पंचायतें/परिषदें 01. केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	6,48.00	6,48.00	6,52.02 +4.02
(11)	197 विकास खण्ड स्तरीय पंचायत 01 केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	9,72.00	9,72.00	9,79.24 +7.24
	पुनर्वि०			
	उपरोक्त क्रम सं० (1), (3), (5), (10) एवं (11) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य एवं क्रम सं० (2) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			

**राजस्व:  
प्रभारित-**

- (vi) ₹ 1,45,05.46 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vii) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(1)	2049 ब्याज अदायगियां 01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज 101 बाजार कर्जों पर ब्याज 09 राज्य विकास ऋण, 2009			
	मूल	15,29.93	15,29.93	6,74.90 -8,55.03
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,000 भी सम्मिलित है।			
(2)	10 राज्य विकास ऋण, 2010			
	मूल	13,13.76	13,13.76	12,89.36 -24.40

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(3)	11 राज्य विकास ऋण, 2011 मूल	5,15.80	5,15.80	4,72.15	-43.65
(4)	14 राज्य विकास ऋण जो 2003-04 में प्राप्त हुआ मूल	84,46.14	84,46.14	84,42.72	-3.42
(5)	15 राज्य विकास ऋण जो 2004-05 में प्राप्त हुआ मूल	19,04.03	19,04.03	19,00.34	-3.69
(6)	17 राज्य विकास ऋण जो 2006-07 में प्राप्त हुआ मूल	30,38.97	30,38.97	30,25.61	-13.36
(7)	19 राज्य विकास ऋण जो 2008-09 में प्राप्त हुआ मूल	98,08.00	98,08.00	78,17.42	-19,90.58
(8)	115 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज 01 अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज मूल	10,00.00	10,00.00	1,70.45	-8,29.55
(9)	123 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज 03 अल्प बचत संगठनों से राज्य विकास हेतु ऋण पर ब्याज मूल	5,60,00.00	5,60,00.00	4,84,13.95	-75,86.05
(10)	200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज 03 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज मूल	5,00.00	5,00.00	3,33.97	-1,66.03
(11)	07 नाबार्ड से प्राप्त ऋण तथा अन्य पर ब्याज मूल	75,00.00	75,00.00	65,69.66	-9,30.34
(12)	11 उ०प्र० राज्य वि०प० के विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त ऋण दायित्वों पर ब्याज (पावर बांड) मूल	38,00.00	38,00.00	18,79.54	-19,20.46
(13)	305 ऋण प्रबन्ध 03 ऋण प्रबन्ध पर व्यय मूल	3,00.00	3,00.00	1,42.82	-1,57.18
(14)	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज 104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज 04 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के भविष्य निधि पर ब्याज मूल	2,00.00	2,00.00	98.44	-1,01.56

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)	
(15)	2052 सचिवालय-सामान्य सेवायें 00 800 अन्य व्यय 06 मा० न्यायालयों द्वारा की गई डिक्री से सम्बन्धित धनराशि मूल	2,00.00	2,00.00	1,84.67	-15.33
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।					
(viii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:					
(1)	2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन 00 797 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण 04 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की संहतऋण शोधन निधि का अन्तरण मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	-2,00.00
(2)	2049 ब्याज अदायगियां 01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज 200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज 05 उ०प्र० से प्रभाजित एल०आई०सी० के ऋण तथा अन्य पर ब्याज मूल पुनर्वि०	43,44.00	13,44.00	0.00	-13,44.00
(3)	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज 104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज 05 अंशदायी भविष्य निधियों पर ब्याज मूल	8.00	8.00	0.00	-8.00
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
(4)	06 अंशदायी भविष्य पेंशन निधि पर ब्याज मूल	8.00	8.00	0.00	-8.00
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।					
(5)	107 न्यासों तथा धर्मादायों पर ब्याज 04 अन्य विशेष ऋणों पर ब्याज मूल	25,00.00	25,00.00	0.00	-25,00.00
(6)	108 बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज 03 कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना पर ब्याज मूल	21,00.00	21,00.00	0.00	-21,00.00
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।					



(ix) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(1)	2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन 00			
	797 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
	03 राज्य विकास ऋणों की संहत ऋण शोधन निधि को अन्तरण मूल	20,00.00		
			50,00.00	0.00
	पुनर्वि०	30,00.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 27-01-2010 को ₹ 30,00.00 लाख की वृद्धि समेकित ऋण शोधन निधि में विनियोग हेतु निधि की और अधिक आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	2049 ब्याज अदायगियां 01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
	101 बाजार कर्जों पर ब्याज			
	12 राज्य विकास ऋण, जो 2001-2002 में प्राप्त हुआ मूल	19,89.13	19,89.13	19,93.99
				+4.86
(3)	13 राज्य विकास ऋण जो 2002-2003 में प्राप्त हुआ मूल	65,68.02	65,68.02	65,69.13
				+1.11
(4)	18 राज्य विकास ऋण जो 2007-08 में प्राप्त हुआ मूल	67,89.40	67,89.40	92,94.30
				+25,04.90
(5)	200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज 12 आर०ई०सी० से प्राप्त ऋण पर ब्याज मूल	6,40.00	6,40.00	7,26.38
				+86.38
(6)	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
	104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज			
	03 भविष्य निधि मूल	1,65,00.00	1,65,00.00	1,85,64.59
				+20,64.59
(7)	04 केन्द्रीय सरकार के कर्ज तथा अग्रिमों पर ब्याज			
	101 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज			
	03 उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम 2000 के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के ऋणों तथा उसके बाद के ऋणों पर समानुपातिक ब्याज मूल	28,00.00	28,00.00	34,87.46
				+6,87.46
(8)	60 अन्य दायित्वों पर ब्याज			
	101 जमाओं पर ब्याज			
	03 कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज (ट्रेजरी पी.एल.ए. में अवशेष) मूल	60,00.00	60,00.00	69,40.58
				+9,40.58

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उच्चतम का समायोजन ₹ 3,50,00,000 भी सम्मिलित है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(9)	2052 सचिवालय—सामान्य सेवायें 00			
	091 संलग्न कार्यालय			
	03 राज्य सम्पत्ति विभाग			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	3.48
	पुनर्वि०	0.00		
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			

(x) दृष्टांत जहां आपत्तिगत बही उचन्त के फलस्वरूप व्यय परिलक्षित हुआ:

2049	ब्याज अदायगियां			
	01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
	101 बाजार कर्जों पर ब्याज			
	07 राज्य विकास ऋण			
	O	0.00		
	S	0.00	0.00	3.07
	R	0.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 3,07,225 भी सम्मिलित है।			

पूंजीगत:  
दत्तमत—

- (xi) ₹ 51,23.53 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 6,15.61 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (xii) ₹ 51,23.53 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 को प्राप्त ₹ 1,15.04 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (xiii) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य			
	800 अन्य भवन			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	64,71.79
				-35,28.21
(2)	04 वाणिज्य कर विभाग के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण (चालू कार्य)			
	मूल	5,81.54		
			3,05.21	3,56.53
	पुनर्वि०	-2,76.33		+51.32

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29-05-2009 को ₹ 1,55.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक

31-03-2010 को ₹ 1,21.33 लाख की कमी विभिन्न कारणों से हुई बचत को सूचित किया गया।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(3)	09 वाणिज्य कर विभाग के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण मूल	6,00.00	1,08.78	83.91	-24.87
	पुनर्वि०	-4,91.22			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25-01-2010 को ₹ 1.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 4,90.22 लाख की कमी उक्त लेखाशीर्ष में बचत के कारण की गई।

(4)	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 00 102 सामुदायिक विकास 91 जिला योजना मूल	18,83.54	18,83.54	17,89.33	-94.21
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	--------

उपरोक्त क्रम सं० (1), (3) एवं (4) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत तथा क्रम सं० (2) के लेखाशीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(xiv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 800 अन्य भवन 12 वायबेलिटी गेप फण्डिंग के अन्तर्गत अनुदान मूल	10,00.00	8,57.25	0.00	-8,57.25
	पुनर्वि०	-1,42.75			
(2)	7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज 00 201 भवन निर्माण अग्रिम 03 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को निर्माण/मरम्मत के लिए अग्रिम मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
(3)	7615 विविध उधार 00 200 अन्य कर्ज 02 विधायकों हेतु वाहन क्रय के लिए ऋण मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00

वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।  
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(xv) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 800 अन्य भवन 03 स्टाम्प एवं पंजीकरण के भवन निर्माण (चालू कार्य)			
	मूल	0.02	0.02	3.00
	पुनर्वि०			+2.98
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2009)।			
(2)	05 वाणिज्य कर/कम्पोजिट चौकी का निर्माण			
	मूल	6,00.00		
	पुनर्वि०	1,28.96	7,28.96	7,01.51
				-27.45
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29-05-2009 को ₹ 1,55.00 लाख एवं दिनांक 25-01-2010 को ₹ 1.00 लाख की वृद्धि संयुक्त जॉच चौकी कुआहेडी, नारसन हेतु भूमि अधिग्रहण के सरचार्ज के भुगतान हेतु की गई। दिनांक 02-03-2010 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.00 लाख की कमी की गई जो कि निधि की आवश्यकता न होने के कारण थी। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 2.04 लाख के अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अन्त में बचत के कारण किए गए।			
(3)	11 स्टाम्प एवं पंजीकरण के भवनों का निर्माण			
	मूल	0.02		
	पुनर्वि०	25.00	25.02	25.00
				-0.02
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 03-03-2010 को ₹ 25.00 लाख की वृद्धि डिप्टी रजिस्ट्रार, देहरादून कार्यालय में पोटा के कैबिन के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(4)	4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय 02 शहरी आवास 800 अन्य भवन 03 राज्य सम्पति विभाग द्वारा आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण			
	मूल	1,00.00		
	पूरक	41.44	2,82.17	2,81.97
	पुनर्वि०	1,40.73		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 41.44 लाख की वृद्धि राज्य सम्पति विभाग द्वारा आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29-09-2009 को ₹ 1,42.75 लाख की वृद्धि वृहद् निर्माण कार्यों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 2.02 लाख के अभ्यर्पण निधि की आवश्यकता न होने के कारण किए गए।			
(5)	7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज 00 201 भवन निर्माण अग्रिम 04 राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/मरम्मत हेतु अग्रिम			
	मूल	1,00.00	1,00.00	1,30.32
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2003-04 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन			

कमशः ₹ 30,00,000, ₹ 1,48,000 एवं ₹ 2,13,000 भी सम्मिलित है।

उपरोक्त क्रम सं० (2), (3) एवं (4) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत तथा कम सं० (1) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

पूँजीगत:

प्रभारित—

(xvi) प्रभारित विनियोजन में ₹ 61,10.35 लाख का व्ययाधिक्य हुआ। आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है।

(xvii) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(1)	6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण 00 101 बाजार कर्ज 03 ब्याज बाजार कर्ज का भुगतान मूल 1,60,00.00	1,60,00.00	43,42.93	-1,16,57.07
(2)	06 बिना ब्याज के बाजार कर्ज मूल 1,02,00.00	1,02,00.00	96,14.16	-5,85.84
(3)	105 नाबार्ड से कर्ज 03 नाबार्ड को ऋण वापसी मूल 1,37,25.08	1,37,25.08	1,24,04.07	--13,21.01
(4)	111 केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्पबचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति 03 राष्ट्रीय अल्पबचत निधि के ऋण का भुगतान मूल 1,05,00.00	1,05,00.00	1,04,49.55	-50.45
(5)	6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम 02 राज्य/सघं राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज 101 एक मुश्त कर्ज तथा अग्रिम 03 एक मुश्त उधार मूल 30,00.00	30,00.00	17,41.71	-12,58.29

(xviii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण 00 101 बाजार कर्ज 04 गैर ब्याज बाजार कर्ज का भुगतान मूल 50.00	50.00	0.00	-50.00
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	--------

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)	
(2)	109 अन्य संस्थाओं से कर्ज 01 अन्य संस्थाओं से कर्ज मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
(3)	800 अन्य कर्ज 03 अन्य कर्ज मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
(4)	6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम 04 केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए 800 अन्य कर्ज 04 भूमि तथा जल संरक्षण मूल	30.00	30.00	0.00	-30.00
(5)	06 सड़कें तथा पुल मूल	2.00	2.00	0.00	-2.00
(6)	09 फसल कृषि कर्म मूल	20.00	20.00	0.00	-20.00
(7)	10 अन्य मूल	20.00	20.00	0.00	-20.00
(8)	07 1984-85 पूर्व के कर्ज 800 अन्य कर्ज 03 अन्य कर्ज मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	-5,00.00

(xix) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण 00 108 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज 04 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को ऋणों का भुगतान मूल	11,00.00	11,00.00	11,17.25	+17.25
(2)	110 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम 03 अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान मूल	7,00,00.00	7,00,00.00	8,99,81.00	+1,99,81.00

उक्त लेखाशीर्ष में 2006-07 से निरन्तर व्ययाधिक्य प्राप्त हुआ है। वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में क्रमशः ₹ 3,76,14.00 लाख, ₹ 3,11,94.00 लाख एवं ₹ 4,75,86.00 लाख के व्ययाधिक्य हुए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)	
(3)	6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम 01 आयोजनेत्तर कर्ज 800 अन्य कर्ज 03 पूर्वोत्तर उ०प्र० के विभाजन पर प्राप्त तथा अन्य भारत सरकार के ऋणों की वापसी मूल	80.00	80.00	17,35.02	+16,55.02
(4)	04 केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए 800 अन्य कर्ज 03 सहकारिता मूल	1,50.00	1,50.00	1,62.29	+12.29

**अनुदान सं० 08 आबकारी**

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
<b>राजस्व :</b>			
2039 राज्य उत्पाद शुल्क			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	6,86,57		
पूरक	89,50	7,76,07	7,50,64
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)			-25,43
			2,29

**पूंजीगत :**

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत—</b>			
मूल	10,00		
पूरक	00	10,00	00
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)			-10,00
			00

**टिप्पणियां एवं टीकार्यें**

राजस्व :

**दत्तमत—**

- (i) ₹ 25.43 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 2.29 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 25.43 लाख की अन्तिम बचत के देखते हुए ₹ 89.50 लाख के अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(1)	2039 राज्य उत्पाद शुल्क			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 अधिष्ठान			
	मूल	1,60.93		
	पूरक	3.50	1,62.14	1,62.12
	पुनर्वि०	-2.29		-0.02

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 2.29 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते, स्टॉफ कार/मोटर गाड़ियों का कय तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए।



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)	
(2)	04 भट्टियां मूल	5,25.64	6,11.64	5,88.52	-23.12
	पूरक	86.00			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 12,99,175, ₹ 1,85,554, एवं ₹ 1,67,479 भी सम्मिलित है।

उपरोक्त क्रम सं० (1) एवं (2) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2009 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्रावधान में वृद्धि आबकारी विभाग के कर्मियों के वेतन इत्यादि के लम्बित देयकों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

**पूँजीगत :**

**दत्तमत—**

(iv) पूँजीगत हेतु ₹ 10.00 लाख के प्रावधान निम्न शीर्षानुसार वर्षपर्यन्त अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

03 आबकारी विभाग हेतु अनावासीय/मालखाना/बन्धित गोदाम निर्माण

मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
-----	-------	-------	------	--------

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

## अनुदान सं० ०९ लोक सेवा आयोग

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	-------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व:

2051 लोक सेवा आयोग

प्रभारित—

मूल	4,84,71			
पूरक	79,50	5,64,21	5,08,05	-56,16
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				40,69

विनियोग के राजस्व प्रभारित अनुभाग में ₹ 28,32,614 नहीं लिये गये जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूंजीगत :

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

प्रभारित—

मूल	35,00			
पूरक	00	35,00	34,74	-26
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				00

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व :

प्रभारित—

- (i) ₹ 56.16 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 को प्राप्त ₹ 79.50 लाख के अनुपूरक विनियोजन अत्यधिक सिद्ध हुए।
- (ii) बचत निम्नतः परिलक्षित हुई:

क्रम सं०

लेखाशीर्ष

कुल विनियोग

वास्तविक व्यय

आधिक्य (+)

बचत (-)

(लाख ₹ में)

2051 लोक सेवा आयोग

00

102 राज्य लोक सेवा आयोग

03 राज्य लोक सेवा आयोग

मूल

4,84.71

पूरक

79.50

5,08.05

5,08.05

0.00

पुनर्वि०

-56.16

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 में ₹ 79.50 लाख की वृद्धि अंतिम व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 56.16 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, जल कर, टेलीफोन, गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं को भुगतान, गोपनीय सेवायें, अनुरक्षण एवं अवकाश यात्रा व्यय में हुई बचत के कारण की गई।

पूंजीगत :  
प्रमारित-

(iii) ₹ 35.00 लाख के पूंजीगत विनियोग के सापेक्ष निम्न शीर्षानुसार ₹ 34.73 लाख वर्षपर्यन्त उपयोग हुए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
	60 अन्य भवन			
	051 निर्माण			
	03 लोक सेवा आयोग हेतु आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण			
	मूल	35.00	35.00	34.74
	उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत को अभ्यर्पित नहीं किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			-0.26

## अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2055 पुलिस  
2056 जेलें

दत्तमत—

मूल	4,71,35,30		
		5,78,22,78	-24,15,76
पूरक	1,06,87,48		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)			27,17,66

पूंजीगत :

4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय  
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	26,00,02		
		31,00,02	-19,45,48
पूरक	5,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)			17,09,57

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 24,15.76 लाख के विरुद्ध ₹ 27,17.66 लाख के अभ्यर्पण न्यायसंगत सिद्ध नहीं हुए।
- (ii) ₹ 24,15.76 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 में प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 1,06,87.48 लाख अत्याधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	--------------------------------------

(1)	2055 पुलिस			
	00			
	003 शिक्षा और प्रशिक्षण			
	04 शिक्षा और प्रशिक्षण मुख्य			
	मूल	2,45.18		
	पूरक	55.00	2,76.25	+3.77
	पुनर्वि०	-23.93		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 47,759 भी सम्मिलित है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(2)	101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल 13.04 पुनर्वि० -2.46	10.58	10.58	0.00
(3)	03 अभिसूचना अधिष्ठान मूल 25,56.30 पूरक 5,41.08 पुनर्वि० -1,05.36	29,92.02	29,89.36	-2.66
<p>वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,59,798, ₹ 65,113, ₹ 5,16,605, ₹ 2,26,575 एवं ₹ 7,681 भी सम्मिलित है।</p> <p>प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 26-03-2010 को ₹ 2.47 लाख की वृद्धि प्रत्येक जिले के सतर्कता विभाग एवं सुरक्षा यूनिट में स्थापित कम्प्यूटरों के क्रय/अनुरक्षण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1,07.83 लाख के अभ्यर्पण निधि की आवश्यकता न होने के कारण किए गए।</p>				
(4)	04 सुरक्षा व्यवस्था मूल 5,56.12 पूरक 1,72.20 पुनर्वि० -68.25	6,60.07	6,58.26	-1.81
<p>प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 26-03-2010 को ₹ 1.50 लाख की कमी अवकाश यात्रा रियायत में बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 66.75 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।</p>				
(5)	06 भारत नेपाल सीमा पर अभिसूचना तंत्र का सुदृढीकरण मूल 63.95 पूरक 8.35 पुनर्वि० -2.12	70.18	69.82	-0.36
(6)	104 विशेष पुलिस 03 राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी-मुख्य मूल 80,06.90 पूरक 19,81.00 पुनर्वि० -4,54.71	95,33.19	89,89.38	-5,43.81
<p>वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2004-05, 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 11,235, ₹ 3,14,809, ₹ 81,04,154 एवं ₹ 1,68,685 भी सम्मिलित है।</p>				
(7)	04 इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना मूल 12,90.75 पूरक 95.00 पुनर्वि० -90.94	12,94.81	13,46.33	+51.52
<p>प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 26-03-2010 को ₹ 0.47 लाख की कमी अवकाश यात्रा रियायत में बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 90.47 लाख के अभ्यर्पण इंडिया रिजर्व वाहिनी के अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।</p>				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(8)	109 जिला पुलिस 03 जिला पुलिस (मुख्य)			
	मूल	2,35,21.90		
	पूरक	50,50.50	2,73,09.78	2,78,46.43
	पुनर्वि०	-12,62.62		+5,36.65
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 56,36,788, ₹ 50,18,772, ₹ 3,13,884, ₹ 38,44,020 एवं ₹ 49,732 भी सम्मिलित है।			
	दिनांक 04-02-2010 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,75.00 लाख के प्रावधान में कमी कार्यालय व्ययों में बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 10,87.62 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय हेतु आवंटित निधि की आवश्यकता न होने के कारण किए गए।			
(9)	04 रेडियो अधिष्ठान			
	मूल	17,19.52		
	पूरक	3,05.05	19,61.53	19,87.20
	पुनर्वि०	-63.04		+25.67
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 3,05,211, ₹ 32,291 एवं ₹ 1,87,375 भी सम्मिलित है।			
(10)	05 मोटर परिवहन अधिष्ठान			
	मूल	14,87.57		
	पूरक	1,22.00	15,74.73	15,96.66
	पुनर्वि०	-34.84		+21.93
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 37,100 एवं ₹ 60,840 भी सम्मिलित है।			
(11)	07 घुड़सवार पुलिस इकाई			
	मूल	1,25.65		
	पूरक	22.00	1,29.17	1,32.14
	पुनर्वि०	-18.48		+2.97
(12)	09 जल पुलिस			
	मूल	6.25		
	पुनर्वि०	-3.50	2.75	2.74
				-0.01
(13)	11 श्वान दल			
	मूल	18.00		
	पुनर्वि०	-6.35	11.65	7.78
				-3.87

क्रम सं०	लेखाशीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(14)	110 ग्राम पुलिस				
	03 ग्राम पुलिस अधिष्ठान				
	मूल	81.50			
	पूरक	34.00	1,04.29	1,03.15	-1.14
	पुनर्वि०	-11.21			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 29,000 भी सम्मिलित है।				
(15)	111 रेलवे पुलिस				
	03 मुख्य				
	मूल	81.71			
	पूरक	59.50	1,35.27	1,38.09	+2.82
	पुनर्वि०	-5.94			
(16)	113 पुलिस कार्मिकों का कल्याण				
	04 चिकित्सालय व्यय				
	मूल	1,18.35			
	पूरक	21.20	1,27.00	1,28.47	+1.47
	पुनर्वि०	-12.55			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,21,679, ₹ 186 एवं ₹ 50,197 भी सम्मिलित है।				
(17)	115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (50%)				
	मूल	6,25.00			
	पूरक	9,72.06	13,53.83	13,53.83	0.00
	पुनर्वि०	-2,43.23			
(18)	116 न्यायालयिक विज्ञान				
	03 विधि विज्ञान प्रयोगशाला				
	मूल	55.56			
	पूरक	5.10	57.94	59.59	+1.65
	पुनर्वि०	-2.72			
(19)	800 अन्य व्यय				
	03 अभियोजन अधिष्ठान				
	मूल	3,00.46			
			2,61.44	2,64.28	+2.84
	पुनर्वि०	-39.02			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,474, ₹ 51,574, ₹ 26,942, ₹ 71,238 एवं ₹ 60,488 भी सम्मिलित है।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)	
(20)	04 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण अधिष्ठान				
	मूल	15,75.55			
	पूरक	4,78.17	18,81.99	20,10.02	+1,28.03
	पुनर्वि०	-1,71.73			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 40,122, ₹ 40,39,211 एवं ₹ 4,155 भी सम्मिलित है।					
(21)	11 राज्य आन्दोलनकारी कल्याण परिषद्				
	मूल	16.71			
	पूरक	2.20	9.70	9.52	-0.18
	पुनर्वि०	-9.21			
(22)	13 निर्वाचन				
	मूल	1,50.00			
	पुनर्वि०	-1.13	1,48.87	1,47.85	-1.02
(23)	16 राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण अधिष्ठान				
	मूल	69.95			
	पूरक	30.20	47.37	48.99	+1.62
	पुनर्वि०	-52.78			
(24)	17 एस०टी०एफ०				
	मूल	48.63			
	पुनर्वि०	-30.49	18.14	18.84	+0.70
(25)	2056 जेलें				
	00				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
	03 कारागार अधिष्ठान				
	मूल	13,28.33			
	पूरक	4,56.50	17,38.71	17,58.47	+19.76
	पुनर्वि०	-46.12			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 14,97,705 एवं ₹ 3,96,119 भी सम्मिलित है।					
(26)	04 कारागार मुख्यालय				
	मूल	55.35			
	पुनर्वि०	-13.49	41.86	41.86	0.00
उपरोक्त क्रम सं० (1), (2), (5), (6), (9) से (26) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए। उपरोक्त लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य जहा परिलक्षित हुए है, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।					



(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
2055	पुलिस			
	00			
800	अन्य व्यय			
15	राज्य सुरक्षा आयोग			
	मूल	5.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-5.00		

उपरोक्त लेखाशीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(v) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2055	पुलिस			
		00			
	001	निदेशन तथा प्रशासन			
	03	मुख्यालय			
		मूल	13,94.72		
		पूरक	1,60.20	15,20.42	15,59.98
		पुनर्वि०	-34.50		+39.56

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 34.50 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।

(2)	101	आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता			
	05	आपराधिक अन्वेषण			
		मूल	1,65.85		
		पूरक	1,16.17	2,76.88	2,99.48
		पुनर्वि०	-5.14		+22.60

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 26-03-2010 को ₹ 0.50 लाख की कमी विद्युत में बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 4.64 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।

(3)	800	अन्य व्यय			
	10	कुम्भ मेला व्यवस्था			
		मूल	12,77.00		
				13,80.38	13,73.39
		पुनर्वि०	1,03.38		-6.99

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 04-01-2010 को ₹ 1,75.00 लाख की वृद्धि कुम्भ मेला हरिद्वार में तैनात होमगार्ड्स के जवानों को मानदेय के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 71.62 लाख के अभ्यर्पण का कारण उक्त शीर्ष में बचत होना बताया गया।

उपरोक्त क्रम सं० (3) के लेखाशीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत तथा क्रम सं० (1) एवं (2) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

पूँजीगत:  
दत्तमत-

- (vi) ₹ 19,45.48 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 17,09.57 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।  
 (vii) ₹ 19,45.48 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 को प्राप्त ₹ 5,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।  
 (viii) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(1)	4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय 00			
	211 पुलिस आवास			
	04 पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण मूल	2,50.00		
	पुनर्वि०	-83.11		
		1,66.89	1,15.59	-51.30
(2)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	3,00.00		
	पूरक	5,00.00	4,00.70	2,78.32
	पुनर्वि०	-3,99.30		-1,22.38

उपरोक्त क्रम सं० (1) एवं (2) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन तथा अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी निधि का उपभोग न हो पाने के कारण की गई।

(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय 00			
	800 अन्य व्यय			
	05 पुलिस आधुनिकीकरण			
	मूल	3,00.00		
	पुनर्वि०	-2,44.68		
		55.32	0.00	-55.32
(2)	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
	03 जेलों का आधुनिकीकरण			
	मूल	5,00.00		
	पुनर्वि०	-5,00.00		
		0.00	0.00	0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(3)	04 जेलों का निर्माण/भूमि क्रय मूल	5,00.00		
	पुनर्वि०	-5,00.00	0.00	0.00
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			

(x) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
00				
211	पुलिस आवास			
03	पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था (चालू कार्य)			
	मूल	5,80.01		
	पुनर्वि०	17.53	5,97.54	5,90.63
				-6.91

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18-02-2010 को ₹ 17.54 लाख की वृद्धि पुलिस विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 0.01 लाख के अभ्यर्पण बचत के कारण होना सूचित किया गया। उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

## अनुदान सं0 11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण तथा संस्कृति

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2202 सामान्य शिक्षा  
2203 तकनीकी शिक्षा  
2204 खेलकूद तथा युवा सेवायें  
2205 कला एवं संस्कृति

दत्तमत—

मूल	28,63,79,64				
		30,98,81,61	29,03,98,22	-1,94,83,39	
पूरक	2,35,01,97				
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				76,80,76	

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 24,75,000 नहीं लिये गये जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूंजीगत:

4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	37,56,92				
		57,48,35	49,68,53	-7,79,82	
पूरक	19,91,43				
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				3,08,85	

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 1,94,83.39 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 76,80.76 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 1,94,83.39 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 में प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 2,35,01.97 लाख अत्याधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्नतः परिलक्षित हुई:

क्रम सं0	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

- (1) 2202 सामान्य शिक्षा
  - 01 प्रारम्भिक शिक्षा
  - 101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	50,00.00		
	पूरक	5,00.00	50,00.00	50,00.00
	पुनर्वि०	-5,00.00		0.00
	प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 5,00.00 लाख की कमी निधि का उपभोग न हो पाने के कारण की गई।			
(2)	04 बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण			
	मूल	10,92,28.39		
	पूरक	85,00.00	11,49,95.43	11,10,93.81
	पुनर्वि०	-27,32.96		-39,01.62
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 83,32,943 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29-03-2010 को ₹ 13,06.00 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 14,26.96 लाख की कमी महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत एवं लेखन सामग्री में अधिक प्रावधान होने के कारण की गई। अधिक प्रावधान पुनर्विनियोजित तथा अभ्यर्पित किया गया।			
(3)	102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता			
	18 शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान			
	मूल	27,36.00		
			24,77.08	22,32.35
	पुनर्वि०	-2,58.92		-2,44.73
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 10,76,651 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 19-03-2010 को ₹ 1,00.50 लाख की कमी शिक्षा मित्रों को मानदेय के भुगतान में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1,58.42 लाख के अभ्यर्पण का कारण निधि की आवश्यकता न होना सूचित किया गया।			
(4)	109 छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन			
	04 प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 के बच्चों को पन्द्रह ₹ प्रतिमाह की दर से 3 वर्ष के लिए योग्यता छात्रवृत्ति			
	मूल	10.00		
			5.20	5.07
	पुनर्वि०	-4.80		-0.13
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 4.80 लाख के अभ्यर्पण निधि की स्वीकृत न होने के कारण किए गए।			
(5)	02 माध्यमिक शिक्षा			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान			
	मूल	7,71.73		
			7,36.30	6,35.04
	पुनर्वि०	-35.43		-1,01.26
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,40,928 एवं ₹ 1,289 भी सम्मिलित है।			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.72 लाख की वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 36.15 लाख के अभ्यर्पण स्वीकृति पदों के रिक्त रहने के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(6)	004 अनुसंधान तथा प्रशिक्षण			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	3,61.12		
	पुनर्वि०	-0.01		
			3,61.11	2,81.23
				-79.88
(7)	03 सीमेट की स्थापना			
	मूल	61.87		
	पूरक	9.70		
			71.57	60.94
				-10.63
(8)	101 निरीक्षण			
	03 क्षेत्रीय निरीक्षण			
	मूल	15,23.96		
	पुनर्वि०	-1,36.40		
			13,87.56	12,82.45
				-1,05.11
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उच्चतम का समायोजन क्रमशः ₹ 27,405, ₹ 2,819, ₹ 30,992 एवं ₹ 78,075 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1.18 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1,37.58 लाख के अभ्यर्पण रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुए।			
(9)	107 छात्रवृत्तियां			
	01 केन्द्रीय अयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	3.45		
	पुनर्वि०	-2.40		
			1.05	1.57
				+0.52
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 2.40 लाख के अभ्यर्पण प्रावधान के अधिक आवंटन के कारण किए गए।			
(10)	05 देश के चुने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने के लिए प्रतिभावान बालक एवं बालिकाओं को विशेष छात्रवृत्तियां देना			
	मूल	2.60		
	पुनर्वि०	-2.35		
			0.25	0.25
				0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(11)	07 अवर उच्चविद्यालय (कक्षा 7-8) पर अतिरिक्त छात्र वृत्तियों की व्यवस्था मूल	1.80	0.11	0.08	-0.03
	पुनर्वि०	-1.69			
	उपरोक्त क्रम सं० (10) एवं (11) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान का अभ्यर्पण निधि के प्राप्त न होने कारण किया गया।				
(12)	09 प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक अतिरिक्त हाई स्कूल छात्रवृत्ति की व्यवस्था मूल	10.00	9.99	7.65	-2.34
	पुनर्वि०	-0.01			
(13)	108 परीक्षाएं 03 माध्यमिक शिक्षा परिषद् मूल	5,36.00	5,36.00	4,52.27	-83.73
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06 एवं 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 10,63,785, ₹ 91,302, ₹ 6,149, ₹ 900 एवं ₹ 1,754 भी सम्मिलित है।				
(14)	04 माध्यमिक शिक्षा परिषद् का अधिष्ठान मूल	5,31.33	5,31.32	4,74.03	-57.29
	पुनर्वि०	-0.01			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 212 भी सम्मिलित है।				
(15)	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 03 बालक एवं बालिका मूल	7,62,35.02			
	पूरक	25,50.00	7,77,82.19	7,31,98.35	-45,83.84
	पुनर्वि०	-10,02.83			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,70,90,054, ₹ 27,14,763, ₹ 92,445, ₹ 80,66,168, ₹ 1,34,37,369, ₹ 1,496 एवं ₹ 33,505 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 3,33.17 लाख की वृद्धि अवशेष चिकित्सा दावों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 13,36.00 लाख के अभ्यर्पण महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों में प्रावधान के अधिक आवंटन के कारण किए गए।				
(16)	05 नए राजकीय हाईस्कूल की स्थापना तथा राजकीय जू०हा० स्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर कर्मोनयन मूल	1,82,78.45			
	पूरक	12,16.52	1,76,45.82	1,61,68.96	-14,76.86
	पुनर्वि०	-18,49.15			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 18,97,448, ₹ 1,53,526, ₹ 6,08,858 एवं ₹ 6,15,348 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 9,53.84 लाख की कमी वेतन, महंगाई				

भत्ता एवं अन्य भत्तों में बचत के कारण किए गए। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 8,95.31 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(17)	07 राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना मूल	5,75.75		
	पुनर्वि०	-39.29		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,246 भी सम्मिलित है। प्रावधान में दिनांक 31-03-2010 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.72 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा ₹ 38.57 लाख की कमी जनपद स्तर से मांग प्राप्त न होने तथा कुल प्रावधान में महंगाई भत्ता एवं यात्रा भत्ता का अधिक प्रावधान होने के कारण की गई।	5,36.46	5,15.27	-21.19
(18)	08 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण मूल	15,08.79		
	पुनर्वि०	-1,92.48		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,000 एवं ₹ 109 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1,92.48 लाख के अभ्यर्पण रिक्त पदों के न भने जाने के कारण किए गए।	13,16.31	11,78.13	-1,38.18
(19)	09 नए राजकीय इण्टर कालेजों की स्थापना तथा कमोनयन मूल	79,83.55		
	पूरक	14,50.03	1,00,63.01	91,00.03
	पुनर्वि०	6,29.43		-9,62.98
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 6,95.98 लाख की वृद्धि वेतन एवं अवशेष वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 66.55 लाख के अभ्यर्पण आयोजनागत में बचत के कारण किए गए। उक्त शीर्ष में आयोजनेत्तर योजना माह अगस्त 2009 से प्रारम्भ हुई। इससे पहले उक्त शीर्ष आयोजनागत योजना के अन्तर्गत ही चालू था।			
(20)	10 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का हाई स्कूल स्तर तक विस्तारीकरण मूल	2,17.66		
	पुनर्वि०	-36.78		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 4,106 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 36.78 लाख के अभ्यर्पण योजना के सर्व शिक्षा योजना के साथ संलग्न किए जाने के कारण किए गए।	1,80.88	50.95	-1,29.93



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(21)	11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों की स्थापना मूल	1,25.06	89.54	43.20	-46.34
	पुनर्वि०	-35.52			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 763 भी सम्मिलित है। ₹ 35.52 लाख की बचत को दिनांक 31-03-2010 को अभ्यर्पित कर दिया गया। योजना का माह अगस्त 2009 से प्रारम्भ होना बचत का कारण सूचित किया गया।				
(22)	110 गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता 03 गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान मूल	2,24,50.00	2,11,35.14	2,11,42.38	+7.24
	पुनर्वि०	-13,14.86			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 4,73,82,286, ₹ 2,06,96,781 एवं ₹ 11,82,652 भी सम्मिलित है। प्रावधान में दिनांक 31-03-2010 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,83.53 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा ₹ 7,31.33 लाख की कमी निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण की गई।				
(23)	04 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता मूल	7,12.41	7,11.50	5,93.52	-1,17.98
	पुनर्वि०	-0.91			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 0.91 लाख के अभ्यर्पण निधि का उपभोग न हो पाने के कारण किए गए।				
(24)	05 अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सहायता मूल	5,42.50	5,41.29	4,80.03	-61.26
	पुनर्वि०	-1.21			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1.21 लाख के अभ्यर्पण निधि का उपभोग न हो पाने के कारण किए गए।				
(25)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	8,82.00	7,46.78	5,10.84	-2,35.94
	पूरक	12,54.26			
	पुनर्वि०	-13,89.48			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 438 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 13,89.48 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण केन्द्रांश के प्राप्त न होने तथा मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(26)	09 सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को अनुरक्षण/संचालन निधि हेतु अनुदान मूल 2,75.00 पुनर्वि० -27.12	2,47.88	2,47.88	0.00
(27)	12 ब्लाक/जनपद/राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय खेलों में भाग लेना मूल 40.00 पुनर्वि० -16.37	23.63	21.95	-1.68
(28)	14 दीन दयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार मूल 45.00 पुनर्वि० -9.19	35.81	30.98	-4.83
उपरोक्त क्रम सं० (26) से (28) के शीर्षों के अन्तर्गत अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित थे।				
(29)	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 विश्वविद्यालयों को सहायता 05 दून विश्वविद्यालय मूल 8,00.00 पूरक 15,00.00 पुनर्वि० -2,96.00	20,04.00	20,04.00	0.00
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2010 को ₹ 2,00.00 लाख एवं दिनांक 26-03-2010 को ₹ 96.00 लाख की कमी निधि की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित थी।				
(30)	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान 03 राजकीय उपाधि महाविद्यालय मूल 47,57.47 पूरक 3,50.00 पुनर्वि० -1,77.86	49,29.61	49,69.96	+40.35
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 16,89,104, ₹ 13,19,664, ₹ 9,13,735 एवं ₹ 3,99,338 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1,77.86 लाख के अभ्यर्पण प्रवक्ताओं तथा वर्ग 'ग' कर्मचारियों के पद रिक्त रहने के कारण किए गए।				
(31)	04 वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढीकरण एवं उन्नयन तथा नए संकायों एवं विषयों का समावेश मूल 4,08.62 पूरक 1,25.00 पुनर्वि० -20.18	5,13.44	5,22.40	+8.96
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 39,247, ₹ 32,465 एवं ₹ 2,69,023 भी सम्मिलित है।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(32)	07 नए राजकीय उपाधि महाविद्यालयों का प्रान्तीयकरण मूल पूरक पुनर्वि०	23.88 3.30 -1.29	25.89 25.88	-0.01
(33)	08 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना मूल पूरक पुनर्वि०	5,98.66 50.00 -52.24	5,96.42 5,99.86	+3.44
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 70,378 एवं ₹ 34,127 भी सम्मिलित है।				
(34)	104 अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता 03 गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान मूल पूरक पुनर्वि०	26,94.00 6,00.00 -1,19.71	31,74.29 31,88.34	+14.05
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 4,09,350 भी सम्मिलित है।				
(35)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल पुनर्वि०	2,69.35 -5.01	2,64.34 1,97.57	-66.77
उपरोक्त क्रम सं० (31) से (35) के शीर्षों के अन्तर्गत अभ्यर्पण रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण किए गए (अगस्त 2010)।				
(36)	05 भाषा विकास 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 संस्कृत शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान मूल	68.77	68.77 30.44	-38.33
(37)	103 संस्कृत शिक्षा 03 राजकीय संस्कृत पाठशाला मूल	2,36.36	2,36.36 87.36	-1,49.00
(38)	80 सामान्य 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 एन०सी०सी० निदेशालय अधिष्ठान मूल	29.32	29.32 26.02	-3.30

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹में)
(39)	003 प्रशिक्षण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 15,77.89	14,70.74	13,98.05	-72.69
	पुनर्वि० -1,07.15			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 39,59,945, ₹ 8,18,984, ₹ 4,588 एवं ₹ 1,347 भी सम्मिलित है। उपरोक्त क्रम सं० (39) एवं (40) के शीर्षों के अन्तर्गत अभ्यर्पण रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण किए गए।			
(40)	03 राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें (प्राथमिक)(पुरुष) मूल 1,66.62	1,33.41	1,23.04	-10.37
	पुनर्वि० -33.21			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 284, ₹ 2,08,748 एवं ₹ 1,74,835 भी सम्मिलित है।			
(41)	800 अन्य व्यय 04 राष्ट्रीय सेना छात्र दल मूल 11,45.76	11,45.76	6,76.17	-4,69.59
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,40,519 एवं ₹ 264 भी सम्मिलित है।			
(42)	05 एन०सी०सी० रिमाण्ड एन्ड वेटनरी स्कवार्डन की स्थापना मूल 24.74	24.74	15.17	-9.57
(43)	07 एयर स्कवार्डन एन०सी०सी० की स्थापना मूल 20.49	20.49	9.16	-11.33
(44)	2203 तकनीकी शिक्षा 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 प्राविधिक शिक्षा निदेशालय मूल 70.29 पूरक 17.85 पुनर्वि० -6.75	81.39	59.82	-21.57
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,070 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12-03-2010 को ₹ 6.75 लाख की कमी मानदेय तथा मशीनरी में बचत के कारण की गई।			
(45)	104 अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता 04 मान्यता प्राप्त प्राविधिक निजी शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान मूल 1,00.00	1,00.00	50.00	-50.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(46)	105 बहु शिल्प (पॉलीटेक्निक) विद्यालय 03 सामान्य पॉलीटेक्निक मूल 22,10.40 पूरक 7,51.00 पुनर्वि० 6.75	29,68.15	27,66.50	-2,01.65
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 3,66,048, ₹ 7,13,236, ₹ 5,55,304, ₹ 8,72,682 एवं ₹ 30,347 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12-03-2010 को ₹ 6.75 लाख की वृद्धि पालटैक्निक स्टॉफ के वेतन, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं महंगाई वेतन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(47)	112 इन्जीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान 03 पंत कालेज ऑफ टेक्नोलोजी, पंतनगर को सहायक अनुदान मूल 6,70.00	6,70.00	6,20.00	-50.00
(48)	07 स्ववित्त पोषित इजी०/बी० फार्मा संस्थानों में फीस निर्धारण समिति के सदस्यों को मानदेय आदि का भुगतान मूल 15.00	15.00	2.87	-12.13
(49)	800 अन्य व्यय 03 प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद मूल 1,67.71	1,67.71	1,61.11	-6.60
(50)	2204 खेल कूद तथा युवा सेवार्यें 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 91 जिला योजना मूल 6,00.00 पूरक 2,91.79	8,91.79	8,26.71	-65.08
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2003-04 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 600 एवं ₹ 22,950 भी सम्मिलित है। उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के संबन्ध में ₹ 72.12 लाख की बचत कड़े आर्थिक उपायों के कारण होना सूचित किया गया।			
(51)	104 खेलकूद 03 भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता मूल 10.00	10.00	3.51	-6.49
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 3,33,000 भी सम्मिलित है।			
(52)	12 प्रादेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर कय हेतु अनावर्तक अनुदान मूल 30.00 पुनर्वि० -0.38	29.62	22.95	-6.67

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(53)	14 प्रतियोगिताओं का आयोजन मूल	8.00	8.00	4.47	-3.53
(54)	15 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन मूल	7.50	7.42	2.93	-4.49
	पुनर्वि०	-0.08			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 73,684 भी सम्मिलित है।					
उपरोक्त क्रम सं० (52) एवं (54) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अभ्यर्पण का कारण निधि की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित होना सूचित किया गया।					
(55)	16 स्थाई क्रीड़ा उपकरणों का क्रय मूल	20.00	14.16	7.49	-6.67
	पुनर्वि०	-5.84			
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12-08-2009 को ₹ 5.83 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 0.01 लाख की कमी निधि की आवश्यकता न होने के कारण की गई।					
(56)	27 लोक सभा निर्वाचन-2009 में पी०आर०डी० स्वयं सेवकों हेतु बजट मूल	75.00	75.00	69.42	-5.58
(57)	2205 कला एवं संस्कृति 00				
	101 ललित कला शिक्षा				
	03 भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय मूल	1,09.30	1,09.30	88.23	-21.07
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 4,810 एवं ₹ 1,44,775 भी सम्मिलित है।					
(58)	102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	12.75	12.75	0.12	-12.63
(59)	03 स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान मूल	10.00	10.00	2.00	-8.00
(60)	09 वृद्ध कलाकारों लेखकों को मासिक पेंशन मूल	15.00	15.00	11.73	-3.27
(61)	103 पुरातत्व विज्ञान 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	4.49	4.49	3.07	-1.42

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(62)	03 पुरातत्व अधिष्ठान मूल	70.01	70.01	46.59	-23.42
वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 10,444, ₹ 74,258 एवं ₹ 90,849 भी सम्मिलित है।					
(63)	104 अभिलेखागार 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	1,50.01	1,50.01	1,15.02	-34.99
(64)	03 राज्य अभिलेख मूल	70.93	70.93	55.51	-15.42
(65)	105 सार्वजनिक पुस्तकालय 03 केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय मूल	1,04.87	1,11.75	87.96	-23.79
	पुनर्वि०	6.88			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 15,295, ₹ 5,327, ₹ 3,720 एवं ₹ 40,375 भी सम्मिलित है।					
(66)	107 संग्रहालय 03 अधिष्ठान व्यय मूल	68.28	58.87	59.60	+0.73
	पुनर्वि०	-9.41			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 21,945, ₹ 1,50,729, ₹ 1,61,790 भी सम्मिलित है। उपरोक्त लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य जहां परिलक्षित हुए है, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।					

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारम्भिक शिक्षा 102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता 21 पोषाहार के ढुलान भाड़े का भुगतान मूल	10.20	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-10.20			
(2)	02 माध्यमिक शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 04 राज्य शिक्षा उन्नयन समिति के कार्यालय की स्थापना मूल	21.00	20.50	0.00	-20.50
	पुनर्वि०	-0.50			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(3)	108 परीक्षाएं 05 उत्तराखण्ड राज्य मुक्त विद्यालय की स्थापना मूल	25.00	25.00	0.00	-25.00
(4)	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 विश्वविद्यालयों को सहायता 08 गढ़वाल मण्डल में एफीलिटींग विश्वविद्यालय की स्थापना पूरक	5.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-5.00			
(5)	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान 05 राजकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विकास कार्यों हेतु अनुदान मूल	25.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-25.00			
(6)	104 अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता 07 सोसाइटी मोड में स्ववित्त पोषित बीएड कक्षाओं का संचालन मूल	20.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-20.00			
(7)	107 छात्रवृत्तियां 05 इंजी/मेडिकल आदि के अध्ययन हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
(8)	800 अन्य व्यय 04 प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सम्मेलनों/सेमिनारों में भाग लेने के लिये अनुदान मूल	6.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-6.00			
वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।					
(9)	08 एम.बी.ए. आदि पाठ्यक्रमों में शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति के सदस्यों के मानदेय आदि का भुगतान मूल	3.00	3.00	0.00	-3.00
वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।					
(10)	05 भाषा विकास 102 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन 04 उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान पूरक	16.01	16.01	0.00	-16.01



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(11)	2203 तकनीकी शिक्षा 00			
	112 इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान			
	08 तकनीकी विश्वविद्यालय			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00
				-1,00.00
(12)	2204 खेल कूद तथा युवा सेवायें 00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	10.99	10.99	0.00
				-10.99
	उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने तथा अन्तिम बचत के संबन्ध में सूचित किया गया कि अवशेष देयक कालातीत हो गए जिससे प्रावधान का उपयोग न हो सका।			
(13)	05 युवा कल्याण परिषद को अनुदान			
	मूल	10.00	10.00	0.00
				-10.00
(14)	07 ग्रामीण क्षेत्र में मिनी स्टेडियम			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				-50.00
	उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने तथा अन्तिम बचत के संबन्ध में सूचित किया गया कि शासन से निधि अवमुक्त नहीं हुए जिससे प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(15)	09 युवा दलों को आर्थिक सहायता			
	मूल	20.00	20.00	0.00
				-20.00
	वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(16)	10 विभिन्न निर्वाचनों में तैनात पी0आर0डी स्वयं सेवक			
	मूल	29.40	29.40	0.00
				-29.40
(17)	104 खेलकूद			
	24 सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सहायता			
	मूल	5.00		
			0.86	0.00
				-0.86
	पुनर्वि०	-4.14		
(18)	26 साउथ एशियन शीतकालीन खेलों का आयोजन			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				-50.00
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।			
(19)	2205 कला एवं संस्कृति			
	00			
	102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन			
	06 साहित्यक कला परिषद की स्थापना			
	मूल	3.40	3.40	0.00
				-3.40

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(20)	12 शहीद स्मारक मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
(21)	13 उदय शंकर नृत्य अकादमी का संचालन मूल	20.00	20.00	0.00	-20.00
वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
(22)	19 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का क्रय मूल	20.00	20.00	0.00	-20.00
(23)	25 कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति योजना मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने (क्रम सं० (12) एवं (14) के शीर्षों को छोड़कर) के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।					

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारम्भिक शिक्षा 102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता 07 विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू.हा.वि. एवं केजी/नर्सरी विद्यालयों को सहायता मूल	50,00.00			
	पूरक	5,00.00	67,00.00	81,84.60	+14,84.60
	पुनर्वि०	12,00.00			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 12,85,17,142 एवं ₹ 2,75,00,000 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29-03-2010 को ₹ 12,00.00 लाख की वृद्धि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को अवशेष वेतन एवं चिकित्सा देय के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2)	14 सहायता प्राप्त उ.मा. विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी प्रभाग को सहायक अनुदान मूल	4,50.00			
	पुनर्वि०	1,06.00	5,56.00	5,54.08	-1.92

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 13,33,799 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 02-03-2010 को ₹ 1,06.00 लाख की वृद्धि जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों को नियमित वेतन एवं अवशेष वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3)	20 विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण मूल	4,00.00			
	पुनर्वि०	1,00.75	5,00.75	5,08.85	+8.10

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 10,63,109 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 19-03-2010 को ₹ 1,00.75 लाख की वृद्धि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के देयकों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(4)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/क्रेन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	60,00.00		
			90,00.00	
	पूरक	30,00.00	91,17.97	+1,17.97

(5)	02 माध्यमिक शिक्षा			
	101 निरीक्षण			
	04 विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना			
	मूल	7,57.06		
	पूरक	2,63.00	10,10.24	
	पुनर्वि०	-9.82	11,10.91	+1,00.67

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 19,950, ₹ 1,01,644 एवं ₹ 1,21,395 भी सम्मिलित है।

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 9.82 लाख के अभ्यर्पण विद्युत में बचत तथा अन्य जिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।

(6)	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
	102 विश्वविद्यालयों को सहायता			
	03 कुमाऊं विश्वविद्यालय			
	मूल	13,00.00		
			20,96.00	
	पुनर्वि०	7,96.00	20,96.00	0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2010 को ₹ 7.00 लाख एवं दिनांक 26-03-2010 को ₹ 96.00 लाख की वृद्धि कुमाऊं विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते के भुगतान तथा कार्यालय व्यय, भवन के अनुरक्षण, यात्रा भत्ते का भुगतान एवं फर्नीचर/उपकरण के क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(7)	2203 तकनीकी शिक्षा			
	00			
	112 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान			
	04 इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट (अल्मोड़ा)			
	मूल	2,70.00		
			3,90.00	
	पूरक	1,20.00	6,05.43	+2,15.43

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2003-04 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,52,63,000 एवं ₹ 62,80,000 भी सम्मिलित है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(8)	05 इंजीनियरिंग कालेज घुडदौड़ी (पौड़ी) मूल 4,00.00			
	पूरक 99.50	4,99.50	6,48.88	+1,49.38
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 28,33,000 एवं ₹ 42,50,000 भी सम्मिलित है।			
(9)	2204 खेल कूद तथा युवा सेवार्ये 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 खेलकूद निदेशालय मूल 1,71.56			
	पूरक 1,06.50	2,70.66	2,82.21	+11.55
	पुनर्वि० -7.40			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 87,915, ₹ 71,107, ₹ 23,969, ₹ 48,090 एवं ₹ 72,676 भी सम्मिलित है।			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 7.40 लाख के अभ्यर्पण रिक्त पदों के न भरे जाने, निधि की आवश्यकता न होने तथा कड़े आर्थिक उपायों के कारण किए गए।			
(10)	04 प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण मूल 3,66.17	3,66.17	4,09.55	+43.38
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03, 2004-05, 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 4,436, ₹ 6,902, ₹ 30,471 एवं ₹ 1,15,502 भी सम्मिलित है।			
(11)	104 खेलकूद 08 कीड़ा छात्रवास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय मूल 1,94.00			
	पूरक 40.00	2,25.66	2,49.86	+24.20
	पुनर्वि० -8.34			
(12)	11 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था मूल 25.00			
	पुनर्वि० -1.30	23.70	28.10	+4.40
	उपरोक्त क्रम सं० (11) एवं (12) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।			
(13)	2205 कला एवं संस्कृति 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 सांस्कृतिक कार्य निदेशालय मूल 1,91.20			
	पूरक 2.50	1,93.70	2,37.14	+43.44

उपरोक्त क्रम सं० (4), (5), (8) से (13) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य एवं क्रम सं० (2) के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(vi) दृष्टांत जहां व्यय/व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2202 सामान्य शिक्षा			
	01 प्रारम्भिक शिक्षा			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 निदेशालय अधिष्ठान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	2.66
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 64,142, ₹ 1,54,510 एवं ₹ 47,274 सम्मिलित है।			
(2)	101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
	03 राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	27.39
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 27,05,063 एवं ₹ 33,555 सम्मिलित है।			
(3)	102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता			
	15 गैर सरकारी मा. विद्यालयों को संबद्ध प्राइमरी कक्षाओं हेतु सहायक अनुदान (बालक)			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	3.69
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,57,000 सम्मिलित है।			
(4)	17 शिक्षक बन्धुओं को मानदेय का भुगतान			
	मूल	3.84		
			3.33	6.17
	पुनर्वि०	-0.51		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 50,694 एवं ₹ 2,82,990 सम्मिलित है।			
(5)	107 अध्यापक प्रशिक्षण			
	03 राजकीय प्रशिक्षण संस्थाएं (पुरुष)			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1.50
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,49,709 सम्मिलित है।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(6)	02 माध्यमिक शिक्षा			
	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
	06 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा योजना			
	मूल	0.04		
			0.00	0.07
	पुनर्वि०	-0.04		+0.07
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 7,006 सम्मिलित है।			
(7)	91 राजकीय हाईस्कूलों का इंटर स्तर तक उच्चीकरण (जिला योजना)			
	मूल	0.00		
		0.00	0.00	34.60
	पुनर्वि०	0.00		+34.60
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 8,58,595, ₹ 3,44,045, ₹ 42,610, ₹ 8,89,597, ₹ 10,91,776, ₹ 58,759 एवं ₹ 1,74,677 सम्मिलित है।			
(8)	05 भाषा विकास			
	103 संस्कृत शिक्षा			
	04 संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान			
	मूल	9,55.85	9,55.85	9,75.38
				+19.53
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 77,37,099 भी सम्मिलित है।			
(9)	80 सामान्य			
	003 प्रशिक्षण			
	04 राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें (प्राथमिक) (महिला)			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.68
	पुनर्वि०	0.00		+0.68
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 67,537 सम्मिलित है।			
(10)	2203 तकनीकी शिक्षा			
	00			
	104 अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता			
	03 के०एल० पॉलटेक्निक, रूड़की			
	मूल	1,90.00		
			2,28.68	2,50.68
	पूरक	38.68		+22.00
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 22,00,000 भी सम्मिलित है।			

कम  
सं०

लेखाशीर्ष

कुल अनुदान वास्तविक व्यय

आधिक्य(+)  
बचत(-)  
(लाख ₹ में)

(11) 2205 कला एवं संस्कृति  
००

105 सार्वजनिक पुस्तकालय

04 वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा नए पुस्तकालयों की स्थापना	0.17	0.17	1.58	+1.41
मूल				
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उद्यत्त का समायोजन क्रमशः ₹ 34,860, ₹ 32,453, ₹ 8,982, ₹ 56,781 एवं ₹ 25,159 भी सम्मिलित है।				

उपरोक्त उपशीर्षों के अन्तर्गत दिखाए गए अनुपूरक प्रावधान माह दिसम्बर 2009 में निम्न उद्देश्यों हेतु प्राप्त किए गए—

#### प्रारम्भिक शिक्षा

- प्रारम्भिक शिक्षा हेतु माह दिसम्बर 2009 में प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 1,25,00.00 लाख मध्याह्न भोजन का संचालन, बेसिक शिक्षा परिषद् का प्रांतीयकरण, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल एवं के.जी. नर्सरी विद्यालयों को सहायता तथा सर्व शिक्षा अभियान के संचालन के लिए निधि की आवश्यकता के कारण प्राप्त किया गया।

#### माध्यमिक शिक्षा

अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 67,43.51 लाख का प्रावधान निधि की निम्न आवश्यकताओं के कारण प्राप्त किया गया।

- सीमेट का संचालन तथा शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षण/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वेतन इत्यादि का भुगतान।
- नए राजकीय हाईस्कूलों का संचालन तथा जूनियर हाईस्कूलों का हाईस्कूल स्तर तक उच्चीकरण।
- शिक्षा की पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईटी0सी0 की स्थापना।

#### विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा

अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 27,60.82 लाख का प्रावधान निधि की निम्न आवश्यकताओं के कारण प्राप्त किया गया।

- उच्च शिक्षा निदेशालय के कर्मियों को वेतन इत्यादि का भुगतान, दून विश्व विद्यालय/राजकीय मुक्त विश्वविद्यालय को सहायता तथा गढ़वाल मण्डल में एफीलिएटिंग विश्वविद्यालय की स्थापना।
- राजकीय उपाधि महाविद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणोत्तर कर्मियों को वेतन इत्यादि का भुगतान, सुदुड़ीकरण, उन्नयन, नए विषयों का समावेश, नए महाविद्यालयों का प्रांतीयकरण तथा राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना।
- गैर-सरकारी महाविद्यालयों को अनुदान।

#### भाषा विकास

अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 16.01 लाख का प्रावधान उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि आवश्यकता के कारण किए गए।

### तकनीकी शिक्षा

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 10,27.03 लाख की वृद्धि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के कर्मियों को वेतन इत्यादि का भुगतान, पालीटेक्निक रुड़की को अनुदान, बहुशिल्प (पालीटेक्निक) विद्यालय तथा इंजिनियरिंग कालेज द्वाराहाट (अल्मोड़ा)/घुड़दौड़ी (पौड़ी) को अनुदान के कारण की गई।

### खेल एवं युवा सेवाएं

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 4,52.10 लाख की वृद्धि निधि की निम्न आवश्यकताओं के कारण की गई—

- खेल निदेशालय, प्रादेशिक विकास दल, युवा कल्याण एवं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के कर्मियों को वेतन इत्यादि का भुगतान।
- खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- खेलकूद प्रशिक्षण शिविर को अनुदान।

### कला एवं संस्कृति

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 2.50 लाख की वृद्धि भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

### पूँजीगत :

#### दत्तमत—

- (vii) ₹ 7,79.82 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 3,08.85 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (viii) ₹ 7,79.82 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 को प्राप्त ₹ 19,91.43 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (ix) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्न के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
	01 सामान्य शिक्षा			
	202 माध्यमिक शिक्षा			
	11 राजकीय हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवन हीन/जीर्णशीर्ण भवनों का निर्माण			
	मूल	3,50.00		
	पूरक	2,54.00	6,01.54	0.00
	पुनर्वि०	-2.46		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 2,54.00 लाख की वृद्धि राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनों के निर्माण/नवीनीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	16 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवनों का निर्माण			
	मूल	2,50.00		
			2,03.62	0.00
	पुनर्वि०	-46.38		

उपरोक्त क्रम सं० (1) एवं (2) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अभ्यर्पण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण किए गए।



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(3)	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 11 आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना मूल 90.00	90.00	65.00	-25.00
(4)	02 तकनीकी शिक्षा 105 इजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान 03 एन0आई0टी0 की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण/भवन निर्माण पूरक 10,00.00	10,00.00	8,34.62	-1,65.38
माह दिसम्बर 2009 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 10,00.00 लाख के प्रावधान भवनों के निर्माण एन0आई0टी0 की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किया गया।				
(5)	03 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 102 खेलकूद स्टेडियम 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 2,36.68	2,36.68	46.67	-1,90.01
(6)	05 स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण (चालू कार्य) मूल 50.00	50.00	13.10	-36.90
(7)	08 खेल निदेशालय की स्थापना मूल 16.62	16.62	8.62	-8.00
(8)	91 जिला योजना मूल 2,73.61	2,73.61	2,13.61	-60.00
(9)	04 कला और संस्कृति 106 संग्रहालय 04 महान विभूतियों की मूर्तियां/शहीद स्मारक का निर्माण मूल 10.00	10.00	1.28	-8.72
उपरोक्त लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा 202 माध्यमिक शिक्षा 17 शिक्षा निदेशालय का भवन निर्माण मूल 10.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० -10.00			
(2)	18 पुस्तकालय भवनों का निर्माण मूल 10.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० -10.00			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(3)	19 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण मूल	40.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-40.00		
(4)	20 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों का हाई स्कूल स्तर तक विस्तारीकरण मूल	1,00.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-1,00.00		
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(5)	22 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण मूल	1,00.00	1,00.00	0.00
				-1,00.00
(6)	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 05 उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी का भवन निर्माण मूल	50.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-50.00		
(7)	12 रोजगार परक पाठ्यक्रम मूल	50.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-50.00		
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(8)	13 सोसाइटी मोड में स्ववित्त पोषित बीएड कक्षाओं का संचालन मूल	1,02.00	1,02.00	0.00
				-1,02.00
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(9)	02 तकनीकी शिक्षा 104 बहुशिल्प 05 कोटाबाग रामनगर में महिला पालीटेक्निक की स्थापना मूल	50.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-50.00		
(10)	07 काण्डा (बागेश्वर) पालिटेक्निक हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण मूल	16.67	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-16.67		
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(11)	08 रुद्रप्रयाग पालिटेक्निक कालेज हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण मूल	16.67	16.67	0.00	-16.67
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(12)	10 गणाई गंगोली (पिथौरागढ़) पालिटेक्निक हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण मूल	16.67		0.00	0.00
	पुनर्वि०	-16.67		0.00	0.00
(13)	11 गोपेश्वर (चमोली) में महिला पालिटेक्निक हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण मूल	16.67		0.00	0.00
	पुनर्वि०	-16.67		0.00	0.00
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(14)	13 बीरोखाल (पौड़ी) पालिटेक्निक हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण मूल	33.33		0.00	0.00
	पुनर्वि०	-33.33		0.00	0.00
(15)	03 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 102 खेलकूद स्टेडियम 07 हल्द्वानी के स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
(16)	09 अवस्थापना सुविधाओं का अनुरक्षण मूल	16.67	16.67	0.00	-16.67
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। उपरोक्त लेखाशीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				

(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा 202 माध्यमिक शिक्षा 91 जिला योजना मूल	7,82.50	12,95.73	13,65.61	+69.88
	पूरक	5,13.23			

अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को प्रावधान में ₹ 5,13.23 लाख की वृद्धि निधि की निम्न आवश्यकताओं के कारण की गई—

- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्ययन के लिए नवीन प्रयोगशालाओं का निर्माण।

- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु भवनों का निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण, भूमि/भवनों का कय, क्षतिपूर्ति तथा वृक्षारोपण।
- आवासीय/अनावासीय भवनों तथा जिला स्तर पर शिक्षा कार्यालयों का निर्माण।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(2)	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 04 राजकीय महाविद्यालयों के भूमि/भवन कय मूल	1,00.00	1,00.00	2,26.99	+1,26.99
(3)	02 तकनीकी शिक्षा 104 बहुशिल्प 03 राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरुष/महिला) भवन का निर्माण/सुदृढीकरण मूल	2,00.00	2,33.34	2,33.34	0.00
	पुनर्वि०	33.34			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12-03-2010 को ₹ 33.34 लाख की वृद्धि राजकीय बहुशिल्प संस्थान के भवनों के निर्माण/सुदृढीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(4)	16 नये पॉलीटेक्निक विद्यालयों हेतु भूमि कय/भवन निर्माण मूल पूरक पुनर्वि०	3,50.00 0.01 1,00.00	4,50.01	4,50.00	-0.01
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12-03-2010 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि पालिटेक्निक संस्थान हेतु भूमि का कय/भवनों का निर्माण, राजकीय पालिटेक्निक संस्थानों का निर्माण एवं विकास नगर के विकास के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(5)	03 खेलकूद तथा युवक-सेवा खेलकूद स्टेडियम 102 खेलकूद स्टेडियम 06 सिविल सर्विसेज संस्थान की स्थापना मूल	75.00	75.00	1,86.57	+1,11.57
	उपरोक्त क्रम सं० (1), (2) एवं (5) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				

## अनुदान सं0 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य  
2211 परिवार कल्याण

दत्तमत-

मूल	5,21,44,59			
		5,61,42,32	4,69,54,21	-91,88,11
पूरक	39,97,73			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				5,26,44

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,78,35,138 नहीं लिये गये जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूंजीगत:

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय  
4211 परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	42,62,65			
		57,93,78	39,03,69	-18,90,09
पूरक	15,31,13			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				2,07,39

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत-

- (i) ₹ 91,88.11 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 5,26.44 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 91,88.11 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 39,97.73 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं0	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
-------------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

- (1) 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
  - 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति
  - 001 निदेशन तथा प्रशासन

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	03 मुख्यालय अधिष्ठान			
	मूल	5,03.48		
			5,43.48	4,52.96
	पूरक	40.00		-90.52
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 64,269 भी सम्मिलित है।			
(2)	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	6,00.00	6,00.00	5,94.56
				-5.44
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 33,651 भी सम्मिलित है।			
(3)	03 एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय			
	मूल	61,25.97		
	पूरक	3,40.00	64,69.47	57,42.81
	पुनर्वि०	3.50		-7,26.66
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2006-07 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 22,35,135, ₹ 19,55,036, ₹ 13,288, ₹ 22,963 एवं ₹ 28,13,072 भी सम्मिलित है।			
	पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20-10-2009 को ₹ 3.50 लाख के प्रावधान की बढोत्तरी जिला चिकित्सालय हरिद्वार में विद्युत देयकों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(4)	05 क्षय रोग रुजालय (क्लीनिक)			
	मूल	4,46.61		
			4,76.61	4,36.96
	पूरक	30.00		-39.65
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 24,242, ₹ 1,67,890 एवं ₹ 41,635 भी सम्मिलित है।			
(5)	11 ब्लड बैंक की स्थापना			
	मूल	65.81		
			71.46	59.48
	पूरक	5.65		-11.98
(6)	14 विधान सभा में रा०एलो० औषधालय की स्थापना			
	मूल	16.68		
			21.39	20.34
	पूरक	4.71		-1.05
(7)	16 सचिवालय में तथा उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में रा०एलोपैथिक औषधालय की स्थापना			
	मूल	31.73		
			33.25	30.75
	पूरक	1.52		-2.50

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(8)	18 मुख्य चिकित्सा अधिकारी का अधिष्ठान मूल	5,55.93	6,87.03	6,55.76	-31.27
	पूरक	1,31.10			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 49,03,212 भी सम्मिलित है।				
(9)	200 अन्य स्वास्थ्य सेवायें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	83.43	97.84	79.03	-18.81
	पूरक	14.41			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 3,81,523 एवं ₹ 900 भी सम्मिलित है।				
(10)	03 प्रदेश में अन्धेपन की रोकथाम मूल	1,89.11	2,18.11	1,97.08	-21.03
	पूरक	29.00			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,47,048, ₹ 1,16,665, ₹ 2,544 एवं ₹ 20,285 भी सम्मिलित है।				
(11)	05 मानसिक चिकित्सा प्राधिकरण मूल	6.98	6.98	4.47	-2.51
(12)	07 राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना मूल	1,25.76	1,25.76	86.39	-39.37
(13)	800 अन्य व्यय 09 विभिन्न मेलों में स्वच्छता एवं चिकित्सा व्यवस्था मूल	25.00	25.00	21.62	-3.38
(14)	02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां 101 आयुर्वेद 03 निदेशन तथा प्रशासन मूल	3,68.77	3,68.77	3,80.61	+11.84
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 6,19,735, ₹ 20,90,818, ₹ 39,215 एवं ₹ 2,020 भी सम्मिलित है।				
(15)	04 विभागीय औषधीय विनिर्माण मूल	1,42.45	1,42.45	1,34.60	-7.85
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 5,58,829 भी सम्मिलित है।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(16)	08 आयुर्वेदिक मूल	54,42.56	53,63.01	44,59.98	-9,03.03
	पुनर्वि०	-79.55			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2006-07 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 86,13,854, ₹ 27,54,581, ₹ 19,458, ₹ 3,22,497, ₹ 1,24,255 एवं ₹ 12,23,445 भी सम्मिलित है।				
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15.20 लाख एवं ₹ 10.00 लाख क्रमशः दिनांक 24-11-2009 एवं दिनांक 27-03-2010 को कमी वेतन एवं महंगाई भत्ते में बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 54.35 लाख के अभ्यर्पण कड़े आर्थिक उपायों के कारण होना सूचित किया गया।				
(17)	102 होम्योपैथी 03 निदेशन तथा प्राशासन मूल	42.77	15.64	16.34	+0.70
	पुनर्वि०	-27.13			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 19-03-2010 को ₹ 14.25 लाख की कमी वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते प्रशिक्षण व्यय में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 12.88 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए-				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ रिक्त पदों का न भरा जाना।</li> <li>➤ कड़े आर्थिक उपाय।</li> <li>➤ निधि का प्राप्त न होना।</li> </ul>				
(18)	04 अस्पताल तथा औषधालय मूल	2,72.10	2,24.00	2,27.83	+3.83
	पुनर्वि०	-48.10			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,87,363 एवं ₹ 1,08,645 भी सम्मिलित है।				
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 19-03-2010 को ₹ 14.25 लाख की वृद्धि छटे वेतन आयोग के लागू होने के कारण अवशेष वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 62.35 लाख की बचत का अभ्यर्पण निम्न कारणों से किया गया-				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य व्यय में बचत रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण।</li> <li>➤ यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, मानदेय, अन्य व्यय, विद्युत, लेखन सामग्री एवं प्रपत्रों की छपाई, टेलीफोन व्यय में बचत कड़े अर्थिक उपायों के कारण।</li> <li>➤ मशीनरी, अवकाश यात्रा रियायत एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर में बचत निधि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।</li> </ul>				
(19)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवार्य-पश्चात्य चिकित्सा पद्धति 101 स्वास्थ्य उपकेन्द्र 03 सुदूर क्षेत्र के उपकेन्द्रों में फार्मासिस्ट की व्यवस्था मूल	11,77.09	15,72.09	12,71.34	-3,00.75
	पूरक	3,95.00			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 3,38,154 एवं ₹ 23,041 भी सम्मिलित है।				



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(20)	04 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना (राज्य पोषित) मूल	29.30	29.30	11.51	-17.79
(21)	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना मूल	28,53.76	29,03.84	26,90.48	-2,13.36
	पूरक	50.08			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,92,88,839 भी सम्मिलित है।				
(22)	91 जिला योजना मूल	3,29.02	3,45.02	3,17.87	-27.15
	पूरक	16.00			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 39,644 भी सम्मिलित है।				
(23)	104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना मूल	33,59.18	35,77.20	29,05.46	-6,71.74
	पूरक	2,21.52			
	पुनर्वि०	-3.50			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20-10-2009 को ₹ 3.50 लाख की कमी का कारण विद्युत में बचत होना सूचित किया गया।				
(24)	110 अस्पताल तथा औषधालय 06 क्षय रोग रुजालय मूल	7,92.31	8,77.31	6,81.19	-1,96.12
	पूरक	85.00			
(25)	09 एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय मूल	30,60.32	31,86.28	25,67.31	-6,18.97
	पूरक	1,25.96			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः 28,944, ₹ 44,275, ₹ 5,57,513, ₹ 3,386 एवं ₹ 5,37,487 भी सम्मिलित है।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(26)	10 टिहरी बांध प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक चिकित्सा सुविधा			
	मूल	49.87		
	पूरक	1.50	51.37	90.13
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः 37,42,771, ₹ 4,58,791 एवं ₹ 34,119 भी सम्मिलित है।			+38.93
(27)	11 ब्लड बैंक की स्थापना			
	मूल	31.14		
	पूरक	5.00	36.14	28.58
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 13,388 भी सम्मिलित है।			-7.56
(28)	17 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना			
	मूल	33,01.71		
	पूरक	3,80.47	36,82.18	32,27.42
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 13,801 एवं ₹ 19,640 भी सम्मिलित है।			-4,54.76
(29)	18 ग्रामीण महिला चिकित्सालयों की स्थापना			
	मूल	1,90.36		
	पूरक	28.10	2,18.46	1,89.03
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 15,358 भी सम्मिलित है।			-29.43
(30)	91 जिला योजना			
	मूल	1,68.26		
	पूरक	16.03	1,84.29	1,76.65
				-7.64
(31)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	51.09		
	पूरक	11.00	62.09	38.64
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2004-05 एवं 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,76,332, ₹ 2,160 एवं ₹ 19,480 भी सम्मिलित है।			-23.45
(32)	03 प्रदेश में अंधेपन की रोकथाम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास			
	मूल	1,15.71		
	पूरक	32.50	1,48.21	1,28.78
				-19.43

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 4,39,614, ₹ 22,494 एवं ₹ 6,493 भी सम्मिलित है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(33)	04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 102 होम्योपैथी 03 अस्पताल और औषधालय मूल	7,71.58	4,75.63	4,81.92	+6.29
	पुनर्वि०	-2,95.95			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,43,911, ₹ 4,01,252, ₹ 12,324, ₹ 33,234 एवं ₹ 291 भी सम्मिलित है।				
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 2,95.95 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में निम्न कारणों से बचत के कारण किए गए-				
	➤ रिक्त पदों का न भरा जाना।				
	➤ कड़े आर्थिक उपायों के कारण।				
	➤ स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।				
(34)	05 चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 101 आयुर्वेद 06 अन्य व्यय मूल	9,57.44	9,76.28	9,23.64	-52.64
	पुनर्वि०	18.84			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 27,11,769 भी सम्मिलित है।				
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 24-11-2009 तथा 27-03-2010 को क्रमशः ₹ 15.20 लाख एवं 10.00 लाख की वृद्धि नए चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का भुगतान तथा ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज हरिद्वार में 05 विषयों पर मास्टर डिग्री कोर्स प्रारम्भ किए जाने हेतु आयुष विभाग नई दिल्ली को ₹ 10.00 लाख का बैंक ड्राफ्ट प्रेषित किए जाने के कारण की गई।				
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 6.36 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में कड़े आर्थिक उपाय अपनाये जाने से हुई बचत के कारण किए गए।				
(35)	105 पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 03 शिक्षा मूल	1,15.01	1,15.01	53.31	-61.70
(36)	04 मेडिकल कालेज मूल	47,03.50	57,82.54	38,19.28	-19,63.26
	पूरक	10,79.04			
(37)	06 लोक स्वास्थ्य 001 निदेशन तथा प्रशासन				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	03 अधिष्ठान व्यय			
	मूल	42.69		
			50.16	41.86
	पूरक	7.47		-8.30
(38)	003 प्रशिक्षण			
	03 सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र			
	मूल	1,50.21		
			1,61.96	1,29.49
	पूरक	11.75		-32.47
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,28,296 एवं ₹ 36,001 भी सम्मिलित है।			
(39)	101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण			
	03 लोक स्वास्थ्य			
	मूल	12,20.12		
			13,53.02	11,56.20
	पूरक	1,32.90		-1,96.82
(40)	04 महामारी निरोधक क्रियायें			
	मूल	4,01.41		
			4,46.41	3,73.13
	पूरक	45.00		-73.28
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 4,02,962, ₹ 47,109, ₹ 8,224 एवं ₹ 4,934 भी सम्मिलित है।			
(41)	05 मातृ एवं शिशु कल्याण			
	मूल	16,63.76		
			21,38.80	19,36.56
	पूरक	4,75.05		-2,02.24
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2006-07 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 18,092, ₹ 34,729, ₹ 37,833, ₹ 85,410, ₹ 1,12,532 एवं ₹ 2,68,868 भी सम्मिलित है।			
(42)	06 कुष्ठ रोगियों की सहायता			
	मूल	3,93.01		
			4,23.01	4,08.77
	पूरक	30.00		-14.24
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 एवं 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 22,154 एवं ₹ 40,76,746 भी सम्मिलित है।			
(43)	102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण			
	03 सरकारी जन विश्लेषक प्रयोगशाला			
	मूल	2,05.77		
			2,21.02	1,73.94
	पूरक	15.25		-47.08
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 7,875 भी सम्मिलित है।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(44)	104 औषधि नियंत्रण 03 ड्रग कन्ट्रोल मूल	57.26	67.26	58.78	-8.48
	पूरक	10.00			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 39,358 भी सम्मिलित है।					
(45)	107 लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालायें 03 प्रभाग के मुख्य स्थानों पर प्रयोगशालायें मूल	9.48	9.48	7.35	-2.13
(46)	113 लोक स्वास्थ्य प्रचार 03 राज्य में लोक स्वास्थ्य संबन्धी प्रचार प्रसार मूल	40.00	40.00	38.00	-2.00
(47)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	5,15.76	5,15.76	1,92.70	-3,23.06
(48)	04 जन्म मरण सम्बन्धी आंकड़ों के पंजीयन और संग्रहण व्यवस्था मूल	17.33	17.33	12.76	-4.57
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 19,646 भी सम्मिलित है।					
(49)	07 वाहनों का संचालन एवं अनुरक्षण मूल	55.00	55.00	51.87	-3.13
(50)	11 पार्ट टाईम दार्इयों को अतिरिक्त मानदेय मूल	1,00.00	1,00.00	72.83	-27.17
(51)	2211 परिवार कल्याण 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	3,80.21	4,36.95	3,75.82	-61.13
	पूरक	56.74			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 5,44,372, ₹ 2,92,497, ₹ 53,117 एवं ₹ 1,61,624 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 56.74 लाख की वृद्धि जिला प्रभार कल्याण ब्यूरो, क्षेत्रीय मुख्यालय संगठन एवं सी0एस0एस0एम0 के कर्मियों को वेतन एवं महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(52)	003 प्रशिक्षण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	1,69.18	1,77.18	1,08.30	-68.88
	पूरक	8.00			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 10,089 एवं ₹ 14,046 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 8.00 लाख की वृद्धि सहायक स्वास्थ्य उपचारिका, ए०एन०एम० एवं स्वास्थ्य सहायक को वेतन एवं मानदेय के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(53)	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवायें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	48,13.04	49,63.65	38,88.83	-10,74.82
	पूरक	1,50.61			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 10,78,473, ₹ 20,18,453, ₹ 5,38,098, ₹ 42,96,509 एवं ₹ 2,52,002 भी सम्मिलित है। अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 1,50.61 लाख की वृद्धि ग्रामीण उपकेन्द्रों के कर्मियों को वेतन एवं महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(54)	102 शहरी परिवार कल्याण सेवायें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	2,74.81	2,74.81	2,36.49	-38.32
	उपरोक्त लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य जहां परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				
	(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:				
(1)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 001 निदेशन तथा प्रशासन 04 मानव अंग प्रत्यारोपण विशेषज्ञ सेवा मूल	1.10	1.10	0.00	-1.10
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।				
(2)	05 चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु स्मार्ट कार्ड योजना का प्रबन्धन मूल	25.00	25.00	0.00	-25.00
	वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।				
(3)	110 अस्पताल तथा औषधालय 97 बाह्य सहायतित परियोजनायें मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	-1,00.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(4)	200 अन्य स्वास्थ्य सेवायें 06 टेली मेडिसिन की व्यवस्था मूल	15.00	15.00	0.00	-15.00
(5)	800 अन्य व्यय 12 केश विहीन चिकित्सा प्रतिपूर्ति मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।					
(6)	02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां 101 आयुर्वेद 06 गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायक अनुदान (आयुर्वेद) मूल	2.00	2.00	0.00	-2.00
(7)	102 होम्योपैथी 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	25.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-25.00			
वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।					
(8)	91 जिला योजना मूल	1.50	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-1.50			
(9)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 110 अस्पताल तथा औषधालय 19 राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रोमा सेन्टर की स्थापना मूल	1,00.02	1,00.02	0.00	-1,00.02
(10)	21 ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।					
(11)	800 अन्य व्यय 04 निजी चिकित्सीय/निदान केन्द्र की स्थापना मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।					
(12)	04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 102 होम्योपैथी 01 केन्द्रीय आयोजनागत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	58.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-58.00			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(13)	05 चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
	101 आयुर्वेद			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	10.07	0.03	0.00
	पुनर्वि०	-10.04		-0.03
(14)	06 लोक स्वास्थ्य			
	101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण			
	09 इन्टीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट			
	मूल	22.34	22.34	0.00
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।			-22.34
(15)	800 अन्य व्यय			
	06 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण निर्माण कार्य (अनुरक्षण)			
	मूल	25.00	25.00	0.00
				-25.00
(16)	09 दैवी आपदा व दुर्घटनाओं में उपचार हेतु चिकित्सा आपदा निधि			
	मूल	5.00	5.00	0.00
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			-5.00

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	15 राजकीय स्वायत्तता प्राप्त चिकित्सालयों को अनुदान			
	मूल	10,00.01		
			10,05.01	12,05.00
	पूरक	5.00		+1,99.99
(2)	06 लोक स्वास्थ्य			
	101 रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	53.58	53.58	1,13.65
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उच्चतम का समायोजन ₹ 4,96,842 भी सम्मिलित है।			+60.07
(3)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन			
	मूल	9,85.00	9,85.00	10,27.46
	उक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			+42.46



(vi) दृष्टांत जहां व्यय/व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के कारण परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां 101 आयुवेद 05 अस्पताल तथा रुजालय			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	59.04
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 59,04,439 सम्मिलित है।			
(2)	2211 परिवार कल्याण 00 103 मातृ तथा बाल स्वास्थ्य 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1.62
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 32,895, ₹ 27,139, ₹ 17,017 एवं ₹ 85,236 सम्मिलित है।			
(3)	104 परिवहन 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1.06
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 13,043, ₹ 28,673, ₹ 63,249 एवं ₹ 1,338 सम्मिलित है।			
(4)	105 क्षतिपूर्ति 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.55
	पुनर्वि०	0.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 25,000, ₹ 15,000 एवं ₹ 15,000 सम्मिलित है।			

मुख्य लेखाशीर्ष '2210' चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2009 में प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 37,88.31 लाख मुख्यतः निम्न चिकित्सा योजनाओं के कर्मियों के वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए-

- मुख्यालय अधिष्ठान।
- एर्काकृत एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय।
- क्षयरोग निदानालय।
- उच्च न्यायालय में एलोपैथिक चिकित्सालय का अधिष्ठान।

- ब्लड बैंक की स्थापना।
- राजकीय स्वायत्तशासी चिकित्सालयों को अनुदान।
- सचिवालय एवं उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में एलोपैथिक चिकित्सालय की स्थापना।
- माननीय राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के निवास पर चिकित्सा व्यवस्था।
- प्रदेश में अन्धेपन की रोकथाम हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास।
- दूरस्थ उपकेन्द्रों में फामसिस्टों की व्यवस्था।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना।
- सी.एम.ओ. अधिष्ठान।
- दून मेडिकल कालेज का अधिष्ठान।
- श्रीनगर मेडिकल कालेज की स्थापना।
- महामारी रोकथाम योजनाएं।
- औषधि नियन्त्रण।

**पूँजीगत-  
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 18,90.09 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 2,07.39 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (viii) ₹ 18,90.09 लाख की बचत को देखते हुए ₹ 15,31.13 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्न के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	03 शव विच्छेदन			
	मूल	60.00	60.00	23.50
				-36.50
(2)	18 राष्ट्रीय राज मार्गों पर ट्रामा सेंटर का निर्माण			
	मूल	1,00.00	1,00.00	24.12
				-75.88
(3)	19 देहरादून बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज के भवन का निर्माण			
	मूल	1,00.00	1,00.00	43.41
				-56.59
(4)	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें			
	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र			
	91 जिला योजना			
	मूल	2,00.00		
			4,41.17	4,11.75
	पूरक	2,41.17		-29.42

अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 में ₹ 2,41.17 लाख के प्रावधान की वृद्धि नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण/विस्तार हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(5)	110 अस्पताल तथा औषधालय 07 एलोपैथिक चिकित्सालयों का निर्माण मूल 50.00	50.00	21.55	-28.45
(6)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल 24.67 पुनर्वि० -19.37	5.30	5.30	0.00
	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं में दिनांक 31-03-2010 को ₹ 19.37 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए।			
(7)	91 जिला योजना मूल 3,72.90 पूरक 5,71.10 पुनर्वि० -1,88.02	7,55.98	7,49.99	-5.99
	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं से दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1,88.02 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए। अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 5,71.10 लाख के प्रावधान की वृद्धि होमियोपैथी चिकित्सालय के निर्माण कार्यों तथा निर्वाधीन कार्यों को पूर्ण किए जाने हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(8)	03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105 एलौपैथी 06 अल्मोड़ा में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण मूल 5,00.00	5,00.00	96.61	-4,03.39
(9)	4211 परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 00 101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा 91 उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण (जिला योजना) मूल 50.00 पूरक 1,65.54	2,15.54	2,13.88	-1.66
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 1,65.64 लाख की वृद्धि ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा के अन्तर्गत उप केन्द्रों (जिला योजना) के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(10)	103 मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य 03 ए०एन०एम०टी०सी० का भवन निर्माण मूल 1,00.00	1,00.00	59.13	-40.87
	उपरोक्त लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(1)	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें 110 अस्पताल तथा औषधालय 21 सी०एम०ओ० कार्यालय भवन का निर्माण मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
(2)	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण (राज्य योजना) मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
(3)	110 अस्पताल तथा औषधालय 08 शव विच्छेदन गृह का निर्माण मूल	20.00	20.00	0.00	-20.00
(4)	09 ब्लड बैंक की स्थापना/निर्माण कार्य मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
(5)	10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण मूल	1,00.00	60.01	0.00	-60.01
	पुनर्वि०	-39.99			

वर्ष 2008-09 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।

(6)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 105 एलौपैथी 03 श्रीनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	-10,00.00
(7)	4211 परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 00 101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा 03 उप-केन्द्रों के भवन का निर्माण मूल	70.00	70.00	0.00	-70.00

वर्ष 2008-09 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।

उपरोक्त लेखाशीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(1)	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें 110 अस्पताल तथा औषधालय 17 आवासीय भवनों की व्यवस्था मूल	2,00.00	2,00.00	3,15.00	+1,15.00
(2)	20 आवासीय भवनों की व्यवस्था मूल पुनर्वि०	0.01 39.99	40.00	40.00	0.00
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22-03-2010 को ₹ 39.99 लाख की वृद्धि आवासीय भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					
(3)	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना मूल	3,00.00	3,00.00	3,85.00	+85.00
(4)	110 अस्पताल तथा औषधालय 05 तहसील स्तरीय चिकित्सा सुविधा निर्माण मूल	1,00.00	1,00.00	1,30.00	+30.00
(5)	91 जिला योजना मूल पूरक	3,00.00 5,53.32	8,53.32	8,70.34	+17.02
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 5,53.32 लाख की वृद्धि राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					
(6)	03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105 एलौपैथी 07 एम्स की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना के लिए राज्य सरकार की सहायता मूल	0.01	0.01	9.11	+9.10
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य जहां परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।					

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास

मुख्य लेखाशीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

आधिक्य (+)

बचत (-)

(हजार ₹ में)

राजस्व :

2215 जल पूर्ति तथा सफाई

2217 शहरी विकास

दत्तमत—

मूल 6,23,56,83

पूरक 2,58,29,52

8,81,86,35

8,34,11,61

-47,74,74

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)

42,83

पूँजीगत :

4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

6215 जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज

दत्तमत—

मूल 1,00,00

पूरक 00

1,00,00

00

-1,00,00

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)

00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 47,74.74 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 42.83 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 47,74.74 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 2,58,29.52 लाख के अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम लेखाशीर्ष सं०

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

आधिक्य(+)

बचत(-)

(लाख ₹ में)

(1) 2215 जल पूर्ति तथा सफाई

01 जलपूर्ति

101 शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम

06 चारधाम यात्रा/पर्यटन मार्गों पर पेयजल उपलब्ध कराना

मूल

50.00

50.00

40.00

-10.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	3,16.75		
			7,53.72	6,13.69
	पूरक	4,36.97		-1,40.03
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 4,36.97 लाख की वृद्धि सम्पूर्ण ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	03 ग्रामीण पेयजल (राज्य सेक्टर)			
	मूल	15,00.00	15,00.00	14,16.26
(4)	04 जल स्रोतों का रख-रखाव तथा पुनर्जीवन			
	मूल	1,00.00	1,00.00	43.39
(5)	91 जिला योजना			
	मूल	80,00.00		
			1,23,99.38	82,75.23
	पूरक	43,99.38		-41,24.15
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 43,99.38 लाख की वृद्धि ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(6)	97 बाह्य/विश्व बैंक सहायतित			
	मूल	15,00.00		
	पूरक	10,00.00	20,00.00	20,00.00
	पुनर्वि०	-5,00.00		0.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता योजना हेतु अनुदान देने हेतु की गई।			
	दिनांक 30-03-2010 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,00.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता न होने के कारण की गई।			
(7)	2217 शहरी विकास			
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	06 नगर एवं ग्राम्य नियोजन अधिष्ठान			
	मूल	2,58.89		
	पूरक	1.32	2,51.90	2,51.96
	पुनर्वि०	-8.31		+0.06
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 1.32 लाख की वृद्धि शहरी एवं ग्रामीण योजना अधिष्ठान के कर्मियों को मजदूरी एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(8)	07 विहित अधिकारियों का अधिष्ठान			
	मूल	1,05.73		
			85.54	87.37
	पुनर्वि०	-20.19		+1.83

वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 64,293 एवं ₹ 20,422 भी सम्मिलित है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(9)	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता 97 वाह्य. सहायतित योजना मूल	1,20,96.01	1,20,96.01	9,66.15	-1,11,29.86
(10)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,27,12.01			
	पुनर्वि०	56,00.00	1,83,12.00	74,79.30	-1,08,32.70
	पूरक	-0.01			
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 56,00.00 लाख की वृद्धि नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन एवं बेसिक सर्विसेज टू अरबन पुअर्स योजना हेतु अनुदान देने के लिए की गई।					
(11)	04 नगरों का समेकित विकास 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 स्थानीय निकाय अधिष्ठान मूल	69.69	69.69	65.05	-4.64
(12)	80 सामान्य 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 नगर पंचायतों का चुनाव मूल	1,58.88	1,58.88	1,44.59	-14.29
वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 13,239 एवं ₹ 4,027 भी सम्मिलित है।					
(13)	800 अन्य व्यय 03 नगर पंचायतों का चुनाव पूरक	5,29.50	5,29.50	2,07.19	-3,22.31
अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 5,29.50 लाख के प्रावधान हरिद्वार कुम्भ मेला 2010 हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से ली गई अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए की गई।					
(14)	04 शहरी भूमि सीमा रोपण मूल	57.58	43.26	43.26	0.00
	पुनर्वि०	-14.32			

उपरोक्त क्रम सं० (7), (8) एवं (14) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य जहां परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।



(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(1)	2215 जल पूर्ति तथा सफाई 02 मल निकासी एवं सफाई 105 सफाई सेवाएँ 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ मूल	60.00	60.00	0.00	-60.00
(2)	2217 शहरी विकास 03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 001 निदेशन तथा प्रशासन 08 परियोजनाओं की प्रारम्भिक तैयारियों एवं रिपोर्ट तैयार करने हेतु मूल	50.01	50.01	0.00	-50.01
(3)	800 अन्य व्यय 04 कम्प्यूटरीकरण एवं जी.आई.एस. योजना मूल	25.00	7.84	0.00	-7.84
	पुनर्वि०	-17.16			
वर्ष 2008-09 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।					
(4)	80 सामान्य 001 निदेशन तथा प्रशासन 04 उत्तराखण्ड सफाई कर्मचारी आयोग मूल	12.67	12.67	0.00	-12.67
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।					

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2215 जल पूर्ति तथा सफाई 01 जलपूर्ति 101 शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	10,00.00	10,00.00	37,64.93	+27,64.93
(2)	05 नगरीय पेय जल मूल	70,60.00	70,60.00	79,08.37	+8,48.37
(3)	97 बाह्य/विश्वबैंक सहायतित मूल	50,00.00	55,00.00	55,00.00	0.00
	पुनर्वि०	5,00.00			

पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 30-03-2010 को ₹ 5,00.00 लाख के प्रावधान की वृद्धि कम प्रावधान आवंटित होने के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(4)	2217 शहरी विकास			
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	5,09.57		
		20,09.57	24,89.91	+4,80.34
	पूरक	15,00.00		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि आवास एवं मलिन बस्ती सुधार योजना हेतु अनुदान देने के कारण की गई।			
(5)	03 नगरों का समेकित विकास			
	मूल	2,64.02		
		2,81.18	3,58.42	+77.24
	पुनर्वि०	17.16		
(6)	2217 शहरी विकास			
	80 सामान्य			
	800 अन्य			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,00,00.00		
		2,20,00.00	3,99,44.19	+1,79,44.19
	पूरक	1,20,00.00		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 1,20,00.00 लाख की वृद्धि हरिद्वार कुम्भ मेला 2010 के लिए अवस्थापना सुविधाओं हेतु निधि की आवश्यकता के लिए की गई।			
	उपरोक्त क्रम सं० (1), (2), (4) से (6) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			

## पूँजीगत :

## दत्तमत-

- (vi) ₹ 1,00.00 लाख के पूँजीगत प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि अनुदान के अन्तर्गत कोई व्यय नहीं हुआ।
- (vii) प्रावधान जो कि अप्रयुक्त रहा निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

6215 जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज

02 मल-जल तथा सफाई

800 अन्य कर्ज

04 पेय जल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिये ऋण (जिला योजना)

मूल

1,00.00

1,00.00

0.00

-1,00.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

## अनुदान सं० 14 सूचना

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2220 सूचना तथा प्रचार

दत्तमत—

मूल	21,90,66			
		22,12,94	20,90,07	-1,22,87
पूरक	22,28			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				1,68,46

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 8,11,31,132 नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूँजीगत :

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	50,00			
		50,00	10,00	-40,00
पूरक	00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				00

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 1,22.87 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 1,68.46 लाख के अभ्यर्पण न्यायसंगत सिद्ध नहीं हुए।
- (ii) ₹ 1,22.87 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 को प्राप्त ₹ 22.28 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2220 सूचना तथा प्रसार			
	01 फिल्म			
	105 फिल्मों का निर्माण			
	03 अधिष्ठान			
	मूल	48.66		
			28.71	37.69
	पुनर्वि०	-19.95		+8.98

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29-03-2010 को ₹ 8.98 लाख की कमी वेतन, महंगाई भत्ता

एवं अन्य भत्तों में बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 10.97 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के अन्य मदों में बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	06 फिल्म परिषद् की स्थापना मूल	10.00		
	पुनर्वि०	-9.48	0.52	0.62
				+0.10
(3)	60 अन्य 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 अधिष्ठान व्यय मूल	2,97.52		
	पुनर्वि०	-51.40	2,46.12	2,80.34
				+34.22
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन एवं अभ्यर्पण द्वारा ₹ 51.40 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई।			
(4)	101 विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार 05 अधिष्ठान मूल	12,32.31		
	पुनर्वि०	-30.09	12,02.22	12,14.69
				+12.47
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 24,410 भी सम्मिलित है।			
(5)	07 किसान मेला प्रदर्शनी का आयोजन मूल	2.60		
	पुनर्वि०	-1.64	0.96	0.96
				0.00
(6)	102 सूचना केन्द्र 03 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान मूल	71.25		
	पुनर्वि०	-28.47	42.78	42.87
				+0.09
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,944 एवं ₹ 15,390 भी सम्मिलित है।			
(7)	103 प्रेस सूचना सेवायें 03 उत्तराखण्ड में प्रेस क्लबों की स्थापना मूल	70.00		
	पुनर्वि०	-28.57	41.43	31.43
				-10.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(8)	106 क्षेत्र प्रचार 03 अधिष्ठान			
	मूल	2,18.11		
	पूरक	-29.78		
			1,88.33	1,79.42
				-8.91

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,869 एवं ₹ 44,577 भी सम्मिलित है।

(9)	109 फोटो सेवार्ये 03 अधिष्ठान			
	मूल	27.81		
	पुनर्वि०	-4.46		
			23.35	25.35
				+2.00

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 25,431 भी सम्मिलित है।

(10)	110 प्रकाशन 91 जिला योजना			
	मूल	7.00		
	पूरक	5.15	10.47	10.48
	पुनर्वि०	-1.68		
				+0.01

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 5.15 लाख की वृद्धि प्रकाशन व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(11)	800 अन्य व्यय 06 श्रमजीवी पत्रकारों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति			
	मूल	5.00		
	पुनर्वि०	-1.92		
			3.08	3.08
				0.00

(12)	07 प्रदेश में मीडिया सलाहकार समिति का गठन			
	मूल	15.00		
	पुनर्वि०	-9.00		
			6.00	5.33
				-0.67

उपरोक्त क्रम सं० (2), (4) से (11) के शीर्षों के अन्तर्गत अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण थे।

उपरोक्त क्रम सं० (7), (8) एवं (12) के शीर्षों के अन्तर्गत बचत एवं क्रम सं० (1) से (4) एवं (9) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(iv) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2220 सूचना तथा प्रचार 60 अन्य 103 प्रेस सेवा सूचना
-----	----------------------------------------------------------

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	05 टेली प्रिन्टर योजना			
	मूल	20.00		
	पुनर्वि०	4.97		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29-03-2010 को ₹ 5.00 लाख की वृद्धि टेलीप्रिन्टर योजना के अन्तर्गत निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 0.03 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।	24.97	24.97	0.00
(2)	106 क्षेत्र प्रचार			
	04 जिला सूचना कार्यालय का सुदृढीकरण (जि०यो०)			
	मूल	7.50		
	पूरक	4.30	37.75	37.75
	पुनर्वि०	25.95		0.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान के द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 4.30 लाख की वृद्धि छायाचित्र योजना के अन्तर्गत कार्यालय व्यय में निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2010 को ₹ 26.50 लाख की वृद्धि जिला सूचना कार्यालय चम्पावत के भवन निर्माण तथा जिला सूचना कार्यालय ऊधमसिंह नगर के नवनिर्मित भवन के चहार दीवारी निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 0.55 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित थे।			
(3)	110 प्रकाशन			
	03 अधिष्ठान			
	मूल	63.76		
	पुनर्वि०	13.46		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29-03-2010 को ₹ 22.55 लाख की वृद्धि प्रकाशन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 9.09 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।	77.22	84.81	+7.59
(4)	800 अन्य व्यय			
	03 स्वतन्त्रता तथा गणतन्त्र दिवस संबन्धी (उत्तराखण्ड सचिवालय को छोड़कर) उत्सवों आदि पर व्यय			
	मूल	15.00		
	पुनर्वि०	5.66		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16-03-2010 को ₹ 8.00 लाख की वृद्धि गणतन्त्र दिवस के अवसर पर उत्तराखण्ड की झांकी प्रस्तुत करने के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 2.34 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।	20.66	20.66	0.00
	उपरोक्त क्रम सं० (3) के लेखाशीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			

पूँजीगत :  
दत्तमत-

- (v) ₹ 40.00 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।  
(vi) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
60	अन्य			
051	निर्माण			
03	सूचना निदेशालय हेतु भवन निर्माण की व्यवस्था			
	मूल	50.00	50.00	10.00
				-40.00

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के अभ्यर्पण न किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

## अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

### राजस्व :

2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं

### दत्तमत-

मूल	3,08,62,19			
		3,41,61,79	2,61,18,71	-80,43,08
पूरक	32,99,60			
				2,65,72

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,96,000 नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

### पूंजीगत :

4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
4250	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

### दत्तमत-

मूल	7,60,03			
		7,60,03	2,51,37	-5,08,66
पूरक	00			
				2,97

### टिप्पणियां एवं टीकार्यें

#### राजस्व :

#### दत्तमत-

- (i) ₹ 80,43.08 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 2,65.72 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 80,43.08 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 32,99.60 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 001 निदेशन तथा प्रशासन			



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	03 मुख्यालय एवं मण्डलीय अधिष्ठान			
	मूल	1,06.36		
	पुनर्वि०	-7.42	98.94	96.19
				-2.75
(2)	05 जिला कार्यालयों का अधिष्ठान			
	मूल	5,22.47		
	पूरक	22.50	5,13.34	5,26.78
	पुनर्वि०	-31.63		
				+13.44
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 3,430, ₹ 3,78,229, ₹ 32,649 एवं ₹ 1,73,526 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 22.50 लाख की वृद्धि वेतन एवं व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	04 उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन			
	मूल	39.75		
	पुनर्वि०	-16.16	23.59	23.74
				+0.15
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 500 भी सम्मिलित है।			
	उपरोक्त क्रम सं० (1) से (3) के शीर्षों के अन्तर्गत अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।			
(4)	277 शिक्षा			
	05 पिछड़ी जातियों के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता			
	मूल	3,90.13		
	पुनर्वि०	-59.14	3,30.99	3,05.19
				-25.80
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,83,180 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 13-01-2010 को ₹ 5.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 54.14 लाख की कमी सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान करने के उपरान्त हुई बचत के कारण की गई।			
(5)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	02 समाज कल्याण			
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
	04 विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिये आश्रित कर्मशालायें व प्रशिक्षण केन्द्र			
	मूल	51.96		
	पुनर्वि०	-6.31	45.65	51.30
				+5.65
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 6.31 लाख के अभ्यर्पण रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(6)	05 दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजन को राज्य स्तरीय पुरस्कार मूल 10.00	10.00	3.34	-6.66
(7)	07 विकलांग युवक/युवतियों से शादी करने पर प्रोत्साहन मूल 20.00	20.00	9.81	-10.19
(8)	09 विकलांगों के लिए छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन मूल 45.00	37.85	37.65	-0.20
	पुनर्वि० -7.15			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 7.15 लाख के अभ्यर्पण सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान करने के उपरान्त हुई बचत के कारण के कारण किए गए।			
(9)	11 विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वन हेतु कार्यक्रम मूल 1,00.57	77.96	34.82	-43.14
	पुनर्वि० -22.61			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23-09-2009 को ₹ 19.99 लाख की कमी विकलांग जन अधिनियम, 1995 के लागू किए जाने के लिए पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 2.62 लाख के अभ्यर्पण रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण किए गए।			
(10)	102 बाल कल्याण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 61,99.06	62,10.06	50,40.91	-11,69.15
	पूरक 11.00			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 51,77,631, ₹ 7,33,761, ₹ 15, ₹ 2,72,430, ₹ 4,20,364 एवं ₹ 6,83,741 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 11.00 लाख की वृद्धि सामुदायिक बाल विकास के कर्मियों के वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(11)	03 परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बालविकास पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था मूल 36,28.77	57,38.52	34,02.14	-23,36.38
	पूरक 21,09.75			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 15 एवं ₹ 9,922 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 21,09.75 लाख की वृद्धि योजना के अन्तर्गत पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल इत्यादि के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(12)	04 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र मूल	77.71	61.21	62.16	+0.95
	पुनर्वि०	-16.50			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः रुपये 65,653, ₹ 52,874, रुपये 5 एवं रुपये 13,208 भी सम्मिलित है।					
(13)	05 बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की सीपना मूल	25.26	25.24	25.76	+0.52
	पूरक	3.00			
	पुनर्वि०	-3.02			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2004-05 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः रुपये 51,909, रुपये 3,000 एवं रुपये 24,330 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 3.00 लाख की वृद्धि बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड के कर्मियों को वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					
(14)	06 बाल कल्याण की विविध योजनायें मूल	16,05.00	16,05.00	91.84	15,13.16
(15)	07 संस्थानों/गृहों का संचालन मूल	3,17.03	3,00.57	3,13.75	+13.18
	पूरक	18.00			
	पुनर्वि०	-34.46			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः रुपये 4,04,918, रुपये 1,00,403 ₹ 5,258 एवं रुपये 34,055 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 18.00 लाख की वृद्धि वेतन एवं महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। उपरोक्त क्रम सं० (12) से (15) के शीर्षों के अन्तर्गत अभ्यर्पण का कारण रिक्त पदों का न भरा जाना सूचित किया गया।					
(16)	10 राज्य महिला आयोग की सीपना मूल	15.00	15.00	1.00	-14.00
(17)	103 महिला कल्याण 08 विधवाओं से विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार मूल	5.78	4.78	3.19	-1.59
	पुनर्वि०	-1.00			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन रुपये 44,000 भी सम्मिलित है।					
(18)	10 राज्य महिला आयोग की सीपना मूल	46.41	46.41	27.69	-18.72

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(19)	19 जिला योजना			
	मूल	20,55.00		
	पूरक	2,20.60	22,75.56	23,02.62
	पुनर्वि०	-0.04		+27.06
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 47,30,000 भी सम्मिलित है।			
	उक्त शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुआ।			
(20)	104 वृद्ध, अशक्त, दुर्बल तथा निःसहाय निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण			
	03 वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवास गृह			
	मूल	15.38		
			12.89	13.63
	पुनर्वि०	-2.49		+0.74
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 2.49 लाख के अभ्यर्पण रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण किए गए।			
(21)	04 भिक्षावृत्ति का निवारण			
	मूल	49.01		
	पूरक	8.00	51.77	52.35
	पुनर्वि०	-5.24		+0.58
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 57,999 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 8.00 लाख की वृद्धि भिक्षावृत्ति निवारण के अन्तर्गत विद्युत देय एवं भरण-पोषण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 13-01-2010 को ₹ 5.00 लाख की वृद्धि राजकीय भिक्षुक गृह हरिद्वार को सहायता हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 10.24 लाख के अभ्यर्पण का कारण रिक्त पदों का न भरा जाना सूचित किया गया।			
(22)	107 स्वेच्छिक संगठनों को सहायता			
	05 श्री श्रधानन्द बाल वनिता आश्रम हेतु अनुदान			
	मूल	1,00.00	1,00.00	54.00
				-46.00
(23)	800 अन्य व्यय			
	07 योजनाओं का मूल्यांकन, प्रचार प्रसार			
	मूल	25.00		
			8.50	5.63
	पुनर्वि०	-16.50		-2.87
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 26-02-2010 को ₹ 16.50 लाख की कमी निधि की आवश्यकता न होने के कारण की गई।			
(24)	09 समाज कल्याण अनुश्रवण समिति			
	मूल	25.00		
			11.50	8.33
	पुनर्वि०	-13.50		-3.17
	पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 26-02-2010 को ₹ 13.50 लाख के प्रावधान की कमी निधि की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित थी।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(25)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 200 अन्य कार्यक्रम 05 दंगा पीड़ितों को सहायता मूल	60.00	60.00	0.30	-59.70
(26)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	27,00.00	27,00.00	24,01.59	-2,98.41
(27)	06 गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों के लिए जनश्री बीमा योजना मूल	4,26.00	37.00	14.00	-23.00
	पुनर्वि०	-3,89.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 26-02-2010 को ₹ 3,89.00 लाख की कमी का कारण योजना के अन्तर्गत बचत होना सूचित किया गया।				
(28)	2250 अन्य सामाजिक सेवायें 00 102 धार्मिक तथा पूर्व अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन 03 वक्फ बोर्डों को सहायता मूल	2.00	0.67	0.67	0.00
	पुनर्वि०	-1.33			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1.33 लाख के अभ्यर्पण शासन स्तर से निधि के अवमुक्त न होने के कारण किए गए।				
(29)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	28,01.84	27,53.34	3,71.46	-23,81.88
	पुनर्वि०	-48.50			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 26-02-2010 को ₹ 48.50 लाख की कमी किए जाने का कारण आवंटित प्रावधान में बचत होने की सम्भावना सूचित किया गया।				
(30)	03 प्रान्तीय हज समिति को अनुदान मूल	25.50	25.50	18.31	-7.19
(31)	04 अल्प संख्यक आयोग का अधिष्ठान मूल	29.74	20.15	20.62	+0.47
	पुनर्वि०	-9.59			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 9.59 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(32)	05 अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण (100% के०स०) मूल	52.00	50.67	1.39	-49.28
	पुनर्वि०	-1.33			
	आयोजनेत्तर के अन्तर्गत कुल प्रावधान ₹ 2.00 लाख के विरुद्ध ₹ 1.33 लाख के अभ्यर्पण तथा आयोजनागत के अन्तर्गत बचत/अभ्यर्पण नहीं किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				
(33)	12 मुस्लिम एजुकेशन मिशन की स्थापना मूल	53.00	20.00	17.90	-2.10
	पुनर्वि०	-33.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18-02-2010 को ₹ 33.00 लाख की कमी किए जाने का कारण आवंटित प्रावधान में बचत होने की सम्भावना सूचित किया गया।				
(34)	91 अल्प संख्यक समुदाय के कक्षा 1-10 के छात्रों को छात्रवृत्ति मूल	14,00.00	13,97.77	13,97.33	-0.44
	पुनर्वि०	-2.23			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 29,460 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 2.23 लाख के अभ्यर्पण पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किए जाने के उपरान्त हुई बचत के कारण किए गए।				
(35)	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवायें 00 092 अन्य कार्यालय 05 स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों का सम्मान तथा अन्य सहायता मूल	15.00	15.00	0.95	-14.05
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य जहां परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				
	(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:				
(1)	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 03 पिछड़े वर्गों का कल्याण 800 अन्य व्यय 04 जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(2)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण 18 हरिद्वार में मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों हेतु दीर्घकालिक आवास का संचालन मूल	5.00	5.00	0.00	-5.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(3)	103 महिला कल्याण 13 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
(4)	14 मानसिक रूप से विक्रिप्त महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन मूल	5.00	5.00	0.00	-5.00
(5)	107 स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान 03 मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान मूल	5.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-5.00			
(6)	91 अनाथों के दाह दफन हेतु स्वैच्छिक संगठनों/संस्थानों को सहायता (जिला योजना) मूल	2.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-2.00			
(7)	800 अन्य व्यय 06 विकलांग शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
	वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(8)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 200 अन्य कार्यक्रम 07 राज्य आन्दोलनकारियों के कल्याणार्थ पेंशन की सुविधा हेतु कारपस फण्ड की स्थाना मूल	0.01	1,50.01	0.00	-1,50.01
	पूरक	1,50.00			
(9)	2250 अन्य सामाजिक सेवार्ये 00 800 अन्य व्यय 09 पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर व्यय मूल	30.00	30.00	0.00	-30.00
(10)	11 अल्प संख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
(11)	13 जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना मूल	20.00	20.00	0.00	-20.00
(12)	15 मदरसा अरबी फारसी बोर्ड मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(13)	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवायें 00 092 अन्य कार्यालय 03 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संस्थान द्वारा स्वतंत्रता जन्म शताब्दी आदि के लिए सहायक अनुदान	मूल 3.00	3.00	0.00	-3.00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	------	-------

वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(14)	06 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण परिषद मूल 24.43	24.43	0.00	-24.43
------	-------------------------------------------------------------------------	-------	------	--------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण 13 विकलांग जनों के लिए जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना	मूल 0.01	20.00	20.00	0.00
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------	-------	------

पुनर्वि० 19.99  
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19.99 लाख की वृद्धि योजना में निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2)	91 जिला योजना मूल 13,64.28 पूरक 28.88 पुनर्वि० 32.79	14,25.95	14,16.03	-9.92
-----	---------------------------------------------------------------	----------	----------	-------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,75,500 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 28.88 लाख की वृद्धि अन्धे, बहरे, गूंगे एवं विकलांगों के भरण-पोषण हेतु अनुदान देने हेतु की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18-02-2010 को ₹ 33.00 लाख की वृद्धि विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 0.21 लाख के अभ्यर्पण पात्र पेंशनरों को पेंशन के भुगतान के उपरान्त हुई बचत के कारण किए गए।

(3)	103 महिला कल्याण 12 गौरी देवी कन्याधन योजना मूल 3,00.00 पूरक 1,00.00 पुनर्वि० 4,67.50	8,67.50	10,44.00	+1,76.50
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------	----------

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि गौरी देवी कन्या धन योजना के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 26-02-2010 को ₹ 4,67.50 लाख की वृद्धि गौरी देवी कन्या धन योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर अवशेष देयकों के भुगतान के लिए की गई।



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(4)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
	102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
	03 वृद्धावस्था/किसान पेंशन			
	मूल	26,80.00		
	पूरक	5,57.57	32,14.51	33,67.77
	पुनर्वि०	-23.06		+1,53.26

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 29,021 एवं ₹ 28 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 5,57.57 लाख की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वृद्धा पेंशन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 23.06 लाख के अभ्यर्पण का कारण मनी आर्डर द्वारा कम पेंशनरों को पेंशन भेजना सूचित किया गया।

(5)	107 स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना			
	03 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन			
	मूल	10,00.00	10,00.00	11,47.55
				+1,47.55

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2003-04 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,00,51,119 एवं ₹ 1,16,438 भी सम्मिलित है।

(6)	200 अन्य कार्यक्रम			
	03 सैनिक कल्याण			
	मूल	13,14.53		
	पूरक	70.30	13,58.95	14,06.93
	पुनर्वि०	-25.88		+47.98

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 51,75,875, ₹ 93,458, ₹ 52,997, ₹ 13,443 एवं ₹ 43,015 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 70.30 लाख की वृद्धि सैनिक मुख्यालय एवं सैनिक कल्याण योजना के कर्मियों को वेतन एवं मानदेय के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 25.88 लाख के अभ्यर्पण का कारण ब्लाक प्रतिनिधियों की विलम्ब से नियुक्ति होना सूचित किया गया।

उपरोक्त क्रम सं० (2) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत एवं क्रम सं० (3) से (6) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(vi) दृष्टांत जहां आधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के कारण परिलक्षित हुआ:

(1)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	02 समाज कल्याण			
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	0.03
	पुनर्वि०	0.00		+0.03

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 3,000 सम्मिलित है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	2250 अन्य सामाजिक सेवायें 00			
	800 अन्य व्यय			
	07 अरेबिया मदरसों को अनुदान			
	मूल	15.00		
			14.98	18.73
				+3.75
	पुनर्वि०	-0.2		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 3,75,000 भी सम्मिलित है।

**पूजीगत :**  
**दत्तमत-**

- (vii) ₹ 5,08.66 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 2.97 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।  
(viii) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1)	4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूजीगत परिव्यय 60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम			
	200 अन्य कार्यक्रम			
	03 सैनिक कल्याण			
	मूल	1,00.01		
			97.04	97.03
				-0.01
	पुनर्वि०	-2.97		

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 2.97 लाख के अभ्यर्पण शासन स्तर से निधि की स्वीकृति न होने के कारण किए गए।

(2)	4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूजीगत परिव्यय 00			
	800 अन्य व्यय			
	03 हज हाऊस का निर्माण			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.28
				-99.72

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूजीगत परिव्यय 03 पिछड़े वर्गों का कल्याण			
	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
	03 पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम हेतु अंश पूजी			
	मूल	20.00	20.00	0.00
				-20.00

वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।

(2)	277 शिक्षा 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				-50.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(3)	4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02 समाज कल्याण 102 बाल कल्याण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	-1,00.00
(4)	104 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण 04 वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवास गृह मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
(5)	05 भिक्षुक गृह का निर्माण मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
(6)	07 निराश्रित एवं मानसिक रूप से विकसित व्यक्तियों हेतु आवासीय गृह का निर्माण मूल	20.00	20.00	0.00	-20.00
(7)	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 03 विकलांग हेतु स्वरोजगार अंशपूंजी (49% के०स०) मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।					
(8)	4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 00 800 अन्य व्यय 04 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम हेतु अंशपूंजी मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	-1,00.00
(9)	07 बेरोजगारों अल्पसंख्यक महिलाओं को सिलाई आदि का प्रशिक्षण मूल	25.00	25.00	0.00	-25.00
(10)	08 अल्प संख्यकों हेतु स्वरोजगार योजना मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।					
(x) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:					
(1)	4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02 समाज कल्याण 102 बाल कल्याण 03 स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का निर्माण मूल	15.00	15.00	32.25	+17.25

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(2)	103 महिला कल्याण				
	06 किशोर न्याय (बालकों का संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत गृहों का निर्माण				
	मूल	50.00	50.00	72.12	+22.12
(3)	08 मानसिक रूप से विक्रिप्त महिलाओं हेतु आवासीय गृह का निर्माण				
	मूल	10.00	10.00	14.07	+4.07
(4)	104 विकलांग व्यक्तिया का कल्याण				
	06 हरिद्वार में मानसिक रूप से विक्रिप्त व्यक्तियों हेतु दीर्घकालिक आवास का निर्माण				
	मूल	10.00	10.00	35.62	+25.62
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				

## अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
<b>राजस्व :</b>			
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230 श्रम तथा रोजगार			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	46,13,24		
		51,61,34	-5,61,41
पूरक	5,48,10		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)			00

### पूँजीगत :

4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत—</b>			
मूल	2,65,00		
		2,65,00	-45,82
पूरक	00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)			00

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 77,75,000 नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

### टिप्पणियाँ एवं टीकायें

#### राजस्व :

#### दत्तमत—

- (i) ₹ 5,61.41 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 5,61.41 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 को प्राप्त ₹ 5,48.10 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं—पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	2,87.61		
			3,80.11	-21.22
	पूरक	92.50		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 60,337 एवं ₹14,802 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 92.50 लाख की वृद्धि कर्मचारी राज्य बीमा योजना निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय श्रम विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	2230 श्रम तथा रोजगार 01 श्रम 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 श्रम विभाग का अधिष्ठान मूल	1,10.57		
	पुरक	5.00		
		1,15.57	1,02.30	-13.27
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 5.00 लाख की वृद्धि श्रम विभाग के कर्मियों के वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	101 औद्योगिक सम्बन्ध 04 राज्य श्रम सलाहकार संविदा बोर्ड मूल	13.42	13.42	8.68
				-4.74
(4)	05 औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय का अधिष्ठान मूल	51.35		
	पुरक	28.40		
		79.75	64.43	-15.32
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 28.40 लाख की वृद्धि औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(5)	102 कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा 03 निरीक्षण अधिष्ठान मूल	57.37	57.37	41.40
				-15.97
(6)	103 सामान्य श्रम कल्याण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	1,38.00	1,38.00	60.76
				-77.24
(7)	02 रोजगार सेवाएं 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 रोजगार सम्बन्धी अधिष्ठान मूल	4,38.89		
	पुरक	21.55		
		4,60.44	3,91.02	-69.42

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2004-05 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 67,412, ₹ 16,064 एवं ₹ 1,42,457 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 21.55 लाख की वृद्धि रोजगार सेवाओं के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(8)	800 अन्य व्यय			
	01. केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	16.76	16.76	7.83
(9)	03 शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की स्थापना (पिछड़े वर्ग हेतु)			
	मूल	77.05		
			88.10	75.78
	पूरक	11.05		-12.32
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,217 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 11.05 लाख की वृद्धि शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के वेतन एवं भत्ते, किराया, शुल्क एवं कर के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(10)	03 प्रशिक्षण			
	003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
	03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान			
	मूल	24,14.67		
	पूरक	3,50.00	27,60.85	24,94.67
	पुनर्वि०	-3.82		-2,66.18
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 5,29,236, ₹ 6,015, ₹ 1,75,607 एवं ₹ 2,92,821 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 15-03-2010 को ₹ 3.82 लाख की कमी महंगाई भत्ते में बचत के कारण की गई।			
(11)	07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण			
	मूल	2,00.00	2,00.00	18.60
(12)	08 औद्योगिक प्रशिक्षण सलाहकार समिति			
	मूल	15.00	15.00	8.85
(13)	102 शिक्षुता प्रशिक्षण			
	03 शिक्षुता प्रशिक्षण योजना			
	मूल	9.59		
			0.80	1.71
	पुनर्वि०	-8.79		+0.91
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16-03-2010 को ₹ 8.79 लाख की कमी वेतन, महंगाई वेतन, अन्य भत्ते, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा व्यय में बचत के कारण की गई। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

- (1) 2230 श्रम तथा रोजगार  
01 श्रम  
103 सामान्य श्रम कल्याण

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
	05 बाल श्रमिकों की शिक्षा एवं पुनर्वास योजना मूल	2.00	2.00	0.00	-2.00
(2)	06 बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण एवं पुनर्वास (50%) मूल	2.00	2.00	0.00	-2.00
(3)	07 श्रम विभाग के प्रवर्तन का विकेन्द्रीकरण एवं सुदृढीकरण मूल	5.00	5.00	0.00	-5.00
(4)	03 प्रशिक्षण 003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 09 नए व्यवसाय एवं अतिरिक्त यूनिट खोला जाना मूल	49.38	49.38	0.00	-49.38
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।					

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	2230 श्रम तथा रोजगार 01 श्रम 101 श्रम तथा रोजगार 03 विभिन्न श्रम विनियमों के प्रवर्तन मूल	2,95.03	3,19.91	3,08.93	-10.98
	पुनर्वि०	24.88			
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16-03-2010 को ₹ 24.88 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					

(2)	03 प्रशिक्षण 003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल	2,49.12	2,49.12	4,48.84	+1,99.72
उपरोक्त क्रम सं० (1) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत तथा क्रम सं० (2) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।					

पूँजीगत :  
दत्तमत—

(vi)	₹ 45.82 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।				
(vii)	बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:				
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 001 निदेशन तथा प्रशासन 07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण मूल	1,00.00	1,00.00	69.18	-30.82



(viii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 श्रमायुक्त के अधीन आवासीय/अनावासीय भवन/भूमि क्रय			
	मूल	15.00	15.00	0.00
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			-15.00

## अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2401 फसल कृषि कर्म  
2402 मृदा तथा जल संरक्षण  
2415 कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा

दत्तमत—

मूल	2,59,56,77		2,80,56,67	2,66,25,09	-14,31,58
पूरक	20,99,90				
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)					90,69

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 17,24,24,000 नहीं लिया गया है जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूंजीगत :

4401 फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय  
6401 फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज

दत्तमत—

मूल	1,37,02		1,37,02	13,09,91	+11,72,89
पूरक	00				
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)					57,63

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 14,31.58 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 90.69 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 14,31.58 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 20,99.90 लाख अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2401 फसल कृषि कर्म 00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	04 कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान			
	मूल	45,25.54		
	पूरक	11,00.00	56,25.54	56,05.24
	पुनर्वि०			-20.30
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 18,61,957, ₹ 16,33,297, ₹ 28,783, ₹ 9,88,865, ₹ 9,14,931, ₹ 1,525 एवं ₹ 41,939 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 11,00.00 लाख की वृद्धि कृषि विभाग के कर्मियों के वेतन इत्यादि हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	102 खाद्यान्नों की फसलें			
	03 स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम			
	मूल	30.00	30.00	26.76
	पुनर्वि०			-3.24
(3)	103 बीज			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पूरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	61.38		
	पुनर्वि०	-10.00	51.38	28.88
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 10.00 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			-22.50
(4)	107 वनस्पति संरक्षण			
	91 जिला योजना			
	मूल	1,11.86	1,11.86	1,05.44
	पुनर्वि०			-6.42
(5)	108 वाणिज्यिक फसलें			
	03 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग का अधिष्ठान			
	मूल	8,56.04		
	पूरक	1,00.00	8,70.38	8,93.02
	पुनर्वि०	-85.66		+22.64
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,42,381, ₹ 2,13,811 एवं ₹ 18,07,350 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि गन्ना विकास तथा गन्ना उद्योग विभाग के कर्मियों को वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 85.66 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए-			
	➤ वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्तों की राशि आवश्यकता/मांग के अनुसार प्राप्त न होना।			
	➤ मजदूरी, यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, मानदेय, कार्यालय व्यय, विद्युत देय, जलकर, टेलीफोन, अनुरक्षण इत्यादि के देयकों का प्राप्त न होना।			
(6)	05 प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति			
	मूल	10.00		
	पुनर्वि०	-5.02	4.98	4.97
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 5.02 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			-0.01

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(7)	109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण (100%) 03 कृषि तकनीकी हस्तान्तरण योजना मूल 59.00 पुनर्वि० -26.41	32.59	19.34	-13.25
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 26-03-2010 को ₹ 26.41 लाख की कमी का कारण परियोजना निदेशक के पद को समाप्त किया जाना तथा मेक्रो मनेजमेंट स्कीम में बचत होना सूचित किया गया।				
(8)	04 सूचना सलाह केन्द्रों का सुदृढीकरण मूल 9.99	9.99	7.01	-2.98
(9)	111 कृषि अर्थ व्यवस्था तथा सांख्यिकी 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 16.42 पूरक 10.41	26.83	24.09	-2.74
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2004-05, 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उच्चतम का समायोजन क्रमशः ₹ 2,000, ₹ 2,732, ₹ 17,569 एवं ₹ 22,107 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 10.41 लाख की वृद्धि जिला स्तर पर वेतन इत्यादि हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(10)	800 अन्य योजनायें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 10,50.00 पूरक 1,50.00 पुनर्वि० 33.80	12,33.80	10,82.45	-1,51.35
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 1,50.00 लाख की वृद्धि जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम, जलागम परियोजनाएं, अनुश्रवण विकास कार्यक्रम तथा कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर को अनुदान देने के लिए की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-03-2010 एवं दिनांक 31-03-2010 को क्रमशः ₹ 23.80 लाख एवं 10.00 लाख की वृद्धि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष प्रावधान का कम आवंटन तथा राजकीय कृषि विभाग योजना के अन्तर्गत जिला टिहरी में लोक विज्ञान संस्थान (कार्यदायी संस्था) द्वारा सी.डैप के निर्माण हेतु ₹ 10.00 लाख के भुगतान हेतु की गई।				
(11)	04 कृषि निवेश भण्डारों प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण मूल 1,10.01 पुनर्वि० -64.24	45.77	39.05	-6.72
दिनांक 31-03-2010 को ₹ 64.24 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(12)	06 विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन व्यय मूल	45.01	45.01	37.84	-7.17
(13)	09 जल पम्प स्प्रिंकलर सेट पाली हाउस विविधिकरण योजना मूल	1,00.00	1,00.00	74.46	-25.54
(14)	97 बाह्य सहायतित योजना मूल	92,15.91	92,15.91	89,74.68	-2,41.23
वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,313 एवं ₹ 7,649 भी सम्मिलित है।					
(15)	2415 कृषि अनुसंधान 80 सामान्य 120 अन्य संस्थाओं को सहायता 03 कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर को सहायता अनुदान मूल	60,50.00	67,09.05	64,09.05	-3,00.00
	पूरक	6,59.05			
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 6,59.05 लाख की वृद्धि कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर को वेतन एवं भत्तों हेतु अनुदान देने के लिए की गई।					
(16)	04 भरसाड़ औद्योगिक महाविद्यालय मूल	2,87.25	2,87.25	1,03.92	-1,83.33
(17)	05 पन्तनगर विश्वविद्यालय में वाह्य शोध केन्द्रों का निर्माण मूल	2,00.00	2,00.00	65.72	-1,34.28
(18)	08 कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के सुदृढीकरण की विशिष्ट योजना मूल	2,00.00	2,00.00	18.06	-1,81.94
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।					
(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:					
(1)	2401 फसल कृषि कर्म 00 105 खाद्य एवं उर्वरक 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	1,00.00	9.68	0.00	-9.68
	पुनर्वि०	-90.32			
वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
(2)	800 अन्य योजनाएं 10 पर्वतीय फसलों के लिए पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज पर शोध कार्य (राज्य सेक्टर) मूल	16.67	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-16.67			

वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(v) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2401 फसल कृषि कर्म 00 102 खाद्यान्नों की फसलें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	22,82.86	23,92.46	-59.78
	पुनर्वि०	1,09.60	23,32.68	
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 5,183 एवं ₹ 2,974 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,09.60 लाख की वृद्धि अनुमानित एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. योजना तथा मेक्रो मैनेजमेंट कृषि योजना के अन्तर्गत बीज क्षेत्रों के सुदृढीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	110 फसल बीमा 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	2,00.00	2,64.24	0.00
	पुनर्वि०	64.24		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 27-11-2009 को ₹ 64.24 लाख की वृद्धि गेहूँ के देयों के भुगतान तथा डिफिसिट प्रीमियम के कारण की गई।			
(3)	800 अन्य योजनाएं 05 जलागम प्रबन्ध निदेशालय मूल	10.88	10.88	+10.24
	उपरोक्त क्रम सं० (1) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत तथा क्रम सं० (3) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			

पूँजीगत :

दत्तमत-

(vi) दत्तमत अनुदान में ₹ 11,72.89 लाख के व्ययाधिक्य हुए। आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है। यदि इस अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त वसूली की राशि ₹ 23,76.42 लाख लेखे में सम्मिलित कर ली जाए तो ₹ 12,03.53 लाख की बचत होगी।

(vii) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुईं:

(1)	4401 फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय 00 800 अन्य व्यय 03 कृषि निदेशालय का भवन निर्माण मूल	50.00	50.00	-40.67
			9.33	

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	6401 फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज 00			
	109 वाणिज्यिक फसलें			
	03 एन०सी०डी०सी० योजना उर्वरक गोदाम निर्माण हेतु ऋण मूल	10.00		
			2.38	
	पुनर्वि०	-7.62	2.38	0.00

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 7.62 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।

उपरोक्त क्रम सं० (1) के लेखाशीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(viii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	4401 फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	108 वाणिज्यिक फसलें			
	03 गन्ना विकास विभाग के आवासीय/अनावसीय भवनों को निर्माण मूल	51.99		
			1.99	
	पुनर्वि०	-50.00	0.00	-1.99

(2)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	25.00	25.00	0.00
				-25.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(ix) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	4401 फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	103 बीज			
	03 खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत प्रासंगिक व्यय सहित मूल	0.00		
	पुरक	0.00	0.00	
	पुनर्वि०	0.00	6,98.61	+6,98.61
(2)	107 वनस्पति संरक्षण			
	03 कीटनाशक औषधियों की खरीद एवं माइको न्यूट्रिमेंट की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है मूल	0.00		
	पुरक	0.00	0.00	
	पुनर्वि०	0.00	5,99.59	+5,99.59

## अनुदान सं० 18 सहकारिता

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2425 सहकारिता

दत्तमत—

मूल	18,49,87		
		27,72,05	25,89,12
पूरक	9,22,18		-1,82,93
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)			1,89,02

पूंजीगत :

4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय

6425 सहकारिता के लिए कर्ज

दत्तमत—

मूल	4,02,01		
		8,24,13	8,49,64
पूरक	4,22,12		+25,51
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)			64,51

टिप्पणियां एवं टीकार्ये

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 1,82.93 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध ₹ 1,89.02 लाख के अभ्यर्पण न्यायसंगत सिद्ध नहीं हुए।
- (ii) ₹ 1,82.93 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 9,22.18 लाख अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(1) 2425 सहकारिता

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

03 सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण

मूल

7,55.85

7,28.95

7,30.54

+1.59

पूरक

-26.90

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 16,846, ₹ 20,620, ₹ 28,835 एवं ₹ 68,068 भी सम्मिलित है।



दिनांक 31-03-2010 को ₹ 26.90 लाख के अभ्यर्पण प्रस्तावानुसार निधि की स्वीकृत न होने के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	05 सहकारिता न्यायाधिकरण मूल	39.66		
			34.67	34.67
	पुनर्वि०	-4.99		0.00

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 4.99 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।

(3)	003 प्रशिक्षण 06 सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान मूल	5.00		
			3.01	3.01
	पुनर्वि०	-1.99		0.00

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1.99 लाख के अभ्यर्पण निधि की आवश्यकता न होने के कारण किए गए।

(4)	800 अन्य व्यय 04 एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) मूल	1,50.00		
	पूरक	1,72.73	2,69.50	2,69.85
	पुनर्वि०	-53.23		+0.35

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 35,000 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 1,72.73 लाख की वृद्धि एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं को अनुदान देने हेतु की गई।

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 53.23 लाख के अभ्यर्पण का कारण परियोजनाओं का अनुदान प्राप्त करने के योग्य न होना सूचित किया गया।

(5)	10 पैक्स मिनी बैंकों में जमा निक्षेपों के लिए निक्षेप गारन्टी योजना मूल	15.00		
			13.12	13.12
	पुनर्वि०	-1.88		0.00

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1.88 लाख के अभ्यर्पण प्रस्तावानुसार निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2425 सहकारिता 00 800 अन्य व्यय 19 वैद्यनाथन कमेटी की संस्तुतियां लागू करना मूल	1,00.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-1,00.00		0.00

वर्ष 2008-09 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(v) दृष्टांत जहां व्यय/व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के कारण परिलक्षित हुआ।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2425 सहकारिता 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 04 सहकारी जड़ी-बूटी योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	2.90
	पुनर्वि०	0.00		
				+2.90

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,024, ₹ 95,294, ₹ 1,82,402 एवं ₹ 10,450 सम्मिलित है।

(2)	108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता 03 सहकारी विभाग की सहकारी उपभोक्ता समितियों को सहायता				
	मूल	9.75	9.75	11.00	+1.25
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,25,000 भी सम्मिलित है।				

#### पूँजीगत : दत्तमत-

- (vi) दत्तमत अनुदान में ₹ 25.51 लाख के आधिक्य हुए। आधिक्य के नियमितिकरण की आवश्यकता है। यद्यपि, यदि पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के ₹ 7,08.51 लाख की वसूली को लेखे में सम्मिलित कर लिया जाए, तब ₹ 6,83.00 लाख की बचत होगी।
- (vii) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय 00 200 अन्य निवेश 03 समितियों की अश पूँजी में विनियोजन (राष्ट्रीय सहाकारी विकास निगम)					
मूल	2,00.00				
पूरक	2,79.64	4,17.68	4,17.68		0.00
पुनर्वि०	-61.96				

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 2,79.64 लाख की वृद्धि राजकीय सहकारी विकास निधि को विनियोग/ऋण उपलब्ध कराने हेतु किए गए। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 61.96 लाख के अभ्यर्पण का कारण परियोजनाओं का अनुदान के योग्य न होना सूचित किया गया।

(viii) दृष्टांत जहां व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के कारण परिलक्षित हुआ:

6425 सहकारिता के लिए कर्ज 00					
---------------------------------	--	--	--	--	--

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
800	अन्य कर्ज			
04	एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)			
	मूल	2,00.00		
	पूरक	1,42.48	3,39.94	4,29.97
	पुनर्वि०	-2.54		+90.03

वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 90,02,500 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 1,42.48 लाख की वृद्धि राजकीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित, एकीकृत सहकारी विकास परियोजना को विनियोग/ऋण प्रदान किए जाने हेतु की गई।

₹ 2.54 लाख के अभ्यर्पण का कारण परियोजनाओं का अनुदान प्राप्त करने के योग्य न होना सूचित किया गया।

## अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
<b>राजस्व :</b>			
2501 ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम			
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	3,42,05,23		
		3,69,68,39	-70,21,32
पूरक	27,63,16		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)			63,75

### पूंजीगत :

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	42,70,01		
		47,70,01	-9,33,22
पूरक	5,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)			00

### टिप्पणियाँ एवं टीकार्यें

#### राजस्व :

#### दत्तमत—

- (i) ₹ 70,21.32 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 63.75 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 70,21.32 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 को ₹ 27,63.16 लाख के अनुपूरक अनुदान अनाश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
	01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	28,63.91		
			41,73.91	-10,37.82
	पूरक	13,10.00		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 54,815 एवं ₹ 7,99,200 भी सम्मिलित है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(2)	02 सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम				
	800 अन्य व्यय				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	6,94.00	6,94.00	1,37.01	-5,56.99
(3)	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम				
	00				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
	03 ग्राम्य विकास का मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय अधिष्ठान				
	मूल	1,25.71	1,25.71	1,04.88	-20.83
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 4,313 भी सम्मिलित है।				
(4)	04 पंचायती राज निदेशालय अधिष्ठान				
	मूल	65.86			
			66.11	53.66	-12.45
	पूरक	0.25			
(5)	003 प्रशिक्षण				
	03 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)				
	मूल	4,45.07			
			4,85.07	4,64.25	-20.82
	पूरक	40.00			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2004-05 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 83,796, ₹ 15,997 एवं ₹ 10,210 भी सम्मिलित है।				
(6)	101 पंचायती राज				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	45,75.00			
	पूरक	0.01	45,95.01	20.25	-45,74.76
	पुनर्वि०	20.00			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 25,000 भी सम्मिलित है।				
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22-03-2010 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि निर्माण कार्यों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(7)	03 पंचायती राज अधिष्ठान				
	मूल	2,92.07			
			3,87.97	3,68.31	-19.66
	पूरक	95.90			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 82,782, ₹ 87,643, ₹ 13,363 एवं ₹ 80,555 भी सम्मिलित है।				
(8)	102 सामुदायिक विकास				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	71.58	71.58	36.13	-35.45
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,24,000 भी सम्मिलित है।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(9)	03 अधिष्ठान			
	मूल	57,87.29		
	पूरक	3,50.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,01,887, ₹ 4,48,116, ₹ 3,81,076, ₹ 4,46,637, ₹ 1,896 एवं ₹ 4,81,407 भी सम्मिलित है।	61,37.29	58,72.30	-2,64.99
(10)	07 राज्य ऋण सह अनुदान ग्रामीण आवास योजना			
	मूल	2,31.00	2,31.00	1,75.33
(11)	09 उत्तराखण्ड सर्वभौम रोजगार योजना			
	मूल	2,00.00	2,00.00	1,02.70
(12)	14 जर्मन तकनीकी सहयोग परियोजना			
	मूल	5.00	5.00	0.16
(13)	18 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अनुश्रवण हेतु राज्यस्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना			
	मूल	70.07	70.07	10.94
(14)	97 आईफेड़ वाहय सहायतित योजना			
	मूल	20,24.51	20,24.51	9,90.26
(15)	800 अन्य व्यय			
	03 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा			
	मूल	18,49.17		
	पूरक	2,00.00	19,85.42	20,14.55
	पुनर्वि०	-63.75		+29.13
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 21,89,927, ₹ 20,970 एवं ₹ 20,975 भी सम्मिलित है।			
	दिनांक 31-03-2009 को अधिष्ठान के अन्तर्गत ₹ 63.75 लाख के अभ्यर्षण निम्न कारणों से किए गए-			
	➤ प्रखण्डों द्वारा 30% अवशेष वेतन का भुगतान न किया जाना।			
	➤ दिनांक 01-01-2006 से बढ़े हुए वेतन का भुगतान न किया जाना।			
	➤ विभिन्न कोषागारों द्वारा माह जुलाई 2009 से अक्टूबर 2009 के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान न किया जाना।			
	➤ अवर अभियन्ताओं द्वारा यात्रा भत्ता देयकों का प्रस्तुत न किया जाना।			
	➤ स्थानान्तरण अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देयकों का प्रस्तुत न किया जाना।			
	➤ उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन से विद्युत देयक प्राप्त न होना।			
	➤ निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर।			
(16)	05 पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ			
	मूल	12.54	12.54	10.01
				-2.53

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 14,129 एवं ₹ 51,807 भी सम्मिलित है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(17)	06 राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकायों आदि हेतु ) मूल	1,04.77	1,04.77	96.22	-8.55
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 26,322 भी सम्मिलित है।				
(18)	07 राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) मूल	2,66.18	2,66.18	2,52.41	-13.77
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,59,486 भी सम्मिलित है।				
(19)	08 ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर वेतन आदि के लिए व्यवस्था मूल	39,31.79	46,93.79	45,46.42	-1,47.37
	पूरक	7,62.00			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,84,88,660, ₹ 12,20,685, ₹ 8,768, ₹ 2,75,129 एवं ₹ 4,34,999 भी सम्मिलित है। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत को अभ्यर्पित न किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 00				
	101 पंचायती राज				
	09 निर्वाचित प्रतिनिधियों व कर्मचारियों का प्रशिक्षण मूल	10.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-10.00			
(2)	13 त्रिस्तरीय पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण मूल	10.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-10.00			
(3)	102 सामुदायिक विकास 13 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु अनुदान मूल	5.00	5.00	0.00	-5.00
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। उपरोक्त लेखाशीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 00			
	101 पंचायती राज			
	07 विकास खण्डों में विकास कार्यों हेतु क्षेत्र निधि			
	मूल	18,28.75	18,28.75	18,67.97
				+39.22
(2)	102 सामुदायिक विकास			
	04 विधायक निधि			
	मूल	82,00.50	82,00.50	91,46.64
				+9,46.14

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उच्यत का समायोजन ₹ 1,72,24,000 भी सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

निधि की आवश्यकता के कारण अनुदान के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदान स्वीकृत किए गए। अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए जाने के निम्न कारण रहे—

#### 2501—ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम

अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 13,10.00 लाख के प्रावधान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत अन्य व्यय की पूर्ति के लिए किया गया।

#### 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

माह दिसम्बर 2009 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 14,53.16 लाख के प्रावधान अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के निम्न शाखाओं के कर्मियों को वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, टेलीफोन, विद्युत देय एवं अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए—

- पंचायती राज निदेशालय का अधिष्ठान।
- कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
- पंचायती राज की स्थापना।
- सामुदायिक विकास।
- ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा।
- वन पंचायत।
- लाईवस्टॉक की स्थापना।
- ब्लॉक पंचायत के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी।
- ब्लॉक पंचायत के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग।
- सिंचाई विभाग, नलकूप चालक, ग्राम पंचायत के अन्तर्गत मकैनिक।

#### पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) ₹ 9,33.22 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vii) ₹ 9,33.22 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 5,00.00 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।



(viii) बचत प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	102 सामुदायिक विकास			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	20.01	20.01	0.00
(2)	05 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत अधिष्ठान व्यय का भुगतान			
	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			-10,00.00

(ix) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय				
00				
102 सामुदायिक विकास				
91 जिला योजना				
मूल	2,00.00	2,00.00	2,86.79	+86.79
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				

## अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2700	मुख्य सिंचाई
2701	मध्यम सिंचाई
2702	लघु सिंचाई
2705	कमान क्षेत्र विकास
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास

दत्तमत—

मूल	2,46,22,78			
		2,68,89,84	2,67,93,78	-96,06
पूरक	22,67,06			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010) 13,40,95  
 अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 11,23,22,000 नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूंजीगत :

4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	4,74,46,09			
		5,21,13,37	3,49,61,32	-1,71,52,05
पूरक	46,67,28			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010) 2,71,94,40

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 96.06 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 13,40.95 लाख के अभ्यर्पण न्यायसंगत सिद्ध नहीं हुए।
- (ii) ₹ 96.06 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 22,67.06 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई) निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2700 मुख्य सिंचाई 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 निदेशन			
	मूल	14,35.69		
	पूरक	2,13.00	15,54.06	15,42.69
	पुनर्वि०	-94.63		-11.37
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 2,13.00 लाख की वृद्धि मुख्य सिंचाई के अधिष्ठान हेतु कर्मियों को वेतन एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान किए जाने के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18-03-2010 को ₹ 22.30 लाख की कमी अन्य भत्ता मद में मांग न होने के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 72.33 लाख के अभ्यर्पण का कारण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों में बचत होना सूचित किया गया।			
(2)	04 कार्यकारी अधिष्ठान			
	मूल	1,32,56.11		
	पूरक	12,32.00	1,41,82.90	1,43,76.87
	पुनर्वि०	-3,05.21		+1,93.97
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 3,47,847 एवं ₹ 51,080 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 12,32.00 लाख की वृद्धि कर्मचारियों को वेतन, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, प्रशिक्षण व्यय के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18-03-2010 को ₹ 1,47.30 लाख की वृद्धि माह जनवरी-फरवरी/10 के वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 4,52.51 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।			
(3)	05 दैनिक वेतन भोगियों एवं कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्यप्रभारियों) हेतु एकमुश्त व्यवस्था			
	मूल	18,75.50		
			17,50.50	15,47.88
	पुनर्वि०	-1,25.00		-2,02.62
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18-03-2010 को ₹ 1,25.00 लाख की कमी मजदूरी में बचत के कारण की गई।			
(4)	08 सिंचाई सलाहकार समिति का अधिष्ठान			
	मूल	7.17	7.17	4.39
				-2.78
(5)	2701 मध्यम सिंचाई 10 तुमरिया योजना			
	101 रख-रखाव और मरम्मत			
	02 अन्य रख-रखाव व्यय			
	मूल	3,14.50	3,14.50	2,83.15
				-31.35

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(6)	12 हरिपुरा/बौर बांध व नहरें 101 रख-रखाव और मरम्मत 02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल	2,47.50	241.48	239.25	-2.23
	पुनर्वि०	-6.02			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 6.02 लाख के अभ्यर्पण का कारण निधि की आवश्यकता न होना बताया गया।				
(7)	20 शोध संस्थान रुड़की (अवाणिज्यिक) 101 रख-रखाव और मरम्मत 02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल	36.30	36.20	34.63	-1.57
	पुनर्वि०	-0.10			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 0.10 लाख के अभ्यर्पण अनुरक्षण व्यय में बचत के कारण किए गए।				
(8)	2702 लघु सिंचाई 02 भूजल 005 अन्वेषण 03 भू-गर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढीकरण मूल	12,02.38	10,37.35	10,49.48	+12.13
	पुनर्वि०	-1,65.03			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,24,989, ₹ 2,73,446, ₹ 2,06,356 एवं ₹ 4,262 भी सम्मिलित है।				
(9)	80 सामान्य 800 अन्य मद 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं पूरक	8,22.06	8,22.06	7,69.94	-52.12
	माह दिसम्बर 2009 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 8,22.06 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को अनुदान देने के लिए किए गए।				
(10)	03 रेशनलाईजेशन ऑफ माइनर इरीगेशन मूल	44.43	33.13	33.01	-0.12
	पुनर्वि०	-11.30			
	उपरोक्त क्रम सं० (8) एवं (10) के शीर्षों के अन्तर्गत बचत के कारण अभ्यर्पण पुनरीक्षित ढांचे के अनुसार रिक्त पदों का न भरा जाना था।				
(11)	2705 कमान क्षेत्र विकास 00				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
800	अन्य व्यय			
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	10,06.43		
			4,19.02	4,19.02
	पुनर्वि०	-5,87.41		0.00

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 5,87.41 लाख के अभ्यर्पण क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं में बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2700 मुख्य सिंचाई			
	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
	08 इन्स्टीट्यूशन ऑफ इजीनियरिंग इण्डिया लिमिटेड उत्तराखण्ड को सहायता			
	मूल	5.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-5.00		0.00

(2)	2701 मध्यम सिंचाई			
	14 हरिद्वार जनपद की नहरों का अनुरक्षण			
	101 रख-रखाव और मरम्मत			
	02 अन्य रख-रखाव			
	मूल	33.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-33.00		0.00

वर्ष 2008-09 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2701 मध्यम सिंचाई			
	13 अन्य सिंचाई योजनाएँ			
	101 रख-रखाव और मरम्मत			
	02 अन्य रख-रखाव व्यय			
	मूल	2,31.00		
			2,30.99	2,64.51
	पुनर्वि०	-0.01		+33.52

(2)	80 सामान्य			
	799 उच्चतर			
	03 भण्डार			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	12,94.57
	पुनर्वि०	0.00		+12,94.57

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(3)	2702 लघु सिंचाई 03 रख-रखाव 101 जल टंकी 02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल	9,68.01	9,61.70	9,71.92	+10.22
	पुनर्वि०	-6.31			

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 6.31 लाख के अभ्यर्पण अनुरक्षण व्यय में बचत के कारण किए गए।

(4)	80 सामान्य 800 अन्य व्यय 91 जिला योजना मूल	3,37.75	3,37.74	3,43.41	+5.67
	पुनर्वि०	-0.01			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

#### (vi) उचन्त लेन-देन "उचन्त"

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अन्तर्गत होते हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टॉक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशाप उचन्त।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

1. **स्टाक-** इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टॉक के लिये प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टॉक में रखी गयी सामग्री के खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बन्धित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

2. **विविध निर्माण कार्य-पेशगियाँ** इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बटटे खाते में न डाली गई नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियाँ आदि के लिए नामे राशियाँ होती हैं। अतः इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशि का सूचक है।

3. **वर्कशाप उचन्त-** विभागीय वर्कशापों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचालनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

2009-2010 तक की अवधि के सिंचाई विभाग के राजस्व प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अन्त शेष का ब्यौरा परिशिष्ट-III में दिया गया है।

पूजीगत :  
दत्तमत—

- (vii) ₹ 1,71,52.05 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 2,71,94.40 लाख के अभ्यर्पण न्यायसंगत सिद्ध नहीं हुए।  
 (viii) ₹ 1,71,52.05 लाख की अन्तिम बचत के देखते हुए माह दिसम्बर 2009 में प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 46,67.28 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।  
 (ix) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4700 मुख्य सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय			
	03 सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के अनुबन्धों, के अन्तर्गत देय डिजिटल राशियों के भुगतान हेतु			
	800 अन्य व्यय			
	02 अन्य रख-रखाव व्यय			
	मूल	25.00		
			2.88	
			2.82	
	पुनर्वि०	-22.12		-0.06
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 22.12 लाख के अभ्यर्पण का कारण योजना में बचत होना सूचित किया गया।			
(2)	04 नलकूपों का निर्माण			
	800 अन्य व्यय			
	02 अन्य रख-रखाव व्यय			
	मूल	41,00.01		
	पूरक	4,12.09	43,37.56	43,22.21
	पुनर्वि०	-1,74.54		-15.35
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 4,12.09 लाख की वृद्धि नलकूपों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1,74.54 लाख के अभ्यर्पण नाबार्ड के अन्तर्गत वृहद् निर्माण कार्यों में बचत के कारण किए गए।			
(3)	05 सिंचाई विभाग की नई योजनायें			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,20,00.00		
			74,11.83	74,47.85
	पुनर्वि०	-45,88.17		+36.02
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 45,88.17 लाख के अभ्यर्पण ए.आई.बी.पी. सिंचाई योजनाओं में बचत के कारण किए गए।			
(4)	06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें (जिला योजना)			
	800 अन्य व्यय			
	02 अन्य रख-रखाव व्यय			
	मूल	37,00.00		
	पूरक	22,43.86	54,24.14	55,75.74
	पुनर्वि०	-5,10.77		+1,51.60

प्रावधान में अनुपूरक द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 22,43.86 लाख की वृद्धि नहरों के निर्माण (चालू कार्य) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 5,19.72 लाख के अभ्यर्पण नाबार्ड से पोषित नहरों के निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(5)	17 नरेगा 800 अन्य व्यय 03 राज्य सेक्टर (नरेगा) के अन्तर्गत नहरों का पुनरोद्धार, पार्कों का सौन्दर्यीकरण एवं पार्किंग स्थल का विकास व निर्माण मूल	1,00.00	70.53	70.53	0.00
	पुनर्वि०	-29.47			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 29.47 लाख के अभ्यर्पण नहरों के पुनरोद्धार पार्कों का सौन्दर्यीकरण एवं पार्किंग क्षेत्रों के निर्माण/विकास में हुई बचत के कारण किए गए।				
(6)	4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 003 प्रशिक्षण 03 निर्माण कार्य मूल	20.00	15.72	15.72	0.00
	पुनर्वि०	-4.28			
(7)	005 सर्वेक्षण तथा अनुसंधान (किशाउ बांध सम्मिलित करते हुए) 03 निर्माण कार्य मूल	1,00.00	1,25.91	1,25.91	-0.04
	पुनर्वि०	-74.09			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि सर्वेक्षण एवं अनुसंधान (किशाउ बांध को सम्मिलित करते हुए) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(8)	800 अन्य व्यय 04 अपर यमुना रिवर बोर्ड हेतु रिजर्व व बिल्डिंग फंड मूल	60.00	30.00	30.00	0.00
	पुनर्वि०	-30.00			
	उपरोक्त क्रम सं० (6) से (8) के शीर्षों के अन्तर्गत अभ्यर्पण बचत के कारण किए गए। अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।				
(9)	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 00 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (90% के०स०) मूल	2,55,75.02	52,86.83	65,29.33	+12,42.50
	पुनर्वि०	-2,02,88.19			



दिनांक 31-03-2010 को ₹ 2,02,88.19 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश के प्राप्त न होने के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(10)	4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 बाढ़ नियन्त्रण			
	103 सिविल निर्माण कार्य			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	7,50.00		
	पूरक	8,00.00	2,15.13	2,15.13
	पुनर्वि०	-13,34.87		0.00

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 13,34.87 लाख के अभ्यर्पण नदियों के कटाव निरोधक योजना में बचत के कारण किए गए।

(11)	03 अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव			
	मूल	3,00.00		
			2,99.86	2,94.53
	पुनर्वि०	-0.14		-5.33

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 जमरानी बांध			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				-50.00
(2)	4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	006 परिकल्प एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का उच्चीकरण			
	03 निर्माण कार्य			
	मूल	29.01		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-29.01		0.00
(3)	800 अन्य व्यय			
	03 जल संवर्धन एवं जल संरक्षण के लिए जलाशयों एवं कैंटर टैंक आदि का निर्माण			
	मूल	1,00.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-1,00.00		0.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 जमरानी बांध			
	800 अन्य व्यय			
	02 अन्य रख-रखाव व्यय			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	49.95
	पुनर्वि०	0.00		
(2)	07 उत्तराखण्ड की लघु डाल नहरों का पुनरोद्धार			
	800 अन्य व्यय			
	02 अन्य रख-रखाव व्यय			
	मूल	5,00.01		
	पूरक	1,11.33	6,11.58	6,26.57
	पुनर्वि०	0.24		
उपरोक्त क्रम सं० (1) एवं (2) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				
(3)	11 उचन्त			
	799 उचन्त			
	03 भण्डार			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	50,70.88
	पुनर्वि०	0.00		
(4)	04 विविध कार्य अग्रिम			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	6,01.55
	पुनर्वि०	0.00		
(5)	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	91 उचन्त-उचन्त से निर्माण कार्यो को सामग्री का निर्गमन			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	29,45.68
	पुनर्वि०	0.00		

## (xii) उचन्त लेन-देन:

टिप्पणी (vi) के अनुसार

उचन्त लेन-देन का विश्लेषण-सिंचाई विभाग के वर्ष 2009-2010 के पूंजी प्रभाग परिशिष्ट (IV) में दिया गया है।

## अनुदान सं० 21 ऊर्जा

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2801 बिजली	
2810 वैकल्पिक ऊर्जा	

दत्तमत—

मूल	8,53,12			
		9,03,12	13,00,71	+3,97,59
पूरक	50,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				00

पूंजीगत :

4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
6801 बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	

दत्तमत—

मूल	4,84,61,76			
		10,56,61,76	6,78,73,37	-3,77,88,39
पूरक	5,72,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				00

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) अनुदान में ₹ 3,97.59 लाख का व्ययाधिक्य परिलक्षित हुआ। व्ययाधिक्य के नियमितिकरण की आवश्यकता है।
- (ii) ₹ 3,97.59 लाख के अन्तिम आधिक्य को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 में प्राप्त ₹ 50.00 लाख के अनुपूरक अनुदान पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए।
- (iii) आधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से प्रतिसंतुलित हुए) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

2801 बिजली				
05 पारेषण एवं वितरण				
800 अन्य व्यय				
03 ऊर्जा विकास निधि का प्रबन्धन				
मूल	13.50	13.50	3,60.57	+3,47.07

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(iv) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
2810	वैकल्पिक ऊर्जा			
60	ऊर्जा के अन्य स्रोत			
800	अन्य व्यय			
03	प्रशासनिक व्यय			
	मूल	2,01.80		
	पूरक	50.00		
		2,51.80	2,63.34	+11.54

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 12,44,150 एवं ₹ 9,11,000 भी सम्मिलित है।

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुआ:

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2810 वैकल्पिक ऊर्जा				
	01 जल विद्युत उत्पादन				
	103 जैवपिंड				
	03 बायोमास आधारित योजनाओं हेतु उरेडा को सहायता				
	मूल	10.00	10.00	0.00	-10.00
(2)	91 जिला योजनान्तर्गत उरेडा को अनुदान				
	मूल	1.50	1.50	0.00	-1.50

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(vi) दृष्टांत जहां व्यय/व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के कारण परिलक्षित हुए:

(1)	2810 वैकल्पिक ऊर्जा				
	01 जल विद्युत उत्पादन				
	190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश				
	03 नई परियोजनाओं का अनुसंधान एवं नियोजन				
	मूल	0.01	0.01	40.00	+39.99
(2)	2810 वैकल्पिक ऊर्जा				
	02 सोलर एनर्जी				
	102 सोलर फोटोवोल्टाइक कार्यक्रम				
	01 केन्द्रीय आयोगनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	9.39	+9.39
	पुनर्वि०	0.00			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 9,39,000 सम्मिलित है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(3)	60 ऊर्जा के अन्य स्रोत			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	1,36.65	1,36.65	1,38.02 +1.37
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,37,000 भी सम्मिलित है।			

**पूँजीगत :  
दत्तमत-**

(vii)	₹ 3,77,88.39 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।			
(viii)	₹ 3,77,88.39 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 को प्राप्त ₹ 5,72,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।			
(ix)	बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:			
(1)	4801 बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
	05 पारेषण एवं वितरण			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों और अन्य उपकर्मों में निवेश			
	05 ए.डी.बी. वित्त पोषित योजनाओं हेतु निवेश			
	मूल	71,70.00	71,70.00	13,33.52 -58,36.48
(2)	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
	05 पारेषण एवं वितरण			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों और अन्य उपकर्मों में निवेश			
	91 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन को ऋण			
	मूल	16,40.18	16,40.18	14,50.05 -1,90.13
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			
(x)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
(1)	4801 बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
	01 जल विद्युत उत्पादन			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों और अन्य उपकर्मों में निवेश			
	05 ऊर्जा विकास निधि में विनियोजन			
	मूल	1,10,00.00	1,10,00.00	0.00 -1,10,00.00
(2)	07 परियोजना विकास निगम को अंशपूँजी			
	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00 -2,00.00
(3)	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
	01 जल विद्युत उत्पादन			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों और अन्य उपकर्मों में निवेश			
	04 नाबार्ड से जल विद्युत			
	मूल	30,00.00	30,00.00	0.00 -30,00.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(4)	97 बाहरी सहायतित योजना मूल	33,05.05	33,05.05	0.00 -33,05.05
(5)	05 पारेषण एवं वितरण 190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 97 बाह्य सहायतित योजना मूल	1,67,30.00	1,67,30.00	0.00 -1,67,30.00
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				

(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01 जल विद्युत उत्पादन 190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 06 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु यूजेवीएनएल में निवेश मूल	54,16.45	54,16.45	73,07.00 +18,90.55
(2)	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज 05 पारेषण एवं वितरण 190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 04 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आर.ई.सी. से ऋण मूल	0.01	0.01	5,82.80 +5,82.79
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				

## अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
<b>राजस्व :</b>			
2059 लोक निर्माण कार्य			
2216 आवास			
3054 सड़क तथा सेतु			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	3,67,08,94		
		3,85,23,94	-28,63,75
पूरक	18,15,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)			00
<b>प्रभारित—</b>			
मूल	4,02,49		
		4,02,49	-2,15,79
पूरक	00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)			00
<b>पूँजीगत :</b>			
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	5,64,50,03		
		7,69,50,03	+11,11,84
पूरक	2,05,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)			00
<b>टिप्पणियां एवं टीकायें</b>			
<b>राजस्व :</b>			
<b>दत्तमत—</b>			
(i)	₹ 28,63.75 लाख की अन्तिम बचत में से कोई धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।		
(ii)	₹ 28,63.75 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 को प्राप्त ₹ 18,15.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।		
(iii)	बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:		

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2059 लोक निर्माण कार्य 80 सामान्य 001 निदेशन तथा प्रशासन 05 कार्य प्रभारित कर्मचारियों के मजदूरी भुगतान हेतु मूल 13,50.00 पूरक 8,50.00	22,00.00	20,59.97	-1,40.03
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 30,32,847, ₹ 47,48,742 एवं ₹ 97,194 भी सम्मिलित है। माह दिसम्बर 2009 को अनुपूरक अनुदान द्वारा 8,50.00 लाख का प्रावधान कार्यभारित कर्मियों को मजदूरी भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।			
(2)	051 निर्माण 03 विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड मूल 1,57,91.02 पूरक 8,00.00 पुनर्वि० -1,28.50	1,64,62.52	1,61,87.45	-2,75.07
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 25,20,270, ₹ 64,71,793, ₹ 7,58,750, ₹ 18,69,697, ₹ 59,334, ₹ 41,625 एवं ₹ 20,714 भी सम्मिलित है। माह दिसम्बर 2009 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 8,00.00 लाख का प्रावधान कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16-03-2010 को ₹ 1,28.50 लाख की कमी का कारण निधि की आवश्यकता न होना सूचित किया गया।			
(3)	102 रख रखाव तथा मरम्मत 06 सर्किट हाऊस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, सामान्य एवं विशेष मरम्मत मूल 1,94.20	1,94.20	1,88.19	-6.01
(4)	2216 आवास 01 सरकारी रिहाइशी भवन (मतदेय) 700 अन्य आवास 04 सरकारी आवासीय/अनावासीय भवनों का अनुरक्षण मूल 1,12.00	1,12.00	1,05.79	-6.21
(5)	3054 सडक तथा सेतु 04 जिला और अन्य सडकें 337 सडक निर्माण कार्य 03 अनुरक्षण एवं मरम्मत मूल 80,00.00	80,00.00	72,97.64	-7,02.36
(6)	80 सामान्य 800 अन्य व्यय 03 निर्माण मूल 2,55.00	2,55.00	2,00.79	-54.21
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			



(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	3054 सड़क तथा सेतु 01 राष्ट्रीय राजमार्ग 337 सड़क निर्माण कार्य 04 राष्ट्रीय मार्ग अनुरक्षण (100% के०स०) मूल 12,00.00	12,00.00	0.00	-12,00.00
(2)	03 राज्य राजमार्ग 337 सड़क निर्माण कार्य 03 अनुरक्षण एवं मरम्मत मूल 5,00.00	5,00.00	0.00	-5,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)

(v) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2059 लोक निर्माण कार्य 01 कार्यालय भवन 053 रखरखाव तथा मरम्मत 03 रखरखाव तथा मरम्मत मूल 0.00 पूरक 0.00 पुनर्वि० 0.00	0.00	17.57	+17.57
(2)	80 सामान्य 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 निदेशन मूल 11,92.72 पूरक 1,65.00 पुनर्वि० 1,28.50	14,86.22	14,72.79	-13.43

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 28,88,527, ₹ 5,16,742 एवं ₹ 1,02,463 भी सम्मिलित है।

माह दिसम्बर 2009 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,65.00 लाख का प्रावधान कर्मियों के वेतन एवं भत्तों के लिए निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16-03-2010 को ₹ 1,28.50 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3)	2216 आवास 01 सरकारी रिहाइशी भवन (मतदेय) 700 अन्य आवास 03 निर्माण मूल 0.00 पूरक 0.00 पुनर्वि० 0.00	0.00	15.86	+15.86
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	--------

उपरोक्त क्रम सं० (1) एवं (3) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य एवं क्रम सं० (2) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

राजस्व :

प्रभारित—

- (vi) ₹ 2,15.79 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।  
 (vii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(1)	2059 लोक निर्माण कार्य 01 कार्यालय भवन 053 रखरखाव तथा मरम्मत 03 रखरखाव तथा मरम्मत (भारित) मूल	1,52.49	1,52.49	1,47.97	-4.52
(2)	2216 आवास 01 सरकारी रिहाइशी भवन 700 अन्य आवास 03 निर्माण मूल	50.00	50.00	38.73	-11.27

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(viii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	3054 सडक तथा सेंटु 80 सामान्य 800 अन्य व्यय 04 न्यायालय की आज्ञापत्रियों का भुगतान मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	-2,00.00
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	------	----------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

पूँजीगत :

दत्तमत—

- (ix) अनुदान के अन्तर्गत ₹ 11,11.84 लाख का व्ययाधिक्य हुआ। व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है।  
 (x) 11,11.84 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 में प्राप्त ₹ 2,05,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए।  
 (xi) आधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत से प्रतिसंतुलित हुआ) निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 800 अन्य व्यय 09 लोक निर्माण (नए कार्य)			
	मूल	20.00	20.00	28.83
				+8.83
(2)	12 पूलड आवास योजना (चालू कार्य)			
	मूल	2,00.00	2,00.00	2,36.44
				+36.44
(3)	13 पूलड आवास योजना (नये कार्य)			
	मूल	0.01	0.01	8.60
				+8.59
(4)	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03 राज्य मार्ग 101 पुल 03 पुलों का निर्माण एवं सुदृढीकरण			
	मूल	15,00.00		
	पूरक	10,00.00	34,00.00	34,32.34
	पुनर्वि०	9,00.00		
				+32.34
<p>प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि पुलों के सुदृढीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।</p> <p>प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25-02-2010 एवं दिनांक 12-03-2010 को क्रमशः ₹ 5,00.00 लाख एवं 4,00.00 लाख की वृद्धि पुलों एवं आयोजनेत्तर मदों के निर्माण/सुदृढीकरण हेतु कम प्रावधान होने के कारण की गई।</p>				
(5)	799 उच्चन्त 03 उच्चन्त			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	39,45.53
	पुनर्वि०	0.00		
				+39,45.53
(6)	04 जिला तथा अन्य सडकें			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	39,35.11
	पुनर्वि०	0.00		
				+39,35.11
(7)	04 जिला तथा अन्य सडकें 800 अन्य व्यय 04 केन्द्रीय सडक निधि से किया गया कार्य (100% भ०स०)			
	मूल	20,00.00		
			40,12.56	40,12.69
	पुनर्वि०	20,12.56		
				+0.13

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 15-10-2009 एवं 28-02-2010 को क्रमशः ₹ 17,00.00 एवं 3,12.56 लाख की वृद्धि अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता के कारण की गई क्योंकि केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत/निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति अच्छे स्तर पर थी।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(8)	05 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण			
	मूल	15,00.00		
	पूरक	20,00.00	43,00.00	42,99.95
	पुनर्वि०	8,00.00		-0.05
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 20,00.00 लाख की वृद्धि सड़कों/भवनों/पुलों इत्यादि के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12-03-2010 को ₹ 8,00.00 लाख की वृद्धि पुलों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण हेतु निधि का कम प्रावधान होने के कारण की गई।			

## (xii) उचन्त लेन-देन "उचन्त"

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अन्तर्गत होते हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टाक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशाप उचन्त।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

1. **स्टाक**- इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टाक के लिये प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टाक में रखी गयी सामग्री के खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बन्धित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

2. **विविध निर्माण कार्य-पेशगियाँ**- इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमारारशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियाँ आदि के लिए नामे राशियाँ होती हैं। अतः इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे, शेष वसूली योग्य राशि का सूचक है।

3. **वर्कशाप उचन्त**- विभागीय वर्कशापों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचालनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

2009-2010 तक की अवधि के लोक निर्माण विभाग के पूंजीगत प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अन्त शेष का ब्यौरा परिशिष्ट-V में दिया गया है।

## (xiii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1)	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
	10 लोक निर्माण (चालू कार्य)			
	मूल	2,00.00		
			2,50.00	1,17.26
	पुनर्वि०	50.00		-1,32.74

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29-03-2010 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि लोक निर्माण भवनों (चालू कार्य) के अन्तर्गत कम प्रावधान होने के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03 राज्य मार्ग 052 मशीनरी तथा उपस्कर 04 उपकरण एवं संयंत्रों का क्रय मूल	1,50.00	1,50.00	95.26 -54.74
(3)	04 अन्य सड़कें 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	9,80.01	6,67.45	6,67.42 -0.03
	पुनर्वि०	-3,12.56		

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28-02-2010 को ₹ 3,12.56 लाख की कमी का कारण (1) अतिरिक्त/विशेष केन्द्रीय सहायता, (2) आर्थिक महत्व की सड़कें (3) अन्तर्राज्यीय निर्माण योजना के अन्तर्गत बचत के कारण की गई।

(4)	03 राज्य सेक्टर मूल	1,52,50.00		
	पूरक	1,50,00.00	2,85,50.00	2,82,93.70 -2,56.30
	पुनर्वि०	-17,00.00		

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 1,50,00.00 लाख की वृद्धि चालू निर्माण कार्यों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25-02-2010 एवं 12-03-2010 को क्रमशः ₹ 5,00.00 लाख एवं 12,00.00 लाख की कमी निधि के प्राप्त न होने के कारण की गई।

(5)	97 विश्व बैंक सहायतित योजना/विश्व बैंक सहायतित योजना के अन्तर्गत सुदृढीकरण मूल	3,18,00.00	3,01,00.00	2,38,88.74 -62,11.26
	पुनर्वि०	-17,00.00		

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 15-10-2009 को ₹ 17,00.00 लाख की कमी बाह्य सहायतित/एडीबी द्वारा पोषित योजनाओं की कम प्राप्ति तथा प्रावधान के उपयोग न हो पाने के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(xiv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03 राज्य मार्ग 052 मशीनरी तथा उपस्कर 05 नई खरीद मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 -1,00.00
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	------------------

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	04 जिला तथा अन्य सड़कें			
	800 अन्य व्यय			
	06 बाढ़ व भू-स्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों का पुननिर्माण			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00
				-1,00.00
(3)	07 क्रोनिक स्लिप जोन के उपचार हेतु व्यवस्था			
	मूल	50.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-50.00		0.00
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			

## अनुदान सं० 23 उद्योग

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

### राजस्व :

2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण	
2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग	
2853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	
3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	

### दत्तमत—

मूल	40,09,60			
		44,18,83	42,84,95	-1,33,88
पूरक	4,09,23			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				1,63,43

### पूँजीगत :

4058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	
4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	
4859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	
4885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय	

### दत्तमत—

मूल	16,89,93			
		16,89,93	7,34,75	-9,55,18
पूरक	00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				12,41

### टिप्पणियां एवं टीकायें

#### राजस्व :

#### दत्तमत—

- (i) ₹ 1,33.88 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध ₹ 1,63.43 लाख के अभ्यर्पण न्यायसंगत सिद्ध नहीं हुए।
- (ii) ₹ 1,33.88 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 को प्राप्त ₹ 4,09.23 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

- |     |      |                         |  |  |
|-----|------|-------------------------|--|--|
| (1) | 2058 | लेखन सामग्री तथा मुद्रण |  |  |
|     | 00   |                         |  |  |
|     | 001  | निदेशन एवं प्रशासन      |  |  |

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	03 राजकीय मद्रणालय, रुड़की अधिष्ठान			
	मूल	7,73.08		
	पूरक	15.00	7,85.13	7,86.80 +1.67
	पुनर्वि०	-2.95		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,66,166 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि राजकीय मुद्रणालय रुड़की के कर्मियों को वेतन भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-02-2010 को ₹ 0.50 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 2.45 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण की गई।			
(2)	2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग			
	00			
	102 लघु उद्योग			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	29.14	24.79	24.86 +0.07
	पुनर्वि०	-4.35		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन ₹ 8,223 भी सम्मिलित है।			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 4.35 लाख के अभ्यर्पण लघु उद्योगों की गणना योजना (100% केन्द्र पोषित) में बचत के कारण किए गए।			
(3)	03 अधिष्ठान व्यय			
	मूल	10,21.62		
	पूरक	98.00	11,13.34	11,28.81 +15.47
	पुनर्वि०	-6.28		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 87,082, ₹ 4,97,298, ₹ 2,62,794, ₹ 3,33,260 एवं ₹ 6,80,834 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 98.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 30-03-2010 को ₹ 5.82 लाख की वृद्धि वेतन एवं महंगाई भत्ते में कम प्रावधान होने के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 12.10 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में बचत के कारण किए गए।			
(4)	15 औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजना			
	मूल	25.00	3.26	3.26 0.00
	पुनर्वि०	-21.74		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29-03-2010 को ₹ 20.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1.74 लाख की कमी का कारण निधि की आवश्यकता न होना सूचित किया गया।			



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(5)	22 पीएमआरवाई प्लस योजना मूल	5.00		
	पुनर्वि०	-1.74	3.26	3.26
				0.00
(6)	23 दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष राज्यपूँजी उपादान सहायता मूल	2,50.00		
	पुनर्वि०	-12.76	2,37.24	2,37.24
				0.00
(7)	25 मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान मूल	20.22		
	पुनर्वि०	-2.39	17.83	18.07
				+0.24
(8)	26 सिडकुल हेतु जाँच आयोग का गठन पूरक	20.00		
	पुनर्वि०	-2.42	17.58	17.58
				0.00
(9)	800 अन्य व्यय 06 उद्यमियों को प्रोत्साहन करने हेतु पुरस्कार योजना मूल	10.00		
	पुनर्वि०	-4.10	5.90	5.90
				0.00
उपरोक्त क्रम सं० (5), (6), (8) एवं (9) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2010 को अभ्यर्पण किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				
(10)	2853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग 02 खानों का विनियमन तथा विकास 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 खनन प्रशासन का अधिष्ठान मूल	5,25.45		
	पुनर्वि०	-92.18	4,33.27	4,41.16
				+7.89
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 04-02-2010 को ₹ 55.00 लाख की कमी व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं, प्रकाशन, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, प्रशिक्षण व्यय, अवकाश यात्रा व्यय तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 37.18 लाख के अभ्यर्पण मुख्यतः अन्य भत्ते, किराया, शुल्क एवं कर, प्रकाशन, मशीनरी एवं उपकरण एवं अन्य व्यय में बचत के कारण किए गए।				
(11)	3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान 60 अन्य			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

004	अनुसंधान तथा विकास			
05	अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र की स्थापना			
	मूल	1,00.00	25.00	25.00
	पुनर्वि०	-75.00		0.00

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 75.00 लाख के अभ्यर्पण का कारण निधि की आवश्यकता न होना सूचित किया गया।

उपरोक्त क्रम सं० (7) एवं (10) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा:

2851	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग			
00				
102	लघु उद्योग			
20	उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना			
	मूल	10.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-10.00		

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किए जाने तथा अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

2851	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग			
00				
102	लघु उद्योग			
17	लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु ब्याज उपादान			
	मूल	50.00	1,25.00	1,25.00
	पुनर्वि०	75.00		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29-03-2010 को ₹ 75.00 लाख की वृद्धि निधि की और अधिक आवश्यकता होने के कारण की गई।

(vi) दृष्टांत जहां व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के कारण परिलक्षित हुआ:

2851	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग			
00				
800	अन्य व्यय			
03	खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट			
	मूल	1,00.00	1,00.00	1,00.71
	पुनर्वि०			+0.71

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 70,795 भी सम्मिलित है।

पूँजीगत:  
दत्तमत-

- (vii) ₹ 9,55.18 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 12.41 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।  
(viii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय 00 103 सरकारी मुद्रणालय 03 सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरणों एवं सयंत्रों का क्रय मूल 25.00 पुनर्वि० -2.40	22.60	22.60	0.00
दिनांक 31-03-2010 को ₹ 2.40 लाख के अभ्यर्पण राजकीय मुद्रणालय हेतु मशीनों, उपकरणों एवं औजारों के क्रय में हुई बचत के कारण किए गए।				
(2)	4859 दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय 02 इलेक्ट्रॉनिक्स 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना मूल 13,45.80	13,45.80	4,47.00	-8,98.80
(3)	03 राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण मूल 99.61	99.61	55.65	-43.96
उपरोक्त क्रम सं० (2) एवं (3) के शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्पण न किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				
(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा:				
	4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय 00 102 लघु उद्योग 07 टूल रूम की स्थापना मूल 10.00 पुनर्वि० -10.00	0.00	0.00	0.00
उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण तथा निधि के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				

## अनुदान सं० 24 परिवहन

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

### राजस्व :

- 2041 वाहन कर
- 3053 नागर विमानन
- 3055 सड़क परिवहन

### दत्तमत—

मूल	19,46,19		
		21,49,99	15,88,13
पूरक	2,03,80		-5,61,86
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)			6,41,66

### पूंजीगत :

- 5053 नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय
- 5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय
- 7053 नागर विमानन के लिए कर्ज

### दत्तमत—

मूल	35,51,05		
		35,51,06	25,21,23
पूरक	1		-10,29,83
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)			10,17,74

### टिप्पणियां एवं टीकार्ये

#### राजस्व :

#### दत्तमत—

- (i) ₹ 5,61.86 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 6,41.66 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 5,61.86 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 में प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 2,03.80 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(1)	2041 वाहन कर			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	03 स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान			
	मूल	22.19		
			16.53	16.52
	पुनर्वि०	-5.66		-0.01

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 5.66 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	3053 नागर विमानन 02 विमान पतन 102 हवाई अड्डा 03 हवाई पट्टियों का अनुरक्षण मूल 2.00 पुनर्वि० -1.34	0.66	0.59	-0.07
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1.34 लाख के अभ्यर्पण हवाई पट्टी के अनुरक्षण में हुई बचत के कारण किए गए।			
(3)	80 सामान्य 003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा 03 नागरिक उड्डयन मूल 5,23.59 पूरक 8.00 पुनर्वि० -1,14.37	4,17.22	4,17.25	+0.03
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 8.00 लाख की वृद्धि नागरिक उड्डयन विभाग के वेतन एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1,14.37 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, मानदेय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं हेतु भुगतान, अनुरक्षण एवं अन्य व्यय में बचत के कारण किए गए।			
(4)	3055 सड़क परिवहन 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 परिवहन सम्बन्धी अधिष्ठान मूल 10,17.02 पूरक 1,94.80 पुनर्वि० -1,47.89	10,63.93	11,46.59	+82.66
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 14,04,801 एवं ₹ 28,487 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 1,94.80 लाख की वृद्धि यातायात के कर्मियों को वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को अधिष्ठान व्ययों से ₹ 1,47.89 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए— ➤ रिक्त पदों का न भरा जाना। ➤ व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं, किराया, शुल्क एवं कर, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायतों के देयक प्राप्त न होना। ➤ प्रकाशन, विज्ञापन एवं बिक्री में कम व्यय।			
(5)	07 उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् का गठन मूल 5.89 पुनर्वि० -4.05	1.84	1.84	0.00
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 4.05 लाख के अभ्यर्पण उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् के उपाध्यक्ष की नियुक्ति न हो पाने से हुई बचत के कारण किए गए।			

उपरोक्त क्रम सं० (4) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	3053 नागर विमानन 02 विमान पतन 102 हवाई अड्डा 06 भूमि प्रतिकर का भुगतान मूल	1,00.00		
	पुनर्वि०	-1,00.00	0.00	0.00
(2)	07 उड्डयन विश्वविद्यालय/अकादमी की स्थापना मूल	1,00.00		
	पुनर्वि०	-1,00.00	0.00	0.00
(3)	08 एविएशन सेक्योरिटी एवं मेन्टिनेन्स डिवीजन मूल	50.00		
	पुनर्वि०	-50.00	0.00	0.00
वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(4)	3055 सड़क परिवहन 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 05 स्मार्ट कार्ड योजना मूल	2.00		
	पुनर्वि०	-2.00	0.00	0.00
वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(5)	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता 03 परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर भुगतान मूल	8.50		
	पुनर्वि०	-0.94	7.56	-7.56
(6)	04 परिवहन निगम को संचालन व्यय हेतु अनुदान मूल	10.00		
	पुनर्वि०	-10.00	0.00	0.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किए जाने तथा प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

पूँजीगत :  
दत्तमत-

- (v) ₹ 10,29.10 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 10,17.74 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।  
(vi) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	5053 नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय 02 विमान पत्तन 800 अन्य व्यय 03 हवाई पट्टी के निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर का भुगतान मूल 1,00.00 पुनर्वि० -43.31	56.69	56.70	+0.01
(2)	04 हवाई पट्टी का सुदृढीकरण तथा अन्य सम्बद्ध निर्माण कार्य मूल 1,50.00 पुनर्वि० -32.11	1,17.89	1,05.81	-12.08
(3)	99 नैनीताल हवाई पट्टी का विस्तारीकरण मूल 5,00.00 पुनर्वि० -4,00.00	1,00.00	1,00.00	0.00
उपरोक्त क्रम सं० (1) से (3) के शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान के अभ्यर्पण किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				
(4)	5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय 00 050 भूमि तथा भवन 04 देहरादून में चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मूल 1,00.01 पुनर्वि० -37.59	62.42	62.42	0.00
दिनांक 31-03-2010 को ₹ 37.59 लाख के अभ्यर्पण अवशेष केन्द्रांश के प्राप्त न होने तथा डी०जी०एस०डी० से शिड्यूल रेट न मिलने के कारण बसों एवं ट्रकों के ढांचे न बनने से हुई बचत के कारण किए गए। उपरोक्त क्रम सं० (2) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				

- (vii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	5053 नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 02 विमान पत्तन 800 अन्य व्यय 08 देहरादून में हैलिपैड एवं हैंगर का निर्माण मूल 1,00.00 पुनर्वि० -1,00.00	0.00	0.00	0.00
(2)	11 व्यावसायिक विमान सेवाओं का विस्तार मूल 1,00.00 पुनर्वि० -1,00.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(3)	5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 00 050 भूमि तथा भवन 07 ऋषिकेश में आटोमेटेड टेस्टिंग लेन्स की स्थापना मूल 2,01.00 पुनर्वि० -2,01.00	0.00	0.00	0.00
(4)	09 चालक प्रशिक्षण हेतु समलेटर का क्रय मूल 1,00.00 पुनर्वि० -3.70	96.30	0.00	-96.30
(5)	7053 नागर विमानन के लिए कर्ज 00 190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज 03 हवाई पट्टियों के सुदृढीकरण हेतु यू0वाई0पी0सी0/आई0एल0एफ0एस0 को ऋण मूल 1,00.00 पुनर्वि० -1,00.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				

(viii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 00 050 भूमि तथा भवन 08 हल्द्वानी में चालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण मूल 0.01	0.01	96.30	+96.29
उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			



## अनुदान सं० 25 खाद्य

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

राजस्व :

2408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण
3456	सिविल पूर्ति
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

दत्तमत—

मूल	23,19,66				
		26,89,66	22,28,29	-4,61,37	
पूरक	3,70,00				
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				00

पूंजीगत :

4408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय
------	------------------------------------------------

दत्तमत—

मूल	50,05				
		50,05	9,16,80,66	+9,16,30,61	
पूरक	00				
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				00

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 4,61.37 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 4,61.37 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 को प्राप्त ₹ 3,70.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(1) 2408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण

01 खाद्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

03 अधिष्ठान व्यय (खाद्य एवं पूर्ति)

मूल

17,61.44

20,81.44

18,87.30

-1,94.14

पूरक

3,20.00

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,21,334, ₹ 10,84,746, ₹ 1,05,720 एवं ₹ 71,543 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 3,20.00 लाख की वृद्धि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कर्मियों को वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	3456 सिविल पूर्ति 00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	04 उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय			
	मूल	2,45.66	2,45.66	1,84.42
				-61.24

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 51,043 एवं ₹ 22,941 भी सम्मिलित है।

(3)	3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें 00			
	106 भार और माप का विनियमन			
	03 अधिष्ठान व्यय			
	मूल	1,22.52		
			1,72.52	1,46.57
				-25.95
	पूरक	50.00		

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि बांट एवं माप विभाग के कर्मियों को वेतन एवं महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत को अभ्यर्पित न किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण 01 खाद्य			
	800 अन्य व्यय			
	03 ग्रामीण महिलाओं के लिए निःशुल्क गैस कनेक्शन			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00
				-1,00.00
(2)	3456 सिविल पूर्ति 00			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	80.00	80.00	0.00
				-80.00

उपरोक्त लेखाशीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(v) दत्तमत अनुदान में ₹ 9,16,30.61 लाख के आधिक्य हुए। आधिक्य के नियमितिकरण की आवश्यकता है। यद्यपि, यदि पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के ₹ 8,52,90.47 लाख की वसूली को लेखे में सम्मिलित कर लिया जाए, तब भी ₹ 63,40.14 लाख के आधिक्य रहेगें।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 खाद्य			
	101 खरीद और पूर्ति			
	03 अन्न पूर्ति योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	8,43,27.99
	पुनर्वि०	0.00		+8,43,27.99
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 5,28,599 भी सम्मिलित है।			
(2)	800 अन्य व्यय			
	03 खाण्डसारी शक्कर योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	73,51.55
	पुनर्वि०	0.00		+73,51.55

(vii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

4408	खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 खाद्य			
	800 अन्य व्यय			
	04 आयुक्त, खाद्य भवन का निर्माण			
	मूल	50.00	50.00	1.12
				-48.88

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

## अनुदान सं० 26 पर्यटन

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
<b>राजस्व:</b>			
3452 पर्यटन			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	18,64,75		
		19,70,75	-2,85,40
पूरक	1,06,00		
		16,85,35	
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)			2,95,71

### पूंजीगत :

5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत—</b>			
मूल	54,21,67		
		63,19,67	-35,45,72
पूरक	8,98,00		
		27,73,95	
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)			35,45,72

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 21,00,03,000 नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

### टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 2,85.40 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 2,95.71 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 2,85.40 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 1,06.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	3452 पर्यटन			
	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 उत्तराखण्ड राज्य सरकार पर्यटन विकास परिषद्			
	मूल	7,26.00		
			5,87.95	+3.66
	पुनर्वि०	-1,38.05		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 3,00,000 भी सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29-03-2010 को ₹ 1,31.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 7.05 लाख की कमी निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	04 यात्रा प्रशासन संगठन अधिष्ठान			
	मूल	6.72		
	पुनर्वि०	-1.35	5.37	5.40
				+0.03
(3)	05 शासकीय कर्मचारियों का अधिष्ठान (मुख्यालय)			
	मूल	1,22.51		
	पुनर्वि०	-48.43	74.08	74.08
				0.00
(4)	104 संवर्धन तथा प्रचार			
	03 अधिष्ठान			
	मूल	2,58.42		
	पूरक	6.00	2,20.68	2,25.60
	पुनर्वि०	-43.74		
				+4.92

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,80,522 एवं ₹ 2,11,107 भी सम्मिलित है।

(5)	18 राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान			
	मूल	3,01.09		
	पुनर्वि०	-1,45.13	1,55.96	1,57.66
				+1.70

वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,15,766 भी सम्मिलित है।

उपरोक्त क्रम सं० (2) से (5) के शीर्षों के अन्तर्गत अभ्यर्पण का कारण निधि की वास्तविक आवश्यकता होना सूचित किया गया।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

3452 पर्यटन

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

07 होटल मैनेजमेंट सोसायटी को छात्रावास निर्माण हेतु अनुदान

मूल 50.00

0.00

0.00

0.00

पुनर्वि० -50.00

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण अनुदान स्वीकृत न होने के कारण किए गए।

(v) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
3452	पर्यटन			
80	सामान्य			
104	संवर्धन तथा प्रचार			
07	ऋण उत्पादन/स्वरोजगार योजना (जिला योजना)			
	मूल	4,00.00		
	पूरक	1,00.00	6,31.00	6,31.00
	पुनर्वि०	1,31.00		0.00

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29-03-2010 को ₹ 1,31.00 लाख की वृद्धि एस०एल०बी०सी० के निर्णय के अनुसार निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

पूँजीगत :

दत्तमत—

- (vi) ₹ 35,45.72 लाख की अन्तिम बचत को दिनांक 31-03-2010 को अभ्यर्पित कर दिया गया।  
 (vii) ₹ 35,45.72 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 8,98.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।  
 (viii) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
80	सामान्य			
104	संवर्धन तथा प्रचार			
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	12,00.00		
			9,64.40	9,64.40
	पुनर्वि०	-2,35.60		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1,90.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 45.60 लाख की कमी निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर की गई।

- (ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
80	सामान्य			
104	संवर्धन तथा प्रचार			
97	बाह्य सहायतित परियोजना			
	मूल	35,00.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-35,00.00		0.00

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पित किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(x) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
104	सर्वधन तथा प्रचार			
	04 राज्य सेक्टर			
	मूल	3,71.67		
	पूरक	8,98.00	14,59.60	14,59.60
	पुनर्वि०	1,89.93		0.00

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 8,98.00 लाख की वृद्धि पर्यटक आवास गृहों एवं पर्यटन विकास योजनाओं हेतु भूमि के कय/अधिग्रहण हेतु की गई।  
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29-03-2010 को ₹ 1,90.00 लाख की वृद्धि योजना की पूर्ति हेतु और अधिक निधि की आवश्यकता होने के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 0.07 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।

## अनुदान सं० 27 वन

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2406 वानिकी तथा वन्य जीवन  
2407 बागान

दत्तमत—

मूल	2,99,68,93			
		3,14,82,93	2,72,30,47	-42,52,46
पूरक	15,14,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				00

पूँजीगत :

4406 वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	13,60,05			
		13,60,05	13,39,49	-20,56
पूरक	00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 42,52.46 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 42,52.46 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 को प्राप्त ₹ 15,14.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(1) 2406 वानिकी तथा वन्य जीवन

01 वानिकी

001 निदेशन तथा प्रशासन

03 सामान्य प्रशासन

मूल 1,60,79.72

1,75,93.72

1,68,76.06

-7,17.66

पूरक 15,14.00

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 28,14,861, ₹ 7,30,706 एवं ₹ 13,92,566 भी सम्मिलित है।



प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 15,14.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता, गाड़ियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल के क्य के भुगतान हेतु की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(2)	101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण 03 वनों की सुरक्षा मूल	8.25	8.25	7.15	-1.10
(3)	102 समाज तथा फार्म वानिकी 06 रोजगार परक वृक्षारोपण योजना-टेक्सस बकाटा, च्यूरा, त्रिफला आदि जडी बूटियों का रोपण मूल	3,88.48	3,88.48	3,87.35	-1.13
(4)	105 वन उत्पाद 03 इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज मूल	55.00	55.00	53.72	-1.28
(5)	04 लीसा मूल	28,18.11	28,18.11	28,12.94	-5.17
वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 74,380 भी सम्मिलित है।					
(6)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	5,84.00	5,84.00	2,42.15	-3,41.85
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 7,350 भी सम्मिलित है।					
(7)	05 फोरेस्ट हास्पिटल ट्रस्ट हल्द्वानी/मेडिकल कालेज की स्थापना मूल	16,30.00	16,30.00	3,30.00	-13,00.00
(8)	09 जंगली जानवर द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता को जान माल नुकसान पर क्षति पूर्ति मूल	1,50.01	1,50.01	1,46.95	-3.06
वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 55,000 भी सम्मिलित है।					
(9)	10 पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सुधार योजना (राज्य सेक्टर) मूल	45.03	45.03	41.24	-3.79
(10)	11 टीएचडीसी सहायतित योजना मूल	3,62.06	3,62.06	1,00.00	-2,62.06
(11)	12 रिसर्च एवं टेक्नोलाजी डेवलपमेन्ट (राज्य सेक्टर) मूल	2,65.85	2,65.85	2,58.10	-7.75

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(12)	14 मुठभेड़ में मृत्यु होने तथा श्हासकीय कार्यों हेतु सहायता/पुरस्कार मूल	15.00	15.00	2.88	-12.12
(13)	16 उत्तराखण्ड वन विकास निधि का गठन मूल	50.00	50.00	30.00	-20.00
(14)	17 इको टूरिज्म मूल	2,88.82	2,88.82	2,84.20	-4.62
(15)	20 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण मूल	7,00.00	7,00.00	6,90.70	-9.30
(16)	24 संरक्षित वनों से बाहर के वन्य जीव क्षेत्रों का प्रबंधन मूल	2,20.00	2,20.00	2,15.73	-4.27
(17)	26 हिंसक वन्यजीवों पर नियंत्रण तथा पीड़ितों का पुनर्वास मूल	98.00	98.00	91.57	-6.43
(18)	27 वन कर्मियों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण तथा तत्संबन्धी सामग्री का क्रय मूल	81.00	81.00	75.71	-5.29
(19)	28 संरक्षण आरक्षित का प्रबंधन मूल	66.00	66.00	61.76	-4.24
(20)	29 वन विश्राम गृहों हेतु वैकल्पिक ऊर्जा वनकर्मियों तथा पर्यटकों के लिए चिकित्सा व्यवस्था मूल	1,00.50	1,00.50	97.82	-2.68
(21)	31 वन अग्नि नियंत्रण हेतु जीआईएस युनिट का गठन मूल	30.50	30.50	27.72	-2.78
(22)	34 वन पंचायतों के सुदृढीकरण हेतु माइक्रोप्लान तैयार करना मूल	1,00.00	1,00.00	97.90	-2.10
(23)	36 वन क्षेत्रों में पड़ने वाले अश्व मार्गों का सुदृढीकरण मूल	1,00.00	1,00.00	95.50	-4.50
(24)	91 जिला सेक्टर योजना मूल	8,55.00	8,55.00	7,99.82	-55.18
(25)	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन				
	110 वन्य जीवन परिरक्षण				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	14,84.77	14,84.77	7,91.46	-6,93.31

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(26)	03 वाईल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता मूल	66.67	66.67	30.84	-35.83
(27)	04 वन सुरक्षा एवं इको-टूरिज्म हेतु हाथियों का कय मूल	20.00	20.00	3.00	-17.00
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त बचत को अभ्यर्पित नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।					
(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:					
(1)	2406 वानिकी तथा वन्य जीवन 01 वानिकी 102 समाज तथा फार्म वानिकी 04 बांस प्रजातियों का रोपण मूल	2,00.01	2,00.01	0.00	-2,00.01
(2)	05 जेटरोफा तथा अन्य बायोफयूल प्रजातियों का रोपण मूल	1,20.01	1,20.01	0.00	-1,20.01
(3)	800 अन्य व्यय 08 विश्व खाद्य कार्यक्रम (राज्य सेक्टर) मूल	3.35	3.35	0.00	-3.35
(4)	37 वन रेंज एवं चौकियों का सुदृढीकरण मूल	1,07.51	1,07.51	0.00	-1,07.51
वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
(5)	38 ओक, फर्, स्पूस आदि प्रजातियों का पुनरोत्पादन मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	-3,00.00
वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
(6)	39 बुग्यालों की सुरक्षा मूल	25.00	25.00	0.00	-25.00
(7)	40 वन क्षेत्र में औषधीय पौधों का संरक्षण एवं विकास मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	-2,00.00
वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।					

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

- (1) 2406 वानिकी तथा वन्य जीवन  
01 वानिकी  
800 अन्य व्यय

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
	03 वनों की अग्नि से सुरक्षा (राज्य सेक्टर)				
	मूल	2,18.21	2,18.21	2,40.76	+22.55
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 863 भी सम्मिलित है।				
(2)	04 आरक्षित तथा सिविल सोयम वनों का विकास (राज्य सेक्टर)				
	मूल	11,00.00	11,00.00	13,07.29	+2,07.29
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				

**पूँजीगत :  
दत्तमत—**

(vi) ₹ 20.56 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

4406 वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय

01 वानिकी

101 वन संरक्षण और विकास

07 इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य

मूल	7,10.00	7,10.00	6,85.00	-25.00
-----	---------	---------	---------	--------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(viii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

4406 वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय

01 वानिकी

101 वन संरक्षण और विकास

03 वन मोटर मार्गों का सुदृढीकरण

मूल	3,00.02	3,00.02	3,04.49	+4.47
-----	---------	---------	---------	-------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

## अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

### राजस्व :

2403 पशु पालन
2404 डेरी विकास
2405 मछली पालन

### दत्तमत—

मूल	81,36,64		90,36,17	81,86,77	-8,49,40
पूरक	8,99,53				

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)

8,82,91

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,24,12,000 नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

### पूंजीगत :

4403 पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय
4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय

### दत्तमत—

मूल	4,52,00		5,07,50	4,59,69	-47,81
पूरक	55,50				

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)

47,82

### टिप्पणियाँ एवं टीकायें

#### राजस्व :

#### दत्तमत—

- (i) ₹ 8,49.40 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 8,82.91 लाख के अभ्यर्पण न्यायसंगत सिद्ध नहीं हुए।
- (ii) ₹ 8,49.40 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 8,99.53 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्न के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2403 पशु पालन			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 निदेशालय			
	मूल	58,48.60		
	पूरक	0.01	54,72.53	54,89.99
	पुनर्वि०	-3,76.08		+17.46

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 6,38,506, ₹ 19,811, ₹ 7,336, ₹ 12,51,917, ₹ 7,15,775 एवं ₹ 3,583 भी सम्मिलित है।

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 3,76.08 लाख बचत के कारण अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए-

- अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत न होने तथा आयकर प्रपत्र प्रस्तुत न करने के कारण वेतन का भुगतान न होना।
- महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते में निधि का अधिक प्रावधान।
- स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, विद्युत, जल कर, टेलीफोन, किराया, विज्ञापन, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति के देयक प्राप्त न होने के कारण।
- व्यावसायिक सेवा के संबन्ध में संविदा श्रमिकों की अनुपस्थिति के कारण।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	04 पशु कल्याण एवं गौ सेवा (राज्य सेक्टर योजना) मूल 31.16			
	पुनर्वि० -10.98	20.18	20.17	-0.01
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 10.98 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए-			
	➤ गौ सेवा आयोग में पद सृजित न होना।			
	➤ देयकों का प्राप्त न होना।			
	➤ देयकों के भुगतान के उपरान्त बचत।			
(3)	101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 1,29.33			
	पूरक 41.41	1,64.49	1,64.47	-0.02
	पुनर्वि० -6.25			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 6.25 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए-			
	➤ वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते में वास्तविक भुगतान के उपरान्त बचत।			
	➤ केन्द्रांश के प्राप्त न होने/यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, विद्युत, जल कर, लेखन सामग्री, टेलीफोन, अन्य व्यय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर में निधि की आवश्यकता न होने के कारण बचत।			
(4)	91 जिला योजना मूल 2,78.60			
	पूरक 1,96.39	3,25.98	3,29.19	+3.21
	पुनर्वि० -1,49.01			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 51,239 भी सम्मिलित है।			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1,49.01 लाख के अभ्यर्पण निधि स्वीकृत न होने के कारण किए गए।			
(5)	104 भेड़ तथा ऊन विकास 03 उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड मूल 13.65			
	पुनर्वि० -3.43	10.22	10.22	0.00
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 3.43 लाख के अभ्यर्पण माह जनवरी 2009 से माह जनवरी 2010 तक पदों के रिक्त रहने के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(6)	106 अन्य पशुधन विकास 03 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र मूल	2,97.98	2,85.19	2,86.07	+0.88
	पुनर्वि०	-12.79			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 99,390 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 12.79 लाख के अभ्यर्पण अनुपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान न होने, देयको की स्वीकृत न होने तथा निधि के अधिक आवंटन के कारण किए गए।				
(7)	113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	39.25	24.58	24.57	-0.01
	पुनर्वि०	-14.67			
	दिनांक 31-03-2010 को अधिष्ठान व्ययों में ₹ 14.67 लाख की बचत के कारण अभ्यर्पण के निम्न कारण रहे—				
	➤ कर्मचारियों को उनकी अनुपस्थिति के कारण वेतन एवं भत्ते का भुगतान न होना।				
	➤ यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री, टेलीफोन एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर में निधि का अधिक प्रावधान होना।				
	➤ अन्य व्यय के देयकों का प्राप्त न होना।				
(8)	2404 डेरी विकास 00 102 डेरी विकास परियोजनाएं 03 डेरी विकास योजनाएं मूल	2,86.61	2,71.61	2,71.61	0.00
	पुनर्वि०	-15.00			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 15.00 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।				
(9)	191 सहकारी समितियां तथा अन्य निकायों को सहायता 91 ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढीकरण (जिला योजना) मूल	3,10.00	3,04.99	3,05.00	+0.01
	पुनर्वि०	-5.01			
	दिनांक 31-03-2010 ₹ 5.01 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।				
(10)	2405 मछली पालन 00 001 निदेशन तथा प्रशासन				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

## 03 अधिष्ठान

मूल	2,02.87
पूरक	1,11.00
पुनर्वि०	-10.51

3,03.36	3,05.51	+2.15
---------	---------	-------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 1,04,473, ₹ 86,170, ₹ 6,920, ₹ 16,977 एवं ₹ 13,441 भी सम्मिलित है।

दिनांक 31-03-2010 को अधिष्ठान व्ययों में बचत ₹ 10.51 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।

## (11) 101 अन्तर्देशीय मछली पालन

## 91 जिला योजना

पूरक	36.00
------	-------

31.24	31.22	-0.02
-------	-------	-------

पुनर्वि०	-4.76
----------	-------

दिनांक 31-03-2010 ₹ 4.76 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।

## (12) 800 अन्य व्यय

## 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं

पूरक	22.50
------	-------

15.30	15.30	0.00
-------	-------	------

पुनर्वि०	-7.20
----------	-------

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 7.20 लाख के अभ्यर्पण निधि का अधिक प्रावधान होने के कारण किए गए। भारत सरकार ने ₹ 7.65 लाख एवं राज्य सरकार ने ₹ 7.65 लाख स्वीकृत किए थे। स्वीकृत राशि का उपयोग कर लिया गया। अवशेष प्रावधान ₹ 7.20 लाख अभ्यर्पित कर दिए गए।

उपरोक्त कम सं० (4) के लेखाशीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## (1) 2403 पशु पालन

00

## 102 पशु तथा भैंस विकास

## 05 कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न पशु संततियों की पहचान हेतु रेडियो फ्रीक्वेंसी चिन्हीकरण तकनीक की योजना (राज्य सेक्टर योजना)

मूल	64.00
-----	-------

0.00	0.00	0.00
------	------	------

पुनर्वि०	-64.00
----------	--------

## (2) 106 अन्य पशुधन विकास

## 08 गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

मूल	1,00.00
-----	---------

0.00	0.00	0.00
------	------	------

पुनर्वि०	-1,00.00
----------	----------

उपरोक्त कम सं० (1) एवं (2) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण का कारण



प्रावधान के पुनर्विनियोजन की स्वीकृति न मिलना सूचित किया गया। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(3)	107 चारा और चारागाह विकास 91 प्रदेश में चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण एवं सघन विकास मूल	14.06	14.06	0.00	-14.06
(4)	2404 डेरी विकास 00 102 डेरी विकास परियोजनाएं 08 सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मूल	79.89	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-79.89			

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।

(5)	2405 मछली पालन 00 190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	12.00	0.00	0.00	0.00
	पूरक	-12.00			

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण भारत सरकार से निधि के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण किए गए।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2403 पशु पालन 00 102 पशु तथा भैंस विकास 04 उत्तराखण्ड लाईव स्टॉक डेवेलपमेन्ट बोर्ड का संचालन मूल	4.10	0.00	2.05	+2.05
	पुनर्वि०	-4.10			

दिनांक 31-03-2010 को सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण का कारण रिक्त पदों का न भरा जाना सूचित किया गया।

(2)	106 अन्य पशुधन विकास 91 जिला योजना मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	14.10	+14.10
	पुनर्वि०	0.00			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 एवं 2004-05 का आपत्तिगत बही उच्चतम का समायोजन क्रमशः ₹ 5,06,092 एवं ₹ 5,13,310 भी सम्मिलित है।

उक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

निधि की आवश्यकता के कारण अनुदान में अनुपूरक अनुदान स्वीकृत किए गए। अनुपूरक अनुदान स्वीकृत किए जाने के निम्न कारण रहे—

#### मुख्य लेखाशीर्ष-2403 'पशु पालन'

माह दिसम्बर 2009 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 3,74.73 लाख का प्रावधान पशु पालन विभाग की निम्न योजनाओं हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए—

- राज्य पशु चिकित्सा परिषद् का गठन।
- पशु रोगों पर नियन्त्रण।
- भेड़ों को परजीवी किटाणुओं से बचाव।
- पशु चिकित्सा हेतु दवाईयां वैक्सीन इत्यादि का क्रय एवं शिविरों का आयोजन।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को अनुदान।

#### मुख्य लेखाशीर्ष-2404 'डेरी विकास'

माह दिसम्बर 2009 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 3,43.30 लाख का प्रावधान डेरी विकास की निम्न योजनाओं हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए—

- डेरी विकास विभाग के वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु।
- मिल्क प्रोक्यूरमेंट एवं दुग्ध समितियों का गठन।

#### मुख्य लेखाशीर्ष-2405 'मछली पालन'

माह दिसम्बर 2009 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,81.50 लाख के प्रावधान मत्स्य विभाग की निम्न योजनाओं हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए—

- मत्स्य विभाग के कर्मियों को वेतन इत्यादि का भुगतान।
- शीतल जल मत्स्य के विकास हेतु अनुदान।
- मत्स्य विकास एजेन्सी को अनुदान।
- मछुआरों के कल्याण हेतु अनुदान।
- डाटा बेस तथा सूचना प्रौद्योगिकी का सृद्धीकरण।

#### पूँजीगत :

##### दत्तमत—

- (vi) ₹ 47.81 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 47.82 लाख अभ्यर्पित किए गए।
- (vii) ₹ 47.81 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 55.50 लाख अधिक सिद्ध हुए।
- (viii) बचत निम्न के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय			
	00			
	101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	17.00		
			9.68	9.68
	पुनर्वि०	-7.32		0.00

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 7.32 लाख की बचत का अभ्यर्पण केन्द्रांश की सीमा तक निधि की स्वीकृति के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	101 अन्तर्देशीय मछली पालन			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं पूरक	55.50		
			15.00	15.00
	पुनर्वि०	-40.50		0.00

माह दिसम्बर 2009 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 55.50 लाख का प्रावधान निधि की निम्न आवश्यकताओं के कारण किया गया—

- मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार।
- मत्स्य विकास योजना।
- अन्तर्स्थलीय मत्स्य विकास योजना (75% केन्द्र पोषित) एवं राज्य स्तरीय मत्स्य स्वास्थ्य अन्वेषण एवं जलीय गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना।

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 40.50 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए—

- मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार (80% केन्द्र पोषित) में अधिक प्रावधान के आवंटन के कारण।
- अन्तर्स्थलीय मत्स्य विकास योजना (75% केन्द्र पोषित) एवं राज्य स्तरीय मत्स्य स्वास्थ्य अन्वेषण एवं जलीय गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना की स्वीकृति न मिलने के कारण।

## अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
<b>राजस्व :</b>			
2401 फसल कृषि कर्म			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	74,90,40		
पूरक	13,20,41	88,10,81	85,37,51
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)			-2,73,30
<b>प्रभारित—</b>			
मूल	33,50		
पूरक	50	34,00	33,91
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)			-9
			00

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 4,43,60,000 नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

### पूंजीगत:

4401 फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत—</b>			
मूल	00		
पूरक	00	00	2,99,99
			+2,99,99

### टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 2,73.30 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 2,44.62 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 2,73.30 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 में प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 13,20.41 लाख अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
-------------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(1) 2401 फसल कृषि कर्म

00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
119	बागवानी और सब्जियों की फसलें			
03	औद्योगिक विकास			
	मूल	51,44.48		
	पूरक	4,51.00	54,54.96	53,70.93
	पुनर्वि०	-1,40.52		-84.03
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 94,248, ₹ 240, ₹ 7,980 एवं ₹ 25,000 भी सम्मिलित है।			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1,40.52 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के निम्न कारण रहे-			
	➤ वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों में बचत।			
	➤ टेलीफोन देयकों का प्राप्त न होना।			
	➤ निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर।			
	➤ योजना के अन्तर्गत विभागों द्वारा शासन को निर्माण कार्यो हेतु विलम्ब से प्राक्कलन प्रेषित किया जाना।			
(2)	09 जड़ी बूटी शोध संस्थान को अनुदान			
	मूल	3,00.00	3,00.00	1,00.00
				-2,00.00
(3)	12 उत्तराखण्ड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/संगोष्ठी			
	मूल	26.55		
			20.50	20.50
	पुनर्वि०	-6.05		0.00
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 6.05 लाख के अभ्यर्पण विभागों द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग को प्राक्कलन प्रेषित किए गए परन्तु वित्त वर्ष की समाप्ति को देखते हुए प्राक्कलन स्वीकृत नहीं किए गए। इस प्रकार बचत हुई जो कि अभ्यर्पित कर दी गई।			
(4)	13 मशरूम उत्पादन एवं विपणन योजना			
	मूल	19.21		
			17.75	17.70
	पुनर्वि०	-1.46		-0.05
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1.46 लाख के अभ्यर्पण मद संख्या 24 'वृहद निर्माण कार्य हेतु ₹ 5.00 लाख से कम के प्रावधान थे इसलिए विभागों द्वारा प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किए और बचत को अभ्यर्पित कर दिया गया।			
(5)	16 मानव संसाधन विकास की योजना			
	मूल	27.50		
			19.80	19.48
	पुनर्वि०	-7.70		-0.32
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 19-03-2010 को ₹ 7.70 लाख की कमी अन्य व्यय एवं प्रशिक्षण व्यय में निधि का प्रावधान अधिक होने के कारण की गई।			
(6)	18 भेषज कृषि विकास			
	मूल	40.00		
			30.00	28.26
	पुनर्वि०	-10.00		-1.74
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 19-03-2010 को ₹ 10.00 लाख की कमी निधि की			

आवश्यकता न होने के कारण की गई। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2401 फसल कृषि कर्म 00			
	119 बागवानी और सब्जियों की फसलें			
	08 सघन पौध रोपण हेतु फलपौध सामग्री का आयात मूल	70.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-70.00		

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण उन्नत किस्म के फलों की पौध के आयात हेतु आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण न हो पाने के कारण किए गए।

(2)	17 भेषज विकास इकाई का ढांचागत विकास मूल	2,25.00	2,25.00	0.00	-2,25.00
-----	-----------------------------------------	---------	---------	------	----------

उपरोक्त क्रम सं० (2) के शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	2401 फसल कृषि कर्म 00				
	119 बागवानी और सब्जियों की फसलें				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	3,15.00			
	पूरक	6,72.30	9,72.30	14,47.30	+4,75.00
	पुनर्वि०	-15.00			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 6,72.30 लाख की वृद्धि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को अनुदान देने हेतु की गई।

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 15.00 लाख के अभ्यर्पण वर्तमान वित्त वर्ष में 'सी' ग्रेड के सेब/माल्टा का उत्पादन नहीं होने के कारण किए गए।

(2)	07 शहतूत की खेती एवं रेशम विकास मूल	5,49.40			
			6,57.20	6,60.01	+2.81
	पूरक	1,07.80			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 1,07.80 लाख की वृद्धि रेशम विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु की गई।

(3)	91 जिला योजना मूल	2,45.82			
	पूरक	89.31	3,41.24	3,45.91	+4.67
	पुनर्वि०	6.11			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 89.31 लाख की वृद्धि फलों/सब्जियों को सूखा कर प्रसंस्करण करने एवं उन्नत किस्म के पौधों के उत्पादन/पौध रोपण हेतु अनुदान के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13.02 लाख की वृद्धि योजना की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 6.91 लाख के अभ्यर्पण औद्योगिक विभाग के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औद्योगिक निवेशों की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण की गई।

उपरोक्त क्रम सं० (1) से (3) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए।

राजस्व :

प्रभारित-

(vi) ₹ 34.00 लाख के कुल प्रावधान के सापेक्ष ₹ 33.91 लाख निम्नानुसार उपयोग किए गए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
2401	फसल कृषि कर्म			
00				
119	बागवानी और सब्जियों की फसलें			
03	औद्योगिक विकास			
	मूल	33.50		
			34.00	
			33.91	-0.09
	पूरक	0.50		

पूँजीगत :

दत्तमत-

(vii) ₹ 2,99.99 लाख के व्यय निधि के प्रावधान किए बिना परिलक्षित हुए। व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है। यदि ₹ 9.96 लाख की वसूली को लेखे में सम्मिलित कर लिया जाए, तब भी ₹ 2,90.03 लाख के आधिक्य रहेंगे।

(viii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
4401	फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय			
00				
119	बागवानी और सब्जियों की फसलें			
04	रोग रहित आलू बीज/कीटनाशक औषधियों की लागत			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	
	पुनर्वि०	0.00		
			2,99.99	+2,99.99

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान के बिना व्यय किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

## अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2202 सामान्य शिक्षा			
2203 तकनीकी शिक्षा			
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205 कला एवं संस्कृति			
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211 परिवार कल्याण			
2215 जलापूर्ति तथा सफाई			
2217 शहरी विकास			
2220 सूचना तथा प्रचार			
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2230 श्रम तथा रोजगार			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2401 फसल कृषि कर्म			
2402 मृदा एवं जल संरक्षण			
2403 पशु-पालन			
2404 डेरी विकास			
2405 मछली पालन			
2406 वानिकी तथा वन्य जीवन			
2425 सहकारिता			
2501 ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम			
2801 बिजली			
2810 वैकल्पिक ऊर्जा			
2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग			

दत्तमत—

मूल	3,81,79,15			
		4,11,46,11	3,30,35,40	-81,10,71
पूरक	29,66,96			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				4,63,78

पूँजीगत :

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	
4211 परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	
4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	



मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

## पूँजीगत :

4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय
4408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूँजीगत परिव्यय
4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय
6425	सहकारिता के लिए कर्ज
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

## दत्तमत—

मूल	2,03,53,33			
पूरक	22,21,81	2,25,75,14	1,02,61,22	-1,23,13,92
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				45,55,21

## टिप्पणियाँ एवं टीकायें

## राजस्व :

## दत्तमत—

- ₹ 81,10.71 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 4,63.78 लाख ही अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- ₹ 81,10.71 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 29,66.96 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(1)	2202 सामान्य शिक्षा			
	01 प्रारम्भिक शिक्षा			
	101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	10,00.00		
	पुनर्वि०	-57.57	9,42.43	9,42.53 +0.10

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18-03-2010 को ₹ 57.57 लाख की कमी विद्यालयों में पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजना में बचत के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	02 माध्यमिक शिक्षा			
	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
	02 अनुसूचित जनजातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	13,21.01		
		1,93.05	14,97.53	14,18.79
	पुनर्वि०	-16.53		-78.74
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन कमशः ₹ 70,879 एवं ₹ 50,364 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 1,93.05 लाख की वृद्धि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियों के वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 16.53 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए—			
	➤ महंगाई भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते के प्रावधान में अधिक आवंटन।			
	➤ चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, कार्यालय व्यय एवं अवकाश यात्रा रियायत हेतु मांग प्राप्त न होना।			
(3)	2203 तकनीकी शिक्षा			
	00			
	112 इंजी०/तकनीकी कालेज तथा संस्थान			
	03 पन्त कालेज ऑफ टैक्नालोजी, पन्तनगर को सहायक अनुदान			
	मूल	1,48.00	1,48.00	1,21.80
				-26.20
(4)	2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशिक्षण			
	91 जिला योजना			
	मूल	1,39.74	1,39.74	1,23.32
				-16.42
	उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के संबन्ध में सूचित किया गया कि कड़े आर्थिक उपायों के कारण कुछ योजनाओं में ₹ 4.85 लाख की बचत परिलक्षित हुई।			
(5)	2205 कला एवं संस्कृति			
	00			
	102 कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	35.00	35.00	10.12
				-24.88
(6)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं—प्राथमिक चिकित्सा पद्धति			
	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
	03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना			
	मूल	14.22	14.22	0.00
				-14.22
(7)	2211 परिवार कल्याण			
	00			
	101 अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	2,57.21		
			3,27.21	
	पूरक	70.00	2,98.26	-28.95
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 70.00 लाख की वृद्धि नए ग्रामीण उप-केन्द्रों के कर्मियों को वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(8)	2215 जलापूर्ति तथा सफाई			
	01 जलापूर्ति			
	101 शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम			
	05 नगरीय पेयजल			
	मूल	5,54.00	5,54.00	1,39.18
				-4,14.82
(9)	2217 शहरी विकास			
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
	03 नगरों का समेकित विकास			
	मूल	2,75.57	2,75.57	42.35
				-2,33.22
(10)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं			
	मूल	32,04.00	32,04.00	2,45.88
				-29,58.12
(11)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	44,10.00	44,10.00	25,74.34
				-18,35.66
(12)	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	06 राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड (50% के० पो०)			
	मूल	20.00		
			6.67	6.67
	पुनर्वि०	-13.33		0.00
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 13.33 लाख के अभ्यर्पण समाज कल्याण सलाहकार परिषद् से मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(13)	07 एस.सी.पी./टी.एस.पी नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान			
	मूल	75.80		
			40.01	39.45
	पुनर्वि०	-35.79		-0.56
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 35.79 लाख के अभ्यर्पण रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(14)	08 अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग का अधिष्ठान मूल	33.15	26.29	25.75	-0.54
	पुनर्वि०	-6.86			
	दिनांक 31-03-2010 को अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत ₹ 6.86 लाख के अभ्यर्पण स्वीकृत पद न भरे जाने के कारण किए गए।				
(15)	277 शिक्षा				
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	6.78	6.78	4.33	-2.45
(16)	03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन मूल	1,25.57	1,09.71	1,09.81	+0.10
	पुनर्वि०	-15.86			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 23,800 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 15.86 लाख के अभ्यर्पण रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण किए गए।				
(17)	06 अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन मूल	2,58.76	2,07.37	1,65.59	-41.78
	पुनर्वि०	-51.39			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 12,941 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 51.39 लाख के अभ्यर्पण रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण किए गए।				
(18)	07 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना मूल	30.00	30.00	28.78	-1.22
(19)	08 अभियन्त्रण/मेडिकल में प्रवेश हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण मूल	8.08	3.56	3.83	+0.27
	पुनर्वि०	-4.52			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 4.52 लाख के अभ्यर्पण आउटसोर्सिंग स्टॉफ के द्वारा योजना का कार्य किए जाने के कारण किए गए।				
(20)	13 अनु०जातियों की बालिकाओं के शिक्षा प्रोत्साहन हेतु कन्या धन योजना मूल	10,00.00	6,75.00	4,48.50	-2,26.50
	पुनर्वि०	-3,25.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-02-2010 को ₹ 3,25.00 लाख की कमी का कारण योजना के अन्तर्गत बचत होने की सम्भावना सूचित किया गया।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(21)	91 जिला योजना मूल	41,68.68	40,18.16	40,24.32	+6.16
	पुनर्वि०	-1,50.52			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 10-02-2010 को ₹ 3.00 लाख की वृद्धि विभागों द्वारा सहायतित प्राथमिक विद्यालय, बागेश्वर के अध्यापकों को वेतन एवं भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12-03-2010 को ₹ 37.88 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1,15.64 लाख की कमी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति/छात्र वेतन के भुगतान के उपरान्त हुई बचत के कारण की गई।				
(22)	800 अन्य व्यय 05 अनुसूचित जातियों के विकास के लिए परियोजना हेतु सहायता मूल	1,38.00	1,38.00	48.83	-89.17
(23)	08 नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम, 1956 का क्रियान्वयन मूल	45.00	45.00	14.51	-30.49
(24)	91 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता (जिला योजना) मूल	3,86.26	3,86.26	3,28.63	-57.63
(25)	2230 श्रम तथा रोजगार 02 रोजगार सेवायें 800 अन्य व्यय 02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	20.18	27.18	20.87	-6.31
	पूरक	7.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 7.00 लाख की वृद्धि अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं सलाहकार केन्द्र की स्थापना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(26)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 102 बाल कल्याण 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	7,86.50	7,86.50	5,68.57	-2,17.93
(27)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	15,00.00	15,00.00	13,59.69	-1,40.31
(28)	2401 फसल कृषि कर्म 00				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	102 खाद्यानों की फसलें			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	3,48.40	3,48.40	3,15.74
(29)	107 वनस्पति संरक्षण			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	32.96	32.96	30.69
(30)	119 बागवानी और सब्जियों की फसलें			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	3,73.60		
			2,01.20	2,01.27
	पुनर्वि०	-1,72.40		+0.07
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1,72.40 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए-			
	➤ जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन से अधिक निधि का प्रावधान होने के कारण।			
	➤ माह जनवरी 2010 से प्रारम्भ हुए चाय बागानों की मुल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण।			
	➤ डीडीहाट ब्लॉक, वेरीनाग में चाय बागानों हेतु अनुसूचित जाति के किसानों की भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण।			
	उक्त कारणों से चाय विकास परिषद् ने निधि की स्वीकृति की मांग नहीं की। इस प्रकार आवंटित प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया।			
(31)	2402 मृदा एवं जल संरक्षण			
	00			
	102 मृदा संरक्षण			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	1,08.19	1,08.19	58.18
(32)	2404 डेरी विकास			
	00			
	102 डेरी विकास परियोजनाएं			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	1,71.29		
			1,68.20	1,40.39
	पुनर्वि०	-3.09		-27.81
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 3.09 लाख के अभ्यर्पण योजना कार्यालय द्वारा योजना के विस्तार की स्वीकृति प्रदान न करने के कारण की गई।			
(33)	2405 मछली पालन			
	00			
	101 अन्तर्देशीय मछली पालन			
	03 मत्स्यपालन संबंधी कार्यक्रम			
	मूल	1,02.75		
			99.88	99.88
	पुनर्वि०	-2.87		0.00

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 2.87 लाख के अभ्यर्पण का कारण लाभ प्राप्त कर्ताओं से आवेदन/मांग प्राप्त न होना सूचित किया गया।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(34)	2406 वानिकी तथा वन्य जीवन 01 वानिकी 800 अन्य व्यय 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	15,20.00	15,20.00	1,59.67 -13,60.33
(35)	2425 सहकारिता 00 107 क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	50.69	40.56	40.56 0.00
	पुनर्वि०	-10.13		
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 10.13 लाख के अभ्यर्पण लक्ष्य के अनुसार महिला बचत समुहों का गठन न होने के कारण किए गए।			
(36)	800 अन्य व्यय 04 पैक्स गोदाम निर्माण हेतु सहायता मूल	30.00	28.01	28.01 0.00
	पुनर्वि०	-1.99		
	₹ 1.99 लाख के अभ्यर्पण प्रस्तावानुसार निधि की आवश्यकता न होने के कारण की गई।			
(37)	2501 ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल	5.32	5.32	2.66 -2.66
(38)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	24,55.81	24,55.81	14,67.23 -9,88.58
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 का आपत्तिगत बही उच्यन्त का समायोजन ₹ 3,97,000 भी सम्मिलित है।			
(39)	2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00 101 पंचायती राज 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	4,51.25	4,51.25	4,35.54 -15.71
(40)	2810 वैकल्पिक ऊर्जा 60 ऊर्जा के अन्य स्रोत			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	800 अन्य व्यय			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	1,63.84	1,63.84	1,33.83
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य (क्रम सं० (16) के शीर्ष को छोड़कर) के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			-30.01
	(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
(1)	2203 तकनीकी शिक्षा			
	00			
	112 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान			
	06 तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान			
	मूल	16.67	16.67	0.00
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			-16.67
(2)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	03 एलोपैथिक एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00
				1,00.00
(3)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	03 संचल चिकित्सालय की स्थापना			
	मूल	10.00	10.00	0.00
				-10.00
(4)	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
	793 अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			-4,00.00
(5)	800 अन्य व्यय			
	06 अनुसूचित जातियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना			
	मूल	10.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	-10.00		0.00
	वर्ष 2008-09 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(6)	07 शिल्पी ग्राम योजना			
	मूल	10.01		
			0.01	0.00
	पुनर्वि०	-10.00		-0.01



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(7)	11 अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण संचालित सेमिनार/कार्यशाला/सर्वेक्षण/शोध/प्रचार प्रसार मूल 20.00 पुनर्वि० -15.00		5.00	0.00 -5.00
(8)	2230 श्रम तथा रोजगार 03 प्रशिक्षण 003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण मूल 63.00	63.00	0.00	-63.00
(9)	2406 वानिकी तथा वन्य जीवन 01 वानिकी 102 समाज तथा फार्म वानिकी 04 बाँस प्रजातियों का रोपण मूल 2,00.00	2,00.00	0.00	-2,00.00
(10)	05 जैट्रोफा तथा अन्य बायो फयूल प्रजातियों का रोपण मूल 2,00.00	2,00.00	0.00	-2,00.00
(11)	2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00 101 पंचायती राज 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल 8,69.25	8,69.25	0.00	-8,69.25
(12)	2810 वैकल्पिक ऊर्जा 01 बायो ऊर्जा 103 जैव पिंड 03 बायोमास आधारित योजनाओं हेतु उरेडा को सहायता मूल 2.01	2.01	0.00	-2.01

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारम्भिक शिक्षा 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल 1,50.00 पूरक 5,73.00 पुनर्वि० 57.57	7,80.57	7,80.47	-0.10
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	-------

प्रावधान में माह दिसम्बर 2009 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 5,73.00 लाख की वृद्धि सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन हेतु अनुदान के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18-03-2010 को ₹ 57.57 लाख की वृद्धि सर्व शिक्षा अभियान हेतु लेखानुदान से प्राप्त प्रावधान के समायोजन हेतु की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	2203 तकनीकी शिक्षा 00 112 इंजी०/तकनीकी कालेज तथा संस्थान 05 इंजी० कालेज, घुडदौड़ी, पौड़ी को अनुदान मूल 50.00	50.00	55.05	+5.05
(3)	2204 खेलकूद तथा अन्य सेवाएं 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 1,20.26	1,20.26	1,24.85	+4.59
वास्तविक व्यय में वर्ष 2006-07 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 93,500 भी सम्मिलित है।				
(4)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 110 अस्पताल तथा औषधालय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 50.00	50.00	1,50.00	+1,00.00
(5)	2215 जलापूर्ति तथा सफाई 01 जलापूर्ति 102 ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 1,90.00	14,90.00	16,58.47	+1,68.47
	पूरक 13,00.00			
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 13,00.00 लाख की वृद्धि ग्रामीण पेयजल एवं जलोत्सारण योजनाओं हेतु अनुदान के लिए की गई।				
(6)	2217 शहरी विकास 03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल 3,05.03	3,05.03	5,46.59	+2,41.56
(7)	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 102 आर्थिक विकास 03 औद्योगिक प्रशिक्षण कन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना मूल 4.25	5.69	5.48	-0.21
	पुनर्वि० 1.44			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12-03-2010 को ₹ 2.88 लाख की वृद्धि वेतन एवं भत्तों हेतु कम प्रावधान होने के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1.44 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(8)	277 शिक्षा 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल पूरक	18,08.69 3,10.00	21,18.69	24,53.81 +3,35.12
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 3,10.00 लाख की वृद्धि अनुसूचित जाति के कक्षा 10 से ऊपर के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु की गई।			
(9)	12 अनुजातियों के लिए छात्रावास मूल पुनर्वि०	82.61 20.24	1,02.85	1,02.56 -0.29
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12-03-2010 को ₹ 35.00 लाख की वृद्धि छात्रावासों तथा विद्यार्थियों के भोजन में लम्बित देयकों के भुगतान हेतु की गई क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कम प्रावधान किया गया था। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 14.75 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए। बचत रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण परिलक्षित हुई।			
(10)	800 अन्य व्यय 15 अटल आवास योजना मूल पुनर्वि०	5,00.00 3,25.00	8,25.00	7,93.80 -31.20
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09-02-2010 को ₹ 3,25.00 लाख की वृद्धि अटल आवास योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन आवासों हेतु दूसरी किस्त के भुगतान हेतु की गई।			
(11)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 सामाजिक कल्याण 101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण 91 जिला योजना मूल परक पुनर्वि०	3,75.21 9.62 35.00	4,19.83	4,19.75 -0.08
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 9.62 लाख की वृद्धि जिला योजना के अन्तर्गत अन्धे, बहरे एवं विकलांगों को सहायता देने के लिए की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18-02-2010 को ₹ 35.00 लाख की वृद्धि विकलांगों के भरण-पोषण हेतु की गई।			
(12)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम 102 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	17,00.00		
		20,48.49	20,65.20	+16.71
	पूरक	3,48.49		

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 3,48.49 लाख की वृद्धि अशक्त/किसान पेंशन के भुगतान हेतु की गई।

(13) 2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम  
00

102 सामुदायिक विकास

02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

मूल 28,67.65 28,67.65 51,98.60 +23,30.95

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) ₹ 1,23,13.92 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 45,55.21 लाख ही अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

(vii) ₹ 1,23,13.92 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 22,21.81 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(viii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1) 4059 लोक निर्माण कार्य

01 कार्यालय भवन

001 निदेशन तथा प्रशासन

02 अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

मूल 49.31 49.31 32.87 -16.44

(2) 4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं—पश्चात्य चिकित्सा पद्धति

103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

91 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण (जिला योजना)

मूल 46.00 46.00 27.00 -19.00

(3) 4211 परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

00

101 ग्रामीण परिवार कल्याण योजना

91 उप कन्द्रों के भवनों का निर्माण

मूल 1,62.78 1,62.78 1,10.00 -52.78

(4) 4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

01 अनुसूचित जातियों का कल्याण

800 अन्य व्यय

03 अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास

मूल 5,00.00 5,00.00 4,44.21 -55.79

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(5)	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 00 102 सामुदायिक विकास 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	10,00.00	14,25.00	8,88.60	-5,36.40
	पूरक	4,25.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 4,25.00 लाख की वृद्धि प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना हेतु भूमि का अधिग्रहण/एन.बी.पी. के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(6)	91 जिला योजना मूल	4,13.46	4,13.46	3,64.50	-48.96
(7)	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें 800 अन्य व्यय 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	2,00.00	1,19.00	47.17	-71.83
	पुनर्वि०	-81.00			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 81.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				
(8)	91 अनुसूचित जातियों के लिए नलकूपों का निर्माण (जिला योजना) मूल	4,00.00	6,54.06	6,44.62	-9.44
	पूरक	2,54.06			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 2,54.06 लाख की वृद्धि जिला योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए नहरों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(9)	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 00 800 अन्य व्यय 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	2,50.00	1,01.00	1,01.00	0.00
	पुनर्वि०	-1,49.00			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1,49.00 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश के प्राप्त न होने तथा पूर्व वर्षों में निधि स्वीकृति के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण किए गए।				
(10)	4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 05 पारिषण एवं वितरण 097 बाह्य सहायतित				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
	01 ए०डी०बी० वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु पिटकुल में निवेश मूल	16,20.00	16,20.00	3,03.84	-13,16.16
(11)	5054 सड़कों तथा सेंटुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04 जिला तथा अन्य सड़कें 800 अन्य व्यय 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	49,00.00	64,00.00	61,96.10	-2,03.90
	पूरक	15,00.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत सड़को एवं पुलों के चालू निर्माण कार्यों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(12)	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज 05 पारेषण एवं वितरण 190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 91 जिला योजना मूल	4,28.99	4,28.99	3,67.02	-61.97
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				
	(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:				
(1)	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा 201 प्रारम्भिक शिक्षा 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	-1,00.00
(2)	02 तकनीकी शिक्षा 104 बहुशिल्प 03 राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरुष/महिला) भवन निर्माण/सुदृढीकरण मूल	50.00	50.00	0.00	-50.00
(3)	03 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 102 खेलकूद स्टेडियम 03 इंडोर हॉल व हास्टल का निर्माण मूल	25.00	25.00	0.00	-25.00
(4)	04 प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण मूल	2,50.00	2,50.00	0.00	-2,50.00
(5)	04 कला एवं संस्कृति 800 अन्य व्यय 03 कला एवं संस्कृति मूल	12.00	12.00	0.00	-12.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(6)	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 110 अस्पताल तथा औषधालय 02 अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 8.12	8.12	0.00	-8.12
(7)	800 अन्य व्यय 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 25.00 पुनर्वि० -25.00	0.00	0.00	0.00
(8)	91 जिला योजना मूल 16.00	16.00	0.00	-16.00
(9)	4211 परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 00 101 ग्रामीण परिवार कल्याण योजना 03 उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण मूल 37.22	37.22	0.00	-37.22
(10)	4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 03 अनुसूचित जाति के निगम को स्वरोजगार हेतु अंश पूजी मूल 51.00	51.00	0.00	-51.00
(11)	277 शिक्षा 02 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रवासों का निर्माण (50% के०स०) (चालू कार्य) मूल 50.00	50.00	0.00	-50.00
(12)	4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02 समाज कल्याण 102 बाल कल्याण 03 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण मूल 20.00	20.00	0.00	-20.00
(13)	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 00 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल 40,50.00 पुनर्वि० -40,50.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 31-03-2010 को सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण केन्द्रांश के प्राप्त न होने तथा विगत वर्षों में स्वीकृत निधि का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(14)	4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01 बाढ़ नियन्त्रण 103 सिविल निर्माण कार्य 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 50.00 पुनर्वि० -50.00	0.00	0.00	0.00
(15)	4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01 जल विद्युत उत्पादन 097 बाह्य सहायतित 01 ए०डी०बी० वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु पिटकुल में निवेश मूल 3,15.90 पुनर्वि० -1,33.10	3,15.90	0.00	-3,15.90
(16)	5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 104 संवर्धन तथा प्रचार 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल 1,33.10 पुनर्वि० -1,33.10	0.00	0.00	0.00
(17)	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज 01 जल विद्युत उत्पादन 190 सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 97 बाह्य सहायतित योजना मूल 7,37.10	7,37.10	0.00	-7,37.10
(18)	05 पारेषण एवं वितरण 190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 97 बाह्य सहायतित योजना मूल 37,80.00	37,80.00	0.00	-37,80.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(x) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 04 नलकूपों का निर्माण 800 अन्य व्यय 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 25.00	25.00	44.25	+19.25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	--------

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।



## अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व :

2202 सामान्य शिक्षा			
2203 तकनीकी शिक्षा			
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205 कला एवं संस्कृति			
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211 परिवार कल्याण			
2215 जल पूर्ति तथा सफाई			
2217 शहरी विकास			
2220 सूचना तथा प्रचार			
2225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2230 श्रम तथा रोजगार			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2401 फसल कृषि कर्म			
2402 मृदा तथा जल संरक्षण			
2403 पशु पालन			
2404 डेरी विकास			
2405 मछली पालन			
2406 वानिकी तथा वन्य जीवन			
2425 सहकारिता			
2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505 ग्राम रोजगार			
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
2801 बिजली			
2810 वैकल्पिक ऊर्जा			
2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग			

दत्तमत—

मूल	78,32,44			
पूरक	3,18,96	81,51,40	66,06,17	-15,45,23
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				6,18,39

पूंजीगत :

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (हजार ₹ में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

## पूँजीगत :

4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय		
4408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूँजीगत परिव्यय		
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय		
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
5054	सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय		
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय		
6425	सहकारिता के लिए कर्ज		
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज		

## दत्तमत—

मूल	54,77,03	59,77,03	36,64,31	-23,12,72
पूरक	5,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2010)				11,22,46

## टिप्पणियां एवं टिकार्ये

## राजस्व :

## दत्तमत—

- ₹ 15,45.23 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 6,18.39 लाख ही अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- ₹ 15,45.23 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2009 में प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 3,18.96 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

(1)	2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 00			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	01 प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण			
	मूल	13.80	13.80	12.15

वास्तविक व्यय में वर्ष 2006-07 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 2,900 भी सम्मिलित है। उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के संबन्ध में सूचित किया गया कि ₹ 1.68 लाख की बचत स्वयंसेवकों का लक्ष्य के अनुसार पद न भरे जाने के कारण परिलक्षित हुई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(2)	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 796 जनजातिय क्षेत्र उप योजना 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना मूल 14.47	16.97	14.91	-2.06
	पूरक 2.50			
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को वृद्धि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नानकमत्ता, उधमसिंह नगर में पद सृजित किए जाने के कारण की गई।				
(3)	06 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना (राज्य पोषित) मूल 8.41	8.41	0.40	-8.01
(4)	04 ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 05 कालसी देहरादून में होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना मूल 10.22	8.36	8.36	0.00
	पुनर्वि० -1.86			
दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1.86 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए-				
➤ रिक्त पदों का न भरा जाना।				
➤ यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं अन्य व्यय, लेखन सामग्री एवं प्रपत्रों की छपाई के संबन्ध में कड़े आर्थिक उपाय अपनाया जाना।				
➤ कार्यालय फर्नीचर एवं मशीनरी के संबन्ध में स्वीकृति का प्राप्त न होना।				
(5)	06 लोक स्वास्थ्य 101 रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन मूल 15.00	15.00	12.00	-3.00
(6)	2211 परिवार कल्याण 00 796 जनजाति उप क्षेत्र योजना 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुंरोनिधारित योजनाएं मूल 1,00.01	1,00.01	72.08	-27.93
(7)	2217 शहरी विकास 03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता 03 नगरों का समेकित विकास मूल 70.78	70.78	8.92	-61.86
(8)	97 बाह्य सहायतित योजना मूल 1,34.00	1,34.00	21.04	-1,12.96

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(9)	2225 अनुसूचित जातियों, अनु०जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 001 निदेशन तथा प्रकाशन 03 जनजातीय कल्याण निदेशालय मूल 60.03 पुनर्वि० -4.68	55.35	55.05	-0.30
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23-03-2010 एवं दिनांक 25-03-2010 को क्रमशः ₹ 2.88 लाख एवं 1.00 लाख की वृद्धि जनरेटर (10 के.वी.) के क्रय तथा वेतन के ₹ 0.64 लाख, यात्रा भत्ता ₹ 0.05 लाख, पेट्रोल के क्रय किए जाने के ₹ 0.31 लाख के अवशेष देयकों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 8.56 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में बचत के कारण किए गए।			
(10)	277 शिक्षा 03 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास तथा रख-रखाव मूल 63.52 पूरक 1.00 पुनर्वि० -4.55	59.97	60.14	+0.17
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 2,550 एवं ₹ 2,071 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 1.00 लाख की वृद्धि अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थियों के भोजन व्यय की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16-03-2010 को ₹ 0.50 लाख की वृद्धि श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास धारचुला (पिथौरागढ़) के अवशेष चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अवशेष देयकों के भुगतान के लिए की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 5.05 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः मजदूरी, यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते एवं व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं में बचत के कारण किए गए।			
(11)	04 अनु.जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का रख-रखाव मूल 7,94.51 पूरक 2,05.00 पुनर्वि० -1,67.95	8,31.56	8,37.29	+5.73
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 एवं 2007-08 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 79,213 एवं ₹ 2,46,877 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 2,05.00 लाख की वृद्धि अनुसूचित जनजातियों हेतु राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के अनुरक्षण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा माह मार्च 2010 के दौरान ₹ 33.75 लाख की कमी अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के अनुरक्षण में बचत के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1,34.20 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।			
(12)	05 अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (जिला योजना) मूल 6,39.30 पुनर्वि० -34.15	6,05.15	5,44.57	-60.58
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 4,15,680 भी सम्मिलित है।			

प्रावधान में अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन द्वारा माह मार्च 2010 के दौरान ₹ 34.15 लाख की कमी छात्रवृत्ति में बचत के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(13)	06 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मूल	1,87.57	1,58.31	1,59.49	+1.18
	पुनर्वि०	-29.26			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 12,867 भी सम्मिलित है। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 29.26 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।				
(14)	07 सहायता प्राप्त पुस्तकालयों/छात्रावासों एवं प्राथमिक पाठशालाओं हेतु अनुदान मूल	1,75.30	1,41.97	1,56.05	+14.08
	पुनर्वि०	-33.33			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 20.36 लाख की कमी का कारण अनुदान में बचत की सम्भावना सूचित किया गया। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 12.97 लाख के अभ्यर्पण योजना में बचत के कारण किए गए।				
(15)	08 गौरी देवी कन्या धन योजना मूल	2,00.00	1,98.00	1,98.00	0.00
	पुनर्वि०	-2.00			
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 2.00 लाख के अभ्यर्पण योजना में बचत के कारण किए गए।				
(16)	794 जन-जाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,94.58	7.70	7.70	0.00
	पुनर्वि०	-1,86.88			
(17)	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,50.00	34.94	34.94	0.00
	पुनर्वि०	-1,15.06			
(18)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,45.00	1,40.00	1,86.94	+46.94
	पुनर्वि०	-5.00			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 46,94,000 भी सम्मिलित है।

उपरोक्त क्रम सं० (16) से (18) के शीर्षों के अन्तर्गत किए गए अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(19)	10 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना मूल	34.76		
	पुनर्वि०	-9.95	24.81	24.79
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31-03-2010 को ₹ 2.73 लाख की वृद्धि महंगाई भत्ते में निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 12.68 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए। बचत का कारण रिक्त पदों का न भरा जाना सूचित किया गया।			-0.02
(20)	18 अटल आवास योजना मूल	1,32.56		
	पुनर्वि०	-1.01	1,31.55	1,31.55
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1.01 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			0.00
(21)	2230 श्रम तथा रोजगार योजना 02 रोजगार सेवायें 796 जनजाति उप योजना 01 शिक्षण/मार्ग दर्शन केन्द्र की स्थापना मूल	35.90		
	पूरक	0.46	36.36	20.10
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 0.46 लाख की वृद्धि प्रशिक्षण/सलाह केन्द्रों के अधिष्ठान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			-16.26
(22)	02 कालसी (देहरादून) में जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये विशिष्ट रोजगार केन्द्र मूल	18.50		
	पूरक	0.14	18.64	15.09
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 0.14 लाख की वृद्धि अनुसूचित जन जाति रोजगार केन्द्र, कालसी (देहरादून) के किराये के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			-3.55
(23)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	3,88.54		
		3,88.54	1,00.32	-2,88.22

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(24)	04 समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार			
	मूल	89.46		
			1,34.46	
	पूरक	45.00		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 45.00 लाख की वृद्धि वेतन एवं मानदेय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।		1,23.26	-11.20
(25)	91 जिला योजना			
	मूल	3,03.06		
			3,26.29	
	पूरक	23.23		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 23.23 लाख की वृद्धि अशक्त एवं किसान पेंशन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।		3,22.50	-3.79
(26)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	3,36.00	3,36.00	
			3,34.92	-1.08
(27)	2404 डेरी विकास			
	00			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	02 महिला डेरी विकास योजना			
	मूल	5.40		
			4.00	
	पुनर्वि	-1.40		
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 1.40 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।		4.00	0.00
(28)	91 ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढीकरण (जिला योजना)			
	मूल	15.00		
			11.23	
	पुनर्वि	-3.77		
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 3.77 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।		11.23	0.00
(29)	2406 वानिकी तथा वन्य जीवन			
	01 वानिकी			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	04 सिविल एवं सोयम वनों का विकास (राज्य सेक्टर)			
	मूल	1,60.00	1,60.00	
			33.33	-1,26.67

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(30)	2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम 796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 2,91.77	2,91.77	1,84.37	-1,07.40
(31)	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 00 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 03 विकास खण्डों में विकास कार्यों हेतु क्षेत्र निधि मूल 95.00	95.00	71.48	-23.52
(32)	07 ग्रामीण आवास योजना राज्य ऋण सह अनुदान मूल 12.00	12.00	9.11	-2.89
(33)	08 उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना मूल 22.00	22.00	5.19	-16.81
(34)	10 दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना मूल 30.00	30.00	25.97	-4.03
(35)	97 आईफेड बाह्य सहायतित योजना मूल 1,03.72	1,03.72	50.00	-53.72
(36)	2851 ग्रामीण तथा लघु उद्योग 00 103 हथकरघा उद्योग 04 उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्त शिल्प विकास परिषद को सहायता मूल 13.23	13.23	11.41	-1.82
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य जहां परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				
(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:				
(1)	2225 अनुसूचित जातियों, अनु0जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 800 अन्य व्यय 12 जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना मूल 10.00	10.00	0.00	-10.00
(2)	13 शिल्पी ग्राम योजना मूल 10.00 पुनर्वि -5.92	4.08	0.00	-4.08



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(3)	15 एकलव्य आवासीय विद्यालय संगठन समिति को अनुदान मूल	2,64.36	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-2,64.36		0.00
(4)	2402 मृदा तथा जल संरक्षण 00 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03 मृदा एवं जल-संरक्षण कार्यक्रम मूल	50.00	50.00	0.00
				-50.00
(5)	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 00 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 01 हाईड्रम परियोजना/टीडीईटी हेतु राज्यांश मूल	1,00.00	1,00.00	0.00
				-1,00.00
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			
	(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:			
(1)	2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना मूल	2,36.27		
	पूरक	8.65	2,42.82	2,50.54
	पुनर्वि०	-2.10		+7.72
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 8.65 लाख की वृद्धि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियों को वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 2.10 लाख के अभ्यर्षण मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(2)	2203 तकनीकी शिक्षा 00 112 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान 05 इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौड़ी (पौड़ी) पूरक	15.00	15.00	46.09
				+31.09
(3)	2225 अनुसूचित जातियों, अनु०जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 शिक्षा 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	4,60.00	7,18.89	7,83.53
	पुनर्वि०	2,58.89		+64.64

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 24-02-2010 को ₹ 2,58.91 लाख की वृद्धि अनुसूचित जन जाति के कक्षा 10 से उपर के छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु देहरादून जिले से ₹ 1,50.00 लाख, ऊधमसिंह नगर से 22.47 लाख, नैनीताल से ₹ 12.31 लाख, चमोली से 20.62 लाख, उत्तरकाशी से 1.59 लाख, पौड़ी से ₹ 15.00 लाख एवं अन्य जिलों से 36.92 लाख की मांग प्राप्त होने के कारण की गई। दिनांक 31-03-2010 को ₹ 0.02 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित थे।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(4)	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 00			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 02 विधायक निधि			
	मूल	4,26.00	4,26.00	4,55.82 +29.82
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				

(vi) दृष्टांत जहां व्ययाधिक्य आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुआ:

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण				
800 अन्य व्यय				
07 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सिविल एवं एलाइड सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग				
मूल	6.60	6.60	15.60	+9.00
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 9,00,000 भी सम्मिलित है।				

पूँजीगत :  
दत्तमत-

(vii) ₹ 23,12.72 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 11,22.46 लाख ही अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

(viii) ₹ 23,12.72 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 5,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(ix) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1)	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 91 जिला योजना			
	मूल	1,49.46		
			1,49.36	1,45.37 -3.99
	पुनर्वि०	-0.10		

दिनांक 31-03-2010 को ₹ 0.10 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।

(2)	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय 00			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
	01 प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एनपीबी का भुगतान			
	मूल	3,00.00	3,00.00	1,81.82
(3)	4700 मुख्य सिंचाई			
	06 निर्माणाधीन नहरें			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	03 सिंचाई नहरों का निर्माण			
	मूल	1,00.00		
	पुनर्वि०	-38.00		
	दिनांक 31-03-2010 को ₹ 38.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।		62.00	62.00
				0.00
(4)	4801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
	05 पारेषण एवं वितरण			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं			
	मूल	2,10.00	2,10.00	50.64
				-1,59.36
(5)	5054 सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	04 जिला तथा अन्य सड़कें			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	02 चालू निर्माण कार्य			
	मूल	20,00.00		
	पूरक	5,00.00		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2009 को ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि सड़को एवं पुलों के चालू कार्यों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।		25,00.00	24,13.72
				-86.28
(6)	03 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण			
	मूल	2,00.00	2,00.00	70.25
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			-1,29.75
	(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
(1)	4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
	02 तकनीकी शिक्षा			
	105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान			
	03 इंजीनियरिंग कालेज घुडदौड़ी, पौड़ी को सहायता अनुदान			
	मूल	15.00	15.00	0.00
				-15.00
(2)	04 तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान			
	मूल	75.00	75.00	0.00
				-75.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)	
(3)	05 इंजीरियरिंग कालेज, द्वाराहाट (अल्मोड़ा) मूल	15.00	15.00	0.00	-15.00
(4)	4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 03 अनुसूचित जनजातियों हेतु स्वरोजगार अंशपूँजी (49प्रतिशत के०स०) मूल	51.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-51.00			
(5)	277 शिक्षा 01 केन्द्र पोषित/केन्द्र द्वारा पुरानिधानित योजनाएं मूल	8,50.68	70.52	0.00	-70.52
	पुनर्वि०	-7,80.16			
(6)	4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02 समाज कल्याण 102 बाल कल्याण 03 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण मूल	25.00	25.00	0.00	-25.00
(7)	4700 मुख्य सिंचाई 06 निर्माणाधीन नहरें 800 अन्य व्यय 91 जनजाति क्षेत्रों के लिए लघुडाल नहरों का निर्माण/पुनरोद्धार मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	-1,50.00
(8)	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 00 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 01 ट्राइबल विकास खण्डों में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत हाईड्रम स्प्रिकलर का निर्माण मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-1,00.00			
(9)	02 ट्राइबल विकास खण्डों में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कूपों का निर्माण मूल	40.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-40.00			
(10)	03 जनजाति क्षेत्र हेतु गूल, हौज एवं पाइप लाईन का निर्माण मूल	40.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-40.00			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(11)	4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01 बाढ़ नियन्त्रण 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 03 सिविल निर्माण कार्य मूल 25.00 पुनर्वि० -25.00	0.00	0.00	0.00
(12)	4801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज 01 बायो ऊर्जा 190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं मूल 22.65 पुनर्वि० -25.00	22.65	0.00	-22.65
(13)	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज 01 जल विद्युत उत्पादन 190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं मूल 52.85 पुनर्वि० -48.16	52.85	0.00	-52.85
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				
(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:				
(1)	4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 800 अन्य व्यय 03 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मूल 1,00.00 पुनर्वि० -48.16	51.84	1,22.36	+70.52
दिनांक 31-03-2010 को ₹ 48.16 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।				
(2)	4700 मुख्य सिंचाई 06 निर्माणाधीन नहरें 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 91 अनुसूचित जनजातियों के लिए नहरों का निर्माण मूल 1,00.00 पुनर्वि० -48.16	1,00.00	2,16.37	+1,16.37

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (लाख ₹ में)
(3)	5054 सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	04 जिला तथा अन्य सड़के			
	796 जनजातिय क्षेत्र उप योजना			
	01 नया निर्माण कार्य			
	मूल	50.00	50.00	87.25
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2010)।			+37.25

### परिशिष्ट- 1

(सन्दर्भ : विनियोग लेखे का सारांश पष्ठ सं०-10)

आकस्मिकता निधि से वर्ष 2009-10 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय जिनकी वर्ष के अन्त तक निधि को प्रतिपूर्ति नहीं की गई, के ब्यौरे : -

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	अग्रिम से व्यय
			(हजार ₹ में)
1	06	2029-भू-राजस्व	4,67
2	09	2051-लोक सेवा आयोग	28,33
3	11	2202-सामान्य शिक्षा	24,75
4	12	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2,78,35
5	14	2220-सूचना तथा प्रचार	8,11,31
6	15	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,96
7	16	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	77,75
8	17	2401-फसल कृषि कर्म	17,24,24
9	20	2702-लघु सिंचाई	11,23,22
10	26	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	21,00,03
11	28	2403-पशु पालन	1,62,99
12	28	2404-डेरी विकास	3,18,48
13	28	2405-मछली पालन	42,65
14	29	2401-फसल कृषि कर्म	4,43,60
योग			71,42,33

**परिशिष्ट - II**  
(सन्दर्भ : पृष्ठ सं०- 11 तालिका)

वसूलियों के अनुमान और वास्तविक आकड़ों का जिन्हें व्यय में से कटौती करके लेखाओं में समायोजित किया गया, अनुदानवार विवरण ।

क्रम संख्या	अनुदान	बजट		प्राक्कलन
		राजस्व	पूँजीगत (हजार ₹ में )	
1.	17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान	---	13,00,00	
2.	18-सहकारिता	---	---	
3.	20-सिंचाई एवं बाढ़	---	---	
4.	22-लोक निर्माण कार्य	---	---	
5.	23- उद्योग	---	---	
6.	25-खाद्य	---	11,80,00,00	
7.	29-औद्योगिक विकास	---	3,00,00	
<b>योग</b>		---	<b>11,96,00,00</b>	



		वास्तविक	बजट प्राक्कलनों से वास्तविक तुलना	
			अधिक + कम -	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
(हजार ₹ में)	(हजार ₹ में)	(हजार ₹ में)	(हजार ₹ में)	
---	23,76,42	----		+10,76,42
---	7,08,51	----		+7,08,51
12,78,51	96,52,99	+12,78,51		+96,52,99
--	79,33,50	----		+79,33,50
---	4,90,00,00	----		+4,90,00,00
---	8,52,90,47	----		-3,27,09,53
---	9,96	----		-2,90,04
12,78,51	15,49,71,85	+12,78,51		+3,53,71,85

## परिशिष्ट -III

(सन्दर्भ : टिप्पणी (vi), अनुदान -20)

उचन्त लेन देन -सिंचाई विभाग -राजस्व प्रभाग

(लाख ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2009 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2010 को अन्त शेष (नामे +) (जमा -)
2701- मध्यम सिंचाई					
उचन्त स्टाक	+70,94.20	+12,94.57	--	+12,94.57	+83,88.77
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	-9.03	--	--	--	-9.03
कार्यशाला उचन्त	+4,36.51	--	--	--	+4,36.51
योग	+75,21.68	+12,94.57	--	+12,94.57	+88,16.25
2702-लघु सिंचाई	--	--	--	--	--
उचन्त स्टाक	--	--	--	--	--
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	--	--	--	--	--
कार्यशाला उचन्त	--	--	--	--	--
योग	--	--	--	--	--

## परिशिष्ट -IV

(सन्दर्भ : टिप्पणी (xii), अनुदान-20)

उचन्त लेन देन -सिंचाई - पूंजी प्रभाग

(लाख ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2009 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2010 को अन्त शेष (नामे +) (जमा -)
4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय					
उचन्त स्टाक	+2,20,45.66	+50,84.51	-13.63	+50,70.88	+2,71,16.54
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+54,55.87	+6,22.93	-21.38	+6,01.55	+60,57.42
योग	<b>+2,75,01.53</b>	<b>+57,07.44</b>	<b>-35.01</b>	<b>+56,72.43</b>	<b>+3,31,73.96</b>

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय					
उचन्त स्टाक	--	--	--	--	--
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	--	--	--	--	--
योग	--	--	--	--	--

4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय					
उचन्त स्टाक	-20.81	--	--	--	-20.81
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	-13.66	--	--	--	-13.66
कार्यशाला उचन्त	--	--	--	--	--
योग	<b>-34.47</b>	--	--	--	<b>-34.47</b>

## परिशिष्ट -V

(सन्दर्भ : टिप्पणी (xii), अनुदान-22)

उचन्त लेन देन -लोक निर्माण विभाग

(लाख ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2009 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2010 को अन्त शेष (नामे +) (जमा -)
5054-सड़कों तथा पुलों पर पूँजीगत परिव्यय					
उचन्त स्टाक	+1,71,40.68	+39,58.16	-12.63	+39,45.53	+2,10,86.21
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+1,63,74.81	+39,50.79	-15.68	+39,35.11	+2,03,09.92
योग	+3,35,15.49	+79,08.95	-28.31	+78,80.64	+4,13,96.13

